THE MINISTER OF STATE IN THE I MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE DEPARTMENT OF PERSONNEL (SHRI RAM NIWAS MIRDHA) : Mr. Chairman, Sir, the hon. Member raised this point a few days ago and he wanted to know as to what is heppening regarding the point fiat he raised about Praja Sahkari Udyog, Bharatpur. This is essentially the concern of the State Government from whom we have obtained this information. On 3rd May, 1972 a case was registered under Section 420 IPC . . .

MR. CHAIRMAN : 420 ?

SHRI RAM NIWAS MIRDHA : ... at Bharatpur with respect to some activities connected with this cooperative society.

DR. BHAI MAHAVIR : A coopratіve society ?

SHRI RAM NIWAS MIRDHA : This concerns a cooperative society and not the State Government in any way. Later on, with the permission of the court, a case under Section 468 (forgery for the purpose of cheating) has also been added. The case is being investigated. Warrants of arrest have been issued against the persons concerned. One of them has already been arrested.

DR. BHAI MAHAVIR : Have you frozen the funds 7 People had deposited lakhs of rupees. Have you taken care to freeze the funds 7

SHRI RAM NIWAS MIRDHA : Our information is that the funds in the banks have been frozen.

MR. CHAIRMAN : Dr. Mahavir, are you satisfied 7 Then, the criminal Law (Amendment) Bill, 1972.

THE CRIMINAL LAW (AMENDMENT) BILL 1972

SHRI PITAMBER DAS (Uttar Pradesh) : Before Mr. Mirdha introduces his Bill, I have a submission to make. You» can take it as a point of order or a mere I submission. Rule 69 clearly lays down that no discussion can take place until after the expiry of two days after the distribution of the copies of the Bill. As is very well known, the copies of the Bill had been distributed only yesterday. So, ordinarily no motion for consideration can be made today. At the same time the rule provides that the Chairman can allow a motion to be made, which means that the discretion vests in the Chair. But I also know that the Chair never exercises the discretion arbitrarily. It is supposed to be exercised judiciously. So, Sir, I would request you to take the House into confidence and tell us as to what were those considerations which prompted you to go out of the way and follow a procedure not ordinarily permitted by the rules, Althought I know that it is not necessary for you to tell us that still I think it is better if you tell us as to why this Bill is being allowed to be intoduced even against the rule.

MR. CHAIRMAN : Yesterday, the House knew and it v. as for that reason that the session was exterded for today because this Bill was coming today. I have permitted it. You cannot ask me the reasons. I have dispensed with the notice.

SHRI PITAMBER DAS : I would like to know one thing. So far as the quest tion of the House knowing it yesterday tha-the Bill was to be taken up today is concerned, the Bill was put up on the Order Paper much earlier than the House knew it. The very fact that you allowed it to be put on the Order Paper, about that I would like to know as to what were the considerations that you allowed it to be put on the Order Paper of the same day.

MR. CHAIRMAN : Yes, Mr. Mirdha.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE DEPARTMENT OF PERSONNEL (SHRI RAM NIWAS MIRDHA) : I, beg to move :

> "That the Bill further to amend the Indian Penal Code, the Code of Criminal Procedure, 1898 and the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967. . ."

DR. BHAI MAHAVIR (Delhi) : I am sorry, Sir, we have not been able to understand how a Bill of this important nature is being allowed to be moved like this. How is the Government is trying to hustle through ?

MR. CHAIRMAN : I have allowed it.

DR. BHAI MAHAVIR : What is the urgency in it ? It should not be allowed to be moved unless we are convinced of the urgency. The Aligarh Muslim University Bill was introduced in the same manner. Heavens are not going to fall if proper time is allowed to the House to discuss why the rule was not observed. . .

MR. CHAIRMAN : It was understood in the House,

DR. BHAI MAHAVIR : Uuderstand-ing is a different thing. We understand many things which the Government has in mind and they also understand things which they do not want to say.

MR. CHAIRMAN : You never raised any objection yesterday that this Bill should not be brought.

DR. BHAI MAHAVIR : The Bill is being introduced today.

MR. CHAIRMAN : I over-rule your objection, Bhai Mahavir.

DR. BHAI MAHAVIR : If this is the way the Government is going to murder democracy, kill the freedom of opinion and freedom of association, if that is the attitude we also have to find how to play our part.

MR. CHAIRMAN : I do not want any more discussion. Mr. Mirdha.

DR. BHAI MAHAVIR : You can over-rule. But the question is this is not there something which is called the spirit of administration behind the legal forms and the legal enactments of the rules. Even if the auihority to wave the rules is there with you and you exercise it in your discretion the point is that is a Bill which is directly aimed at us. It is there because of political vendetta. It is aimed at us because the Government is not prepared to tolerate any difference of opinion. It has the capacity to kill all potemia! opposition. Now, Sir. *it* with all this massive manda'e that they have got, they cannot even allow the rules to be followed, it means that not only do they want to kill all Opposition, but also they have no patience even to kill it according the rules which they are bound by. . .

MR. CHAIRMAN : The rules have been followed.

DR BHAI MAHAVrR : The rules not been followed, please permit me to say.

MR. CHAIRMAN : I say—the rules have been followed. I have dispensed will: the notice. The whole House agreed t(this.

(Interruptions)

DR. BHAI MAHAVIR : Even if th< rules had been followed, the spirit has beer violated.

श्री ओइम प्रकाश त्यागी (उत्तर प्रदेश) आपके कहने से कुछ नहीं होता।

श्री प्रेम मनोहर (उत्तर प्रदेश) : हम इस तरह से नहीं चलने देंगे। कार्यवाही नहीं चल सकेगा।

MR. CHAIRMAN: Yes, Mr. Minister.

(Interruptions)

श्री प्रेम मनोहर : यह नादिरशाही नहीं चलने दी जायेगी।

श्री मानसिंह वर्मा (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन् हम बताये देते हैं कि हम कार्यवाही नहीं चलने देंगे।

श्री ओइम प्रकाश त्यागी : यह क्या है कोई कारण नहीं, कोई बात नहीं, बिना पूर्व सूचना दिये ले आये।

DR. BHAI MAHAVIR : We ha also been elected by the people of this cou try. We are not here because of the bles ings of the Prime Minister. We are he because we represent a' particular point view and there are people whose opinis we have to voice here. . .

MR. CHAIRMAN : You can voice your points of vie* in your speech.

DR. BHAI MAHAVIR : No. Sir. The question is, we are not being given sufficient time to apply our mind and express ourselves as best as we should. . .

MR. CHAIRMAN : You have had sufficient time.

DR. BHAI MAHAVIR : Sir, you are the guardian of this House, and you are permitting this.

(Interruptions)

SHRI K. P. SUBRAMANIA MENON (Kerala) : Mr. Chairman, Sir, . .

(Interruptions)

DR. BHAI MAHAVIR : Sir, with all respect and with all humility, we consider ourselves duty-bound to protest against this type of attitude, and we have to submit to you. . .

MR. CHAIRMAN : I have done it and I say that what I have done is correct. The whole House was agreeable. . .

(Interruptions)

DR. BHAI MAHAVIR : We also belong to this House.

MR. CHAIRMAN : I am not bound to

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव (बिहार) : बिना सूचना दिये यह विधेयक ले आये । आपने जो डिसीशन लिया उसका क्या तर्क है । उस क्या जबाव हैं ।

give ail the reasons.

(Interruptions)

श्री ओ३म प्रकाश त्यागी : श्रीमन्, आप जल्दबाजी में काम कर रहे हैं । कौन सा आसमान गिर रहा है, कौन सा देश में तूफान मच ...

MR. CHAIRMAN : No, no, I will not allow this.

(Interruptions)

SHRI MAN SINGH VARMA : We shall not allow the proceedings of the House to go on unless you satisfy us.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : आप शासन के लिए जो कुछ व्यवस्था कर रहे हैं वह ठीक नहीं । वह सिद्ध करे । यह कहते हैं कि हाउस इसके लिए एक दिन एक्सटेंड कर दिया गया । इन्होंने कहा कि कल हो और आपने कह दिया कि हाउस एक्सटेंड कर दिया गया ।

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI OM MEHTA) : It was announced that it was for this particular Bill that the session was extended.

SHRI MAN SINGH VERMA : What for?

श्री ओ३म् मेहता : जरा आप सुनिये । जब श्री पीताम्बर दास जी ने पूछा कि क्या यह सारे बिल आप एक दिन में पास करायेंगे तो हमने कहा कि दूसरे रोज़ पास करायेंगे ।

श्री ओउम् प्रकाश त्यागी : यह क्या बातें कर रहे हैं । कोई दूसरा नहीं, जो मन में आवे वह कर लें । यह क्या है ?

MR. CHAIRMAN : No, no, you have to sit down.

(Interruptions)

श्री ओइम् प्रकाश त्यागी : क्या इस वक्त हिलटर है या मुसोलनी है । इस तरह से कर रहे हैं ।

MR. CHAIRMAN : Yes, Mr. Minister, you go on.

(Interruptions)

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या चुनाव जीतने का यह नतीजा है कि डेमोक्रेसी की हत्या होगी ।

श्री श्रोइम् प्रकाश त्यागी : अपोजीशन को समाप्त करने के लिए तानाशाही का रूप धारण कर रहे हैं।

SHRI SASANKASEKHAR SANYAL (West Bengal) : May I make a submission? Sir, You are the custodian of the rights and privileges of this House. You are the sacred flag of the House. And by and large, you are probably the most elderly man in this House. Your pedestal is so high; your stock of prestige is also very high. Here is a simple question.

You have waived the rigidity of the rules on a particular consideration. Sir, you were a lawyer and you know the far-reaching implications of the Bill which is coming. It will be another weapon in the armoury of the Government to crush down the entire opposition. Therefore, that is all the *more* the reason why I appeal to you as a lawyer because you have read the *Bill...(Interruptions)* Mr. Chairman, please hear me...

MR. CHAIRMAN : It was reported the day before yesterday, not yesterday.

SHRI SASANKASEKHAR SANYAL : Please hear me. In all humility I am making my submission to you...

श्री मानसिंह वर्मा : उन्होंने एडमिट किया कि मैंने रूल को वेव्ह किया है—फार डिस-क्शन। ही हैज यूज्ड हिज डिस्क्रीशन।

MR. CHAIRMAN : I have considered the matter...

SHRI SASANKASEKHAR SANYAL : No, you have not considered the matter, you have not considered what I wanted to say:

MR, CHAIRMAN : Yes, I have.

SHRI SASANKASEKHAR SANYAL : No, you have not. Unless you hear me I will not sit down becavse I am here in all humility to make prayers. I am not a beggar for an undue mercy. I stand here on my right as a Member of this House and I want you to hear me before you dispose *of* the matter finally...

SHRI PRANAB KUMAR MUKHEL1.-JEE (West Bengal) : Sir, on a point of order...

SHRI DEV DATT PURI (Haryana) : Sir, on a point of order...

SHRI SASANKASEKHAR SANYAL : Let there be more light and less heat. What is the plea here ? We want there should be some time for discussion. I appeal to you as a lawyer—when you are out of office, you will again join the bar and you may defend some of us sitting here.............. if you read the Bill you will find the implications involved are such that it requires a thorough study and we need time; so you give us a little time, a small assurance, as a custodian not only on hustling the business of the Government, but also on the protective business of this side of the House, that you will give more than ample time for discussion, by extending the Session by another day if necessary.

SHRI DEV DATT PURI : Sir, the Bill was reported upon not yesterday, the day before yesterday . . .

SHRI SASANKASEKHAR SANYAL : Mr. Chairman, what is the reply from you ?

SHRI DEV DATT PURI : It was reported the day before yesterday, not yesterday. And the waiver of the rule took place yesterday, not today. If you recollect, when we were going to deal with the Bill yesterday, it was on the express request of the opposition that the House was extended—at their request , . . for passing this Bill. I make two points : (1) The opposition should have come yesterday, not today. It was on the express request of the Opposition that the Session was extended for the specific purpose of dealing with this Bill . , . *(Interruptions)*

SHRI PITAMBER DAS : I would like to make a submission. The point thai Mr. Puri has made is that the objection that I have taken today ought to have been taken yesterday. As far as this point is concerned, if we carefully read the rule, we will find that the objection has to be taken when the motion for considera tion is to be moved. Please read Rule 69 When the motion for consideration is to be

[Shn Pitamier Das]

moved, then this objection can be taken that two days must elapse. The motion for consideration was not moved yesterday. It is being moved today. Therefore, the objection could be taken only today. It could not be taken yesterday.

MR. CHAIRMAN : Rule 69 does not apply here. Pitamber Dasji, the rule that applies here is 123.

Now, Mr. Minister, you go on.

SHRI RAM NIWAS MRDHA : Sir, I beg to move :

That the Bill further to amend the Indian Penal Code . . .

DR. BHAI MAHAVIR : What is your reply to Shri Sanyal's point ?

MR. CHAIRMAN : I have said that the Bill will go on . . . *(Interruptions).* I an not giving detailed reasons.

DR. BHAI MAHAVIR : This is the very point about which we feel very strongly, very seriously and very honestly. We wish to submit to you to exercise whatever discretion you have in favour of the Opposition. Government has such a massive majority and it can ateamroll amy-thing . . .

(Interruptions)

Are you also going to use your discretion in its favour.

MR. CHAIRMAN : How long will you . . .

DR. BHAI MAHAVIR : May be that we have to keep on saying till you are satisfied.

MR. CHAIRMAN : Are you not obstructing the proceedings of the House . . . *(Interruptions).* Yes, the Minister.

SHRI RAM NIWAS MIRDHA : Sir, I beg to move :

"That the Bill further to amend the Indian Penal Code, the Code of Criminal Proceedure . . .

DR. BHAI MAHAVIR : What is the guarantee about time ? Can we have as much time as we need for the discussion of the Bill ?

SHRI OM MEHTA : How can it bs ?

DR. BHAI MAHAVIR : I may like to speak on every aspect of it and on every clause. It requires time. Or, are you going to appiy guillotine to that also ?

MR. CHAIRMAN : Please sit down.

DR. BHAI MAHAVIR : Sir, you have to satisfy me. Will you permit them to stisfle all opposition simply because it is suits their political purpose ?

MR. CHAIRMAN : This is wrong.

DR. BHAI MAHAVIR : What is wrongs ?

(Interruptions)

MR. CHAIRMAN : Yes, the Minister.

SHRI RAM NIWAS MIRDHA : Sir, I beg to move :

"That the Bill further to amend the Indian Penal Code, the Code of Criminal Procedure, 1898 and the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration . . ." *(Interruptions)*

DR. BHAI MAHAVIR : Then. Sir, you can have it recorded that straightway the Bill has been passed...

(Interruptions)

SHRI RAM NIWAS MIRDHA : Some of the hon. Members who are opposing the introduction have already given notice for amendments.

DR. BHAI MAHAVIR ; Sir, the original the Bill was sent to the Select Committee and it was circulated well in time although the purpose of it was very clear that only those who threatened the integrity of the country came under its purview. Here you are putting in a clause which can be interpreted in any way and likes. . .

(Interruption s)

SHRI RAM N1WAS MIRDHA : That we will discuss when we come to that clause. . .

(Interruptions)

SHRI OM MEHTA : All the three Bills listed for today have to be passed today at any time.

DR. BHAI MAHAVIR : What is the guarantee that it will be passed ? The House may throw it out. How can the Minister say that it will have to be passed ?

SHRI OM MEHTA : Let it be (hrown out.

DR. BHAI MAHAVIR : You can say that it has to be disposed of. This is the attitude which I am objecting to, as if passing is in your pocket.

SHRI T. N. SINGH (Uttar Pradesh) : I thirk there is quite a lot of heat generated over this issue, We want that we should function in the House in a peaceful manner. At th(same time I think it is desirable that it should not appear as if things are being forced on us. It is the duty of the Executive with its majority to take the minority aigo v th them as far at it can. It is a fact that in the last minute this Bill is being brought forward today. It may be that you have permitted it.

MR. CHAIRMAN : Two days have already passed. . .

(Interruptions)

SHRI T. N. SINGH : Have a little patience and tolerance also. I think the Chair's discretion in matters like these where there is a strong section *of* opinion against it. . .

They should be used for consulting them. I don't know whether or not 12 NOON you consulted those people who feel strongly about it. That is your job, Sir, and that is not mine. At the same time, 1 feel that this Bill is being rushed through at the last minute. A proposal for reference to a Select Committee has been made. Sir, I have been noticing that important measures are being rushed through in this House and though mine may be a lone voice . . .

SOME HON. MEMBERS : Why lone voice ? We are here . . .

(Interruptions)

SHRI T. N. SINGH : I feel that all important measures should be referred to Select Committees and that is the procedure which should be followed and that is the democratic procedure. Now, Sir, here the Bill is being rushed through. There is not even a desire to refer the Bill to a Select Committee. And, Sir, we have been taken by surprise. 1 would have taken an how at least to urge that this should be referred to a Select Committee. I think 1 can agree that there is a need for certain restrictions in certain cases. But, we have to be very careful about it Sir, restrictions have to be imposed very carefully in a democracy. As long as I have got a voice, I must say that Dothing should be rushed through in this manner. Yet, Sir, I ask the Government, in all humility, and also you, Sir, why we should make our friends here, who-soever they may be, feel that they are being suppressed here and that the majority is trying to rush through every thing. I think that it is not good for democracy. They may be in a small number. They may be in a minority and they may be in a minority position. All such questions may arise. But, can we ignore all these things So, Sir, I do appeal to the Government and those sitting on those benches there that they should be accommodative.

Sir, I have also had occasions to see Shri Govind Ballabh Pant and Pandit Jawaharlal Nehru functioning. They were very accommodative. They yielded to pressures. There were cases, Sir, where there was no reference to a Select Committee. There was a desire by some Members and Pandit Nehru agreed. For instance, the Banaras Hindu University Bill was referred to the Select Committee. Shri-maliji wanted to rush it through and Shri Nehru intervened as the debate was going on. Thus, Sir, he set up certain noble practices and we should not just ignore them. So, Sir, as an old man, who is not capable of generating any heat like my young friend, Dr. Bhai Mahavir, I do appeal

[Shri T. N. Singh]

to the Government that they should appear to be following the.methods of democracy, they should appear to be more accommodative, they should appear to be telerant. You may feel that you are accommodative or you are tolerant. But you should also appear to be accommodative and tolerant. That is essential.

DR. Z. A. AHMAD (Uttar Pradesh) : Sir, I want to submit one thing after hearing the wise words from the mouth of one of the senior Members here. I have not been able to understand how he wants the Government to accommodate this section of the House.

SHRI T. N. SINGH : I have also mentioned about the reference to the Select Committee.

DR. Z. A. AHMAD : He has said that it should be referred to a Select Committee. My submission is that this Bill should not go to a Select Committee, because there we are not going to solve any problem. In fact a Bill of this nature should have come earlier and we have waited for years and years when we have seen certain organisations carrying on their activities under cover of legality and this cannot be allowed any longer. Therefore, Sir, these are only delaying tactics. We know you cannot change their hearts, because they are people who are committed to the line of disruptive activities in this country and therefore, in no case should it be referred to a Select Committee.

DR. BHAI MAHAVIR : You have *{Interruptions)* . . . We should also get an opportunity to pay him back . . .

(Interruptions)

THE LEADER OF THE HOUSE (SHRI UMASHANKAR DIKSHIT) : I want to make a brief statement. Our friend Shri T. N. Singh has just raised the question. He has made two or three points and I have been listening *to* him with great respect. It has become clear that there is no constitutional or legal or procedural abjection at all. The matter is claar beyond any shadow of doubt.

The point that he has made is that this has come on the last day. In every session some Bill, some measure, is bound to come on the last day. You cannot have the last day without some important measure, otherwise we would have finished it yesterday or the day before yesterday. Let us understand it. It is no use making a point like that, it is a very important matter.

The other point he has made is that there is a very strong feeling. Sir, I have heard responsible Members of the Opposition saying here that it is the business of the opposition to oppose, and they will feel strongly on any subject you refer here. In fact, this position has done much harm to this country. Whether it is good or bad, they think it is their duty to oppose. The point is that if you feel strongly, express your views and try to convince. Both sides should try to convince each other by their arguments. But a few people, however important and strongly feeling those hon. Members may be, cannot hold the whole House to ransom and say that because it is a strong point, they won't allow the Bill to be moved. This is something extraordinary. Let us try to convince each other. Let the matters be debated properly.

Then this question of time was raised. Certainly, give time. There are certain standards observed in the House at to how time is given. Reasonable time should be given to all sides, to all hon. Members . , .

(Interruptions)

DR. BHAI MAHAVIR : You allowed a Member to malign us. He called us disruptive.

MR. CHAIRMAN : You can give your reply when you speak on the Bill.

(Interruptions.)

DR. BHAI MAHAVIR: The people who have obstructed the working of constitutional governments all over the world, those who do not believe in the Constitution, those who have harmed the interests of the country time and again, those people who, when there is an armed attack on a small socialist country, do not have the the gute to raise their voice simply because their masters would be annoyed—these

people come and tell us that we are disruptive and we beliere in disruptive tendencies.

The point I have to submit is that I have respect for the Leader of the House. He says that some Bill or o her will certainly come on the last working day of the session. Agreed. But, Sir, if the Bill has to come on the last working day is it necessary that it should come in the way that the people are not able to apply their mind to it ? Is it necessary that it should come in a way that people are not able to give their thought to it ? . . .

{Interruptions)

Dr. Z.A. Ahmad said that it should have come years ago. Of course, it could have heen brought during the first week or second week of this session and we could have been given time for a full discussion, Government's reasonableness would have reflected itself if they nad agreed to consi-sider this proposal . . ,

MR. CHAIRMAN : I have heard all the arguments and I think that the decision that I gave was correct. Two days have already elapsed since the Bill was passed by the Lok Sabha and reported to this House . . .

DR. BHAI MAHAVIR : Not two days. Is it not that two days have to elapse after copies of it are made available to Members ?

MR. CHAIRMAN : 1 have put it on the Agenda only after . . .

(Interruptions)

DR. BHAI MAHAVIR It is not even 24 hours . . .

MR. CHAIRMAN : All right. I am not going to hear any more.

DR. BHAI MAHAVIR : You are not going to hear any more, but the question is that should we take it that when you preside over the session of the House, we shall not be able even *to* submit that the working of the House should be in such a way that the democracy can be saved and that the House should function in a proper manner ?

A majority of the Members wants time for a Bill like this in which legal provisions are involved although Mr. Ahmad will bo happy that it is being considered . . .

MR. CHAIRMAN : I have heard enough.

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही (उत्तर प्रदेश): श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है . . .

श्री सभापति : बहुत हो गया। अब नहीं सुनूंगा।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : अगर आप ही नहीं सुनेंगे तो यह सदन कैसे चलेगा ?

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही: एक बीच का रास्ता है—अगर सरकार राजी हो जाए और यह सेलेक्ट कमेटी को चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी।

श्री सभापति: यह भी सुन लिया है। जब बहस होगी तब अपनी स्पीच में कहिएगा।

SHRI RAM NIWAS MIRDHA : Sir, the purpose of the Bill is two-fold. Firstly, it is to enlarge . . .

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : श्रीमन्, यह हिटलरिज्म नहीं चलेगा। आप देख लीजिए . . .

श्री सभापति: मैंने देख लिया।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव: इस प्रकार से बि‍ को लिया जाना, उनके मूड से ही इस बात का पता चल जाता है कि ये मैजारिटी पाकर आगे क्या करने वाले हैं ? देश में प्रजातंत्र रहेगा कि नहीं रहेगा ? कैसे कोई विरोधी दल रहेगा ? कैसे इस सदन की मर्यादा रहेगी। आपने देखा, किस तरह से उनका एटीटयूड बन गया है ?

MR. CHAIRMAN : Yes, Mr. Mirdha, you go on. *(Interruptions).* Please sit down.

SHRI RAM NIWAS MIRDHA : Firstly, it is to enlarge the scope of the provisions of the I. P. C. to deal with activities of individuals which are prejudicial to the maintenance of communal harmony. Secondly, the purpose of the Bill is to make provisions to deal with associations which indulge in activities prejudicial to maintenance of communal harmony.

Sir, it is not necessary for me to explain at length the need for this legislation. This House has, time and again, expressed its condemnation of the various parochial and divisive forces which stand in the way of our national integration and divert the attention *of* the people from the more basic and pressing problems of poverty and social injustice. The forces weaken the nation in facing up to the external threats to our security. The events of 1971 have demonstrated conclusively the importance of national unity in meeting such external challenges. Had the country not risen as one man to meet these challenges the history could have taken quite another turn. We are commit ed to the values of secularism not only because they are important for the building up of a united prosperous and strong nation, but also because the lack of those values would be totally inconsistent with the dignity of human personality and a modern and progressive outlook. *(Interruptions).* Our people have a deep commitment to these values, which they have expressed time and again. *(Interruptions).*

SHRI LAL K. ADVANI (Delhi) : Sir, on a point of order.

MR. CHAIRMAN : No point of order.

SHRI RAM NIWAS MIRDHA : In the recent elections they have totally rejected the communal, sectarian and other divisive forces and have given their unmistakcable mandate for secularism.

(Interruptions)

SHRI LAL K. ADVANI ! Sir, I am on a point of order.

MR. CHAIRMAN : I have heard several Members on this side time and again. All right, what is your point of order ? Mr. Mirdha, please wait.

SHRI LAL K. ADVANI : As a member of the Business Advisory Committee, I know that no time has been allotted to this Bill. I would like to know from you as to how this has come up in spite of the fact that the Business Advisory Committee has not considered it. Secondly, even if we have to consider it, what is the time you have allotted for this ? This is my point of order.

SHRI OM MEHTA : This is no point of order.

DR. BHAI MAHAVIR : What is this ? The Government takes upon itselt all the functions of the Chairman also.

SHRI LAL K. ADVANI : My submission is that the Business of the House is to be conducted by you and it somehow or other appears that you are being taken for granted whatever the Government wants to do . . .

MR. CHAIRMAN : I will give answer now. Yesterday it came before the House and it was decided by the House that the Aligarh Muslim University Bill would be taken up that day and this Bill would be taken up today. That is enough.

SHRI LAL K. ADVANI : My point of order is that as a member of the Business Advisory Committee, when we met on Tuesday or so, I would say that thore was no such business about this Bill; otherwise, we could have decided then and there.

DR. Z. A. AHMAD : It was decided by the House.

MR. CHAIRMAN ; It was decided by the House. I have already ruled.

SHRI LAL K. ADVANT : This is a peculiar instance where the Government seems to take the chair for grented . .

MR. CHAIRMAN : I have overruled your objection. Whether *my* decision is right or wrong you cannot go on discussing.

SHRI LAL K. ADVANI : I made just one point. I would like to understand because this is a wrong procedure.

MR. CHAIRMAN : I have overruled you. Yes, Mr. Mirdha.

SHRI RAM NIWAS MIRDHA : The Government can, therefore, spare no efforts in dealing rutelessly with the organisations and individuals who by their constant propaganda seak to keep alive an atmosphere of mistrust and ilifeeling between different sections of the people. The Bill before the House is with a view to strengthening the hands of the Government in dealing with such elements.

It will be recalled that in 1969 the provisions of law to deal with the activities prejudicial to the maintenance of communal harmony were tightened up by the enactment of the Criminal and Election Laws (Amendment) Act 1969. The scope of sections 1D3A and 505 IPC was enlarged and heavier punishments were laid down. Government had also taken powers to prevent the publication of inflamatory material However, the communal situation in the country in the succeeding years continued to be a matter for serious concern. The Government therefore, brought before the other House in September, 1970, a Bill to further enlarge the scope of section 153A, IPC. It was also sought to extend the scope of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 so that the associations indulging in such activities as would be punishable under section 153A, IPC could also be dealt with effectively by being declared as unlawful. Some of the provisions of the Bill were misunderstood even by the parties who were in sympathy with the objectives of the Bill. In view of the opposition to the Bill, expressed on the Floor of the House, it had to be withdrawn. We have taken into account the views then expressed and have re-formulated the legislative proposals in the from of the present Bill Clause (b) of sub-section (i) of section 153A IPC already penalise acts which are prejudicial to the maintenance of harmony between different religious, racial, language or regional groups or castes or communities and which disturb or are likely to disturb the public tranquillity. In the 1970 Bill, which was sought to be introduced in the Lok Sabha we had proposed to make it explicit that the acts referred to in this clause would also include activities, such as exercises, movement or drill which give rise to fear, alarm or feelings of insecurity or which disturb or are likely to disturb public tranquillity. When the Bill was brought forward for introduction it was pointed out in the other House that the provision had been so formulated that acts which may themselves be not prejudicial to the maintenance of com nunal harmony, but may cause fear or alarm or a feeling of insecurity among members of a community would also come within its mischief. I then explained that the possibility of the law being implemented in such a manner was remote. However, taking not of the misgiving then expressed in the other House we have slightly reformulated the proposal. It will be seen that our proposal in the present Bill has specified measure. The organiser or the participant of exercises, drill, etc. should either intend that the training imparted should result in the use of criminal force or violence or should know that the use of such training for such purposes is likely. The proposed provisions would not penalise any physical exercises or activity as such. It would also not penalise drills and other similar activity undertaken for a bonafide purpose, such as physical training given in schools, colleges and clubs. What is sought to be penalised is only those kinds of drills and exercises organised with the intention or with the knowledge that persons trained in such activities are to resort to violence against their opponents. The second proposal in the Bill is to make a provision to deal with those who delibirately malign any community only on the ground of its religion *etc.* The House knows how attempts are made some times *to* question the patriotism of entire communities. If the patriotism of an individual is questioned he has legal remedies. He can move a court of law to take action against the person defaming him. But when doubts are cast in regard to the allegiance of an entire community the existing law proves inadequate to deal with such pernicious propaganda. Such

[Shri Ram Niwax Mirdha] propaganda results in the growth of a feeling of alienation among the members of the community and is, indeed, seriosly prejudicial to the integrity and unity of the country. The Bill, therefore, propose to penalise any imputation that person belonging to any community based on religion, language, caste etc cannot bear true faith and allegience to the Constitution of India or cannot uphold the sovereignty and integrity of the nation.

The second part of the proposed new Scetion 158 B IPC seeks to penalise any advocacy that members of any community based on religion, language or place of residence should be denied the rights of citizens of India. The provision is directed against the kind of vicious propaganda that goes on in certain parts of the country that persons coming from another part should not be given the right to employment, the right to acquire or own property etc. The regional parochialism sought to be generated, by such propagandc must be stopped.

[MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair.]*

The third part of the new section is directed against those who seek to expliot the religions sentiments of our people for their own ulterior ends. We are aware of the propaganda carried on by certain elements that members belonging to a religious community should not, because of their religion, remain wholly loyal to the country and the nation. Such propaganda leads to the weakening of the national sentiment and requires to be checked.

As has been explained in this Mouse on several occasions the law so far makes it possible to take action only against individuals, indulging in prejudicial activities, and not against associations as such. The only way to deal with associations as such, indug-ing in activities prejudicial to the maintenance of harmony between groups, would be to enlarge the scope of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967. The Bill before the House seeks to do this by amending the definition of "unlawful association" to include also associations which have for their object any activity which is punishable under section 153A or the proposed section 153B, IPC or which encourage or aid persons to undertake any such activity.

I would like to point out here that there is no substance in any criticism that the provisions of the Bill make any serious inroads into the right to form associations or that the Bill has any political objective. I have only to draw the attention of the House to the various inbuilt safeguards in the Unlawful Activities (Prevention) Act itself. The declaration of any association as anlawful by Government is subject to adjudication by a tribunal consisting of a Judge or a High Court. Normally, the declaration takes effect only after its confirmation by the tribunal. Sir, you will agree that this is an adequate safeguard against any arbitrary use of power by the Government. As a matter of fact, the operation of the provisions of the Act so far is enough proof of the *bona fides* of the Government. The Government will make use of the provisions to deal with associations only when it is absolutely necessary to do so, to achieve the objective specified in the legislation enacted by this Parliament. As I said in the other House, Government will be happy if It is not called upon at all to exercise the powers under the new law. Government expect that the new law would serve as indication of the standard of conduct, expected by this Parliament from all individuals and associations. We wish and hope that the standards will be scrupulously adhered to and that we will not be called upon to take action under these provisions.

I am sure that the Bill will receive whole hearted support and approval of all sections of the House.

SHRI NAGESHWAR PRASAD SHAHI: Sip, I move :

"That the Bill further to amend the Indian Penal Code, the Code of Criminal Procedure, 1898 and the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, be referred to a Select Committee of the Rajya Sabha consisting of the following members, namely :

1. Shri Nawal Kishore
2. Shri Sasanka Sekhar Sanyal
3. Dr. Bhai Mahavir
4. Shri Lokanath Misra
5. Snri B. N. Mandal
6. Shri Shyam Lai Yadav
7. Chaudhary A. Mohammad

with instructions to report by the first week of the next session."

The questions were proposed.

DR. BHAI MAHAVIR : Sir he should have explained what Heavens are going to fall if this is not taken up now. *(Interruptions)* Sir, I was submitting that the Minister should have explained what Heavens are going to fall if this Bill is not passed in this manner. What is the emergency ? What is the urgency 7 What are the disruptive forees which the Government want to curb with the provisions of this measure ? We will be able to consider it better if we know the real nature of the emergency facing the Government.

SHR1 DEV DATT PURI : On a point of order. What is the urgency of the matter when you want the Bill to be referred to the Select Committee ?

(Interruptions)

डा. भाई महावीर : मिनिस्टर साहब जब बिल का परपज् एक्सप्लेन कर रहे हैं तो यह भी बतला दें कि इस जल्दबाजी में इसको लाने का क्या कारण है । क्या इसे आज न लाने से देश रसातल को चला जायगा या गवर्नमेंट का सिंहासन उखड़ रहा है, कोई आफत आ रही है, कोई मुसीबत खड़ी हो रही है सिरहाने पर ?

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Dr. Mahavir, you can speak later.

DR. BHAI MAHAVIR : This is a wrong way of doing things. It would have been better if he had explained why this is being done so urgently. We expected that the Minister would explain this in his opening speech why he wants this to be done when the Business Advisory Committee has not allotted any time for this. The debate could be meaningful if he had said why, when the House has not allotted any time, when the Business Advisory Committee has not allotted any time, it is necessary to take this up in this manner.

श्री ओ३म् प्रकाश त्यागी : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि जब सरकार तमाम नियमों और कानूनों की उपेक्षा करके इस बिल को तानाशाही के ढंग से ला रही है और आज सदन का अन्तिम दिन है, लोगों को गाड़ियों से बाहर जाना है तो यह बेकार समय नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है और इसलिए आप इसको सीधे ही पास कर लीजिए। गवर्नमेंट की मेजारिटी है, इस लिए कोई भाषण की जरूरत नहीं, आप इसको आर्डिनेंस के द्वारा भी पास करा सकते थे, लेकिन इसको आज आप इस ढंग से ला रहे हैं, तो इस पर बहस करने की आवश्यकता नहीं है, इस तरह से सदस्यों के समय को नष्ट किया जा रहा है। आप लोग अपने घरों को जायं, मौज करें और गवर्नमेंट इसको सीधे पास करा ले ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN : We will have to go through this.

श्री पीताम्बर दास : डिप्टी चेयरमैन साहब, आपके जरिये से मैं मिर्घा साहब से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि जब शुरू में ही यह प्रश्न उठा है कि क्यों जल्दी लाया गया तो इनको इस पर कुछ न कुछ रोशनी डाल देनी चाहिए। मामूली तरीके से यह बताना जरूरी नहीं होता लेकिन जब इस पर आपत्ति की गई है कि जल्दी क्यों लाया गया तो थोड़ी सी रोशनी इस पर डाल देनी चाहिए कि हम जल्दी क्यों ला रहे हैं।

डा. भाई महावीर: यह भी बताना चाहिए, इस पर भी रोशनी डालनी चाहिए कि आज तक सरकार के पास जो शक्ति है वह शक्ति इस सारी स्थिति को संभालने के लिए काफी क्यों नहीं थी। जितने दंगे हुए, जितने फसादात हुए उनमें कितनी शक्ति लगी उनको दबाने में कितने लोगों को फांसी पर चढ़ाया और कहां क्या कार्यवाही की और कहां जाकर के सरकार असमर्थ हो गई।

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Let us hear the Minister,

श्री राम निवास मिर्धा : श्रीमन्, यह मन्शा बिल्कुल नहीं है कि इस बिल को जल्दबाजी से पास किया जाय। अगर वह हमारी बात को सुनते जो कि उन्होंने कृपा नहीं की तो उनको मालूम हो जाता कि इस विधेयक का क्या इतिहास है। यह कोई नई चीज नहीं आई है। 153 ए आई० पी० सी० पहले अमेंड हो चुका है, फिर उसमें कमी पाई गई, फिर उसका अमेंडमैंट किया गया। उसको और अमेंड करने के लिए 1970 ई० में एक विधेयक लोक सभा में पेश करने की कोशिश की गई और किस तरह से उसे वापस लिया गया, कैसी-कैसी शंकायें उठी थीं उन शंकाओं का निराककण किस तरह से इस विधेयक में किया जा रहा है यह सारी बातें मैंने बता दीं और अगर फिर आवश्यकता हुई तो मैं फिर और माननीय सदस्यों को बताने की कोशिश करूंगा।

श्री लाल आडवाणी : श्रीमन्, जिस बात पर बल दिया जा रहा है उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। उस हाउस में भी यही हुआ और इस हाउस में भी यही हुआ। उस बात पर प्रकाश डालें तो बहस में सुविधा होगी कि इस स्टेज में क्यों लाया गया बिना सूचना के।

MR. DEPUTY CHAIRMAN : You can not go on like this.

श्री लाल आडवाणी : आपकी कृपा से उन्होंने खड़े हो कर उत्तर देने की, प्रकाश डालने की कोशिश की लेकिन जो सवाल पूछा गया था उसका जवाब नहीं दिया।

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Whatever explanation he has, he has given. Mr. Banaisi Das.

श्री लाल आडवाणी: आपने पीताम्बर दास जी के कहने पर उनसे कहा कि रोशनी डालिए और उन्होंने रोशनी डाली लेकिन उन्होंने उस सवाल को स्पर्श भी नहीं किया।

MR. DEPUTY CHAIRMAN : I have called Mr. Banarsi Das.

श्री लाल आडवाणी : आप जरा बता दीजिये।

MR. DEPUTY CHAIRMAN : He has tried to answer.

श्री लाल आडवाणी : और कुछ नहीं तो यह कह सकते हैं कि कई एम० पीज० ने उनके कहने पर दस्तखत कर दिये थे इसके कारण से यह किया है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN : He has given whatever explanation he has, Mr. Advani. You will never be satisfied by what he say, Mr. Banaisi Das should proceed to speak.

डा० जेड० ए० अहमद : यह सब टालने की बातें हैं। फिर कोई दूसरा सवाल उठाया जायेगा और कहेंगे कि वह कुछ कहें। इसी तरह से कहते रहेंगे।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : उधर से बैठ कर बोलिए इधर से क्यों बोलते हो।

MR. DEPUTY CHAIRMAN : I have called Mr. Banaisi Das.

SHRI LAL K. ADVANE: After all, the Government with its majority is going to have its way, the opposition must at least have its say.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : You will have your full say.

SHRI LAL K. ADVFNI : Mr. Pitam-ber Das has raised a ver> pertinent point, and the Minister did not try to explain it. He switched on to another point. Let him reply to this particular point : Why has this Bill been brought today ?

श्री राम निवास मिर्धा : रूल्स के मुताबिक लाये।

डा भाई महावीर : रूल्स की बात तो हो गई। हम पूछ रहे हैं कि इस समय कौन सी

इमरजेंसी थी, कौन सी संकट की स्थिति है कि गवर्नमेंट एकदम से कह रही है कि इसको आज ही पास करना है ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN : He has given his anewer.

डा. भाई महावीर : अगर वह आन्सर देना नहीं चाहते, अगर उनके पास कोई जवाब है नहीं तो फिर बात दूसरी है ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Mr. Banarsi Das, are going to speak ? I have calle you. You should start now.

SHRI BANARSI DAS (Uttar Prapesh") : All right. उपाध्यक्ष महोदय, जब मैंने इस बिल को पढ़ा तो मुझे एक महान पुरुष का कथन याद आया—The road to hell is paved with good intentous' इस विधेयक के अन्दर जिन भावनाओं को प्रकट किया गया है, राष्ट्र हित से जिन बातों को कहा गया है,वह है लेकिन सवाल यह है कि हम किस तरीके से राष्ट्र का इंटेग्रेशन कायम कर सकते हैं। सवाल यह है कि क्या कानून के जरिए यदि कहीं पर अनलॉफुल एक्टिविटीज हों तो हम उनको दबा सकते हैं। हमारे देश का इतिहास खुद इस बात को बतलाता है कि जैसे-जैसे सरकार ने दमन किया और कानून का सहारा लिया, हमने उस संस्था को प्रिय बनाया । श्रीमन्, अंग्रेजों ने कांग्रेस को अनलाफुल करार दिया । सन् 1942 के क्विट इन्डिया मूवमेंट में हम डिटेन्ड थे, 1944 के आखीर में छूट कर आए हमारी संस्था अनलाफूल थी लेकिन इलाहाबाद में टंडन जी ने रेप्रेजेन्टेटिव्ह असेम्बली आफ कांग्रेसमेन बुलाई जिसमें हम सब लोग मौजूद थे । तब कांग्रेस गैर कानूनी थी । उसी तरह से जब हमारा कांग्रेस आंदोलन सन् 1932 के अन्दर दबा दिया गया स्वदेशी लीग वहां बना दी गई । श्रीमन्, स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद डा० अहमद और उनके साथियों ने यह समझा कि अब यह अवसर आया है हिन्दुस्तान के अन्दर बगावत करने का कत्ले-आम शुरू किया और यहां की जन सम्पत्ति का विनाश किया और उस वक्त में यहां पर कोई इसकी जरूरत नहीं पड़ी, सख्ती से दबाया गया कम्युनिस्ट पार्टी को, गैर कानूनी करार दिया । तो हमने इस बात को देखा । केरल में चुनाव हुआ । श्री गोपालन पं. जवाहरलाल नेहरू से ज्यादा वोटों से जीत कर आए । जो लोग डिटेन्ड थे डिटेन्शन की वजह से वे मार्टियर बन गए उनकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई, वे डिटेन्ड हो कर भी पं० जवाहरलाल से महान नेता से ज्यादा वोट लेकर जीतकर आए । (*Interruptions*) तो मैं यह कह रहा था कि हमने क्रिमिनल ला अमेन्डमेंट ऐक्ट के अन्दर संशोधन किया, गवर्मेन्ट ने सन् 1967 के अन्दर यहां पर अनलाफुल असेम्बली कानून बनाया उसके मातहत में । सवाल यह है कि उसका अब कितना प्रयोग किया गया उसके जरिये से कितना स्थिति के अन्दर सुधार किया गया ? सवाल यह है कि जिस मशीनरी के हाथ में हम यह बता देना चाहते हैं उसका किस प्रकार से उपयोग होगा ? आपका कथन यह है कि कुछ संस्थाएं हैं जो ड्रिल कराती हैं जो ट्रेनिंग देती हैं और यहां पर घृणा पैदा करती हैं और वे ऐसी संस्थाएं हैं कि उनको अनलाफुल करार करना जरूरी है । आप श्रीमन् स्वयं धारा 4 के अन्दर कहते हैं:

"Unlawful association" means an: association—(i) which has for its objec any unlawful activity or which encourage or aids persons to undertake any unlawfi activity, or of which the members undertak such activity.

तो क्या आप बतला सकते हैं, अभी तक ऐसी कितनी संस्थाएं हैं जिनके लिए सेक्शन 4 की आवश्यकता है इस प्रकार की असेम्बली को अनलॉफुल करार देने के लिए । तो मुल्क में अगर एसी संस्थाएं हैं तभी तो सेक्शन 4 की जरूरत है । आखिर कौन सी एसी संस्था है ?

श्रीमन्, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं । जो व्यक्ति हिंसात्मक होता है

[श्री बनारसी दास]

जो व्यक्ति हिंसा करने और हिंसा के बल के ऊपर समाज में अपने को लादने का प्रयास करता है वह कभी भी अपने आबजेक्टिव्ह को ऐसा नहीं बना सकता जिससे कि सरकार को उन पर प्रहार करने का मौका मिला। ज्यादातर ऐसी असेम्बली होती हैं जो सीक्रेट प्लान करती हैं और हिंसात्मक काम करती हैं। तो इस प्रकार, हिंसा और असत्य, ये दोनों चीजें एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो व्यक्ति हिंसा में यकीन करेगा वह व्यक्ति झूठ और असत्य के अन्दर भी यकीन करेगा—उसके लिए साधन की पवित्रता कोई मानी नहीं रखेगी। मैं चाहता हूं, अनलाफुल असोसिएशन की व्याख्या बदली जाए। जैसे आपने कहा—

> "Unlawful association means any association"

मैं यह समझ नहीं पाया जब आप कहते हैं:

> •'Provided that nothing contained in sub-clause (ii) shall apply to the State of Jammu and Kashmir."

तो आपका मतलब है कि जम्मू और काश्मीर एक ऐसी रियासत है जहां इस कानून की जरूरत नहीं हैं। कल मेरे एक दोस्त कह रहे थे काश्मीर में कुछ तत्व हैं—वहां पर एन्टी प्लेबिसाइट फ्रन्ट था, वहां पर बहुत सी चीजे थीं—बहुत दिनों तक आपने शेख अब्दुल्ला को वहां से इन्टर्न किया, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं: क्या शेख अब्दुल्ला के विचार बदल गए थे, उनकी नीति में परिवर्तन हो गया था, या ये समझें कि विसडम इस की डिमान्ड करती है कि शेख अब्दुल्ला को इन्टर्न करने से ज्यादा बेटर होगा पोलिटिकल लेवल पर डील करने का। तो अगर देश के अन्दर कुछ साम्प्रदायिक संस्थाएं हैं और मैं जानता हूं कि कुछ संस्थाएं प्रचार करती हैं, लेकिन उनको डील करने का तरीका राजनैतिक है। श्रीमन्, जब पहले सदन में, पार्लियामेन्ट के अन्दर यह मांग आई थी, लोकसभा के अन्दर यह मांग आई थी कि कुछ संस्थाएं हैं जो साम्प्रदायिक हैं और उन्हें अनलाफुल डिक्लियर कर दिया जाय। इस प्रकार प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि इन पर सफलता पूर्वक डील करने का तरीका राजनैतिक है, न कि कानून का सहारा लेना। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि इतना बड़ा बहुमत आपको मिला है, जनता का समर्थन आपके साथ है, तमाम नैतिक समर्थन आपको प्राप्त है। इस सदन के अन्दर, लोकसभा के अन्दर, आपका दावा तो यह है कि 1971 से भी अधिक 1972 में जो असेम्बलीज के चुनाव हुए, उसमें तमाम जनता आपके साथ है। इतना बड़ा समर्थन जनता का प्राप्त करने के बाद फिर यह बतलाइए कि आप रावण के तरीके से अपनी भुजाओं को क्यों बढ़ाना चाहते हैं?

आज जितने कानून आपके पास हैं, अगर ईमानदारी के साथ उनका प्रयोग किया जाय, तो क्या वे नाकाफी हैं। सवाल तो यह है कि जब कानून के द्वारा अधिकार दे दिये जाते हैं, तो उसका उपयोग होगा या दुरुपयोग होगा? अभी इलाहाबाद के अन्दर एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था, उसके पास कुछ लोग मेमोरेन्डम लेकर गये और वहां पर करीब 200 आदमियों को गिरफ्तार कर लिया गया। सवाल यह है कि पागल आदमी को बन्दूक दे दी जाय, तो इस बात की क्या गारन्टी है कि वह पागल आदमी इस बन्दूक का नाजायज इस्तेमाल नहीं करेगा? इस कानून का प्रयोग मिर्धा जी नहीं करेंगे, श्रीमती इन्दिरा गांधी नहीं करेंगी और न ही श्री दीक्षित जी करेंगे। इस कानून का उपयोग किया जायेगा एक सब इंसपेक्टर द्वारा और इसका उपयोग किया जायेगा एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा। आप इस तरह की स्वीपिंग पावर्स लेना चाहते हैं तो इसकी इस वक्त क्या जरूरत है? आखिर संविधान के अन्दर एक मान्यता है जिसके मातहत हमने ओथ आफ एलीजेन्स कांस्टीट्यूशन के प्रति ली है। चुनाव

के पहले और चुनाव के बाद भी क्या कोई यहां सदन का सदस्य इस संविधान की मान्यता को नहीं मानता है, जो इस बात को नहीं मानता है कि हमारा करैक्टर सिक्यूलर है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो इसका विरोधी है कि जो हमारी कांस्टीट्यूशन की आधारशिला हैं—इक्वेलिटी, फ्रैटर्निटी, डैमोक्रैसी, लिबर्टी, जो इसके अन्दर यकीन नहीं करता ? क्या कोई इस तरह का सदस्य है जो नहीं मानता है कि जो यहां रिलीजस, लिंग्विस्टिक, हर तरह की माइनारिटी का प्रत्येक व्यक्ति को यहां पर संस्था बनाने का और अपने विचार रखने का अधिकार है। जब सब लोग कहते हैं तो हमको भी इसके फेस वैल्यू पर मानना चाहिये।

लेकिन श्रीमन्, केवल इस डर की वजह से कि कुछ व्यक्ति को ट्रेनिंग देंगे, कुछ व्यक्ति अपना यहां लक्ष्य रखेंगे, कुछ व्यक्ति दूसरों के प्रति घृणा प्रकट करते हैं, कुछ व्यक्ति दूसरों को एन्टी नेशनल कहते हैं, तो आज जो वस्तु-स्थिति है उससे तो ऐसा मालूम पड़ता है कि हर कम्युनिटी के अन्दर इस तरह के व्यक्ति मौजूद हैं जो एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं। यह भी सही है कि कभी-कभी कम्युनल रायट्स होते हैं, लेकिन इसको दबाने का तरीका क्या है ? इसका एक ही तरीका है और वह वह है कि 1931 में कानपुर के अन्दर गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपनी शहादत देकर वहां पर कम्युनल रायटस को दबा दिया था। उसका तरीका यह था जैसा कि लार्ड माउन्ट-बेटन ने कहा। एक तरफ आपकी मिलिटरी थी और एक तरफ बंगाल के अन्दर गांधी जी अकेले थे। उन्होंने कहा—वन मैन बाउन्डरी फोर्स। गांधी जी के पास बलिदान करने की शक्ति थी और जो वहां पर कम्युनल ज्वाला भड़क रही थी उसको उन्होंने दबा दिया। तो एक सवाल यह है कि आपको इस देश का विश्वास प्राप्त हुआ है, क्या आपके अन्दर नैतिक बल है, क्या आपके अन्दर सदाचार है, क्या आपके अन्दर प्रत्येक नागरिक के लिए दर्द है, क्या आप सिक्यूलर मान्यता के अन्दर यकीन करते हैं ? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने इस तरह का अवसर आकर के भी नैतिक बल का सहारा लिया और इस तरह की घटनाओं को रोकने का प्रयास किया ? आप तो केवल पाशविक बल के आधार पर इस सवाल को हल करना चाहते हैं। यहां जो-जो इन्टेंशन जाहिर किये गये हैं वे नेक हैं लेकिन शैतान भी शास्त्र की दुहाई दिया करते हैं।

जब मैंने डा० जैड अहमद को सुना तो मुझे ज्यादा शुबहा हो गया। डा० जैड अहमद हमारे साथी थे। वे पीपुल्स वार कहने लगे थे 1946 में। लेकिन 1946 के बाद उन्होंने यह समझा कि अब सशस्त्र क्रान्ति का अवसर आ गया है और उन्होंने तेलंगाना में सशस्त्र विद्रोह करने का प्रस्ताव पास किया। क्या वे समझते थे कि अनलाफुल असेम्बली को रोकना चाहिये। उस वक्त भी हम समझते थे कि कागज पर कम्युनिस्ट पार्टी को अनलाफुल करार दे दिया है, लेकिन कम्युनिस्ट विचारधारा रुकी नहीं, अन्दर की तरफ से रास्ता बन गया और लोगों के अन्दर गई। अगर कम्युनिज्म अच्छी चीज है तो लोगों को समझने का मौका दिया जाना चाहिये और उस पर किसी तरह का कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाना चाहिये। यह मैंने अर्ज किया कि कम्युनिज्म पर प्रतिबन्ध लगा कर के अन्दरूनी सबवर्सिव ऐक्टिविटीज का प्रचार करने का मौका दिया गया।

श्री ओउम् प्रकाश त्यागी: आज भी दिया जा रहा है।

श्री बनारसी दास: कांग्रेस की स्थापना भी आखिर क्यों हुई। अंग्रेज भी उसके पीछे शामिल थे, 1857 की फर्स्ट वार आफ इंडि-

[श्री बनारसी दास]

पेंडेंस के बाद अंग्रेजों ने सख्ती के साथ देश का दमन किया और जब सख्ती के साथ उन्होंने आजादी की चिनगारी को, दबाने की कोशिश की तो खास तौर से महाराष्ट्र के अन्दर इस तरह की समितियां बनीं, बंगाल के अन्दर इस तरह की समितियां बनीं जो कि सशस्त्र क्रांति के द्वारा इस देश के अन्दर विदेशी शासन का अन्त करना चाहती थीं। अंग्रेजों के अन्दर बुद्धिमत्ता आई और बड़े बड़े राजनीतिज्ञों ने इस चीज के ऊपर विचार किया कि ऐसी कोई संस्था होनी चाहिये जिस से लोगों का आक्रोश, लोगों का क्षोभ, लोगों की जो राष्ट्रीय मान्यताएं हैं उनको एक स्तर पर आने का मौका मिले ताकि वे अन्दर की तरफ जा कर एक ज्वालामुखी का रूप धारण न कर सकें। इस लिये इंडियन कांग्रेस कायम हुई।

श्रीमन्, यहां पर रोलट ऐक्ट पास हुआ। आप जानते हैं कि उस समय पंडित मदन मोहन मालवीय, स्वर्गीय मोती लाल नेहरू और लाला लाजपत राय यहीं पर थे और श्री विट्ठलभाई पटेल प्रेसाइड कर रहे थे और जब हमारी जनता की मांग को ठुकरा दिया गया तब यहां पर इसी असेम्बली के अन्दर भगत सिंह ने आ कर के कहा कि जनता की आवाज इन बहरे कानों के अन्दर नहीं पहुंच सकती और अब इन बहरे कानों को खोलने के लिये बमों की जरूरत है और यही बमों का विस्फोट किया गया। तो क्या रोलट ऐक्ट ने हमारी भावनाओं को दबा दिया। उसको ले कर के महात्मा गांधी 1919 में गये थे और यहां पर जलियांवाला बाग कांड हुआ था। डा० सत्यपाल ने कहा था कि यह ऐसा कानून है कि नो वकील, नो अपील, नो दलील। तो क्या इस तरीके से लोगों की भावनाओं को दबा दिया गया था।

गांधी जी की मान्यताएं ये नहीं थीं। गांधी जी यह कहते थे कि मैं हर सत्ता की वृद्धि पर बड़ी शंका की दृष्टि से देखता हूं क्योंकि सत्ता आदमी को बेहोश बना देती है, सत्ता में आदमी पागल हो जाता है। इस लिये सत्ता के अन्दर रहने वाले जो लोग हैं उनके लिये आवश्यकता होती है ब्रेक की, आवश्यकता होती है एक लगाम की, अंकुश की। वह उनके लिये भी आवश्यक है ताकि सत्ता की बेहोशी में आ कर वे कहीं खुदकुशी न कर लें। इस लिये उस खुदकुशी से बचाने के लिये, मुल्क को गलत परम्पराओं से बचाने के लिये आवश्यकता है कि मुल्क के अन्दर एक संयम हो। गांधी जी ने कहा था कि जब कंट्रोल फ्राम विधिन होता है तो वह एक डिसिपलिन होता है और वह अहिंसात्मक होता है और जब समाज में कंट्रोल फ्राम विधाउट होता है तो वह हिंसात्मक होता है। अभी जब आप आज़ादी की सिलवर जुबली मनाने जा रहे हैं तो वैसे तो आप गांधी जी का नाम ले लेते हैं, लेकिन आप का क्या कहीं नैतिक कानूनों पर भी कोई यकीन है। मैं आप से अर्ज करना चाहता हूं कि इस कानून को आप बना दीजियेगा, आप डिक्लेयर कर दीजियेगा, कुछ संस्थाओं को आप गैर कानूनी नोट करा लीजियेगा और यह बात यहां पर रेकार्डेड रहेगी कि आप का यह विधेयक, आप का यह अनलाफुल किसी संस्था को करार देने का नापाक इरादा इस देश के अंदर सांप्रदायिकता को सतह से बाहर ले जाकर उभार देगा। मैं उन व्यक्तियों में से हूं जिन्होंने सांप्रदायिकता का मुकाबला किया है, हमलों को बर्दाश्त किया है, चोटें भी खायी है और अंग्रेज का मुकाबला भी किया है और उन के बेंत भी खाये हैं, लेकिन मैं आप से अर्ज करना चाहता हूं कि आप सोचें कि हमारा मकसद और इरादा क्या है? किस तरह से हम क्या चाहते हैं। मैं आप के साथ सहमत हूं किसी रिलीजस कम्युनिटी पर, किसी भी तबके पर किसी व्यक्ति को इस बात का अधिकार नहीं हो सकता कि वह उस की वफादारी पर, उस की राष्ट्र निष्ठा पर किसी तरह का शुभाह करे और न किसी दल को, न

किसी व्यक्ति को या न किसी समूह को इस बात का अधिकार है कि वह लाफुल गवर्नमेंट के खिलाफ किसी तरीके से शस्त्रों के जरिये उस को हटाने का प्रयास करे। मैं जानता हूं कि कानून की भुजायें काफी लम्बी हैं। इंडियन पीनल कोड में बहुत सी ऐसी गोलियां अभी तक हैं जिन का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया जा सकता है। आप के पास 67 का कानून मौजूद है, लेकिन आज के वातावरण के अंदर जैसी कि बंगाल के अंदर आप को पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव ऐक्ट तो था लेकिन क्या परिस्थिति थी। आफिसर से क्या कहते थे कि इस पर डबल मार्किंग करो या प्रेसाइडिंग अफसर को या एलेक्शन कमीशन को कह दिया गया था कि यहां पर दूसरी पार्टी के एजेंट को नहीं आने दो, क्या पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन ऐक्ट में कह दिया गया था कि एलेक्टोरल ला को उखाड़ कर के फेंक दो और एलेक्टोरल लिस्ट को बदल डालो, तो वहां उस कानून का दुरुपयोग हुआ उन एलेक्शन अधिकारियों द्वारा और उस के फलस्वरूप आज मैसिव विक्ट्री आप को मिली है। (*Time bell rings*) श्रीमन्, आज के दिन का काम बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में नहीं आया, सत्ता के कार्यक्रम में आप ने इस को नहीं रखा, आप ने इस को पहले कोई प्रायरिटी नहीं दी, लास्ट मिनिट पर एक सनक आयी कि इस बिल की आवश्यकता है। तो लास्ट मिनिट की सनक पर यह बिल आया। चूंकि सनक के साथ यह बिल आया है इस लिए इस पर हम को कम से कम अपने विचार पूरी तरह प्रकट करने का मौका मिलना चाहिए। तो श्रीमन्, मैं, आप से निवेदन करना चहता हूं कि आज प्रधान मंत्री जी और हमारे दूसरे मंत्री एक वालंटरी एसोशियेशन बनायें कि वह सांप्रदायिकता के खिलाफ अहिंसात्मक शान्तिमय ढंग से प्रतिरोध करेगा और मेरा नाम आप उस में लिखिये। परीक्षा के अंदर आप देखेंगे कि हमारी तरफ बहुत से लोग बैठे हैं इस सांम्प्रदायिकता का मुकाबला करने के लिए, एंटी सोशल एलीमेंट्स का मुकाबला करने के लिए, सबवरसिव एक्टिविटीज का मुकाबला करने के लिए, उस में हम किसी से पीछे नहीं रहेंगे, लेकिन श्रीमन्, मेरा कथन इतना ही है कि यह जो कानून आप लाना चाहते हैं यह आज क्यों लाना चाहते हैं। साल डेढ़ साल हो गया आप को यहां आये हुए, 71 में आप को मैस्सिव मैंडेट मिला था जनता का, अभी 72 में फिर मिला, एक बात मैं आप से अर्ज करना चाहता हूं कि जब आप को इस प्रकार से डेमोक्रेसी पर रेप करना है, जब आप को इस प्रकार की बात सदन में करनी ही थी तो कम से कम इतनी डीसेंसी तो आप कायम रखते कि आप इस को यहां इस तरह से न लाते क्योंकि आप को कोई लोकमत की तो चिन्ता है नहीं। आप कहते हैं कि लोकमत तो हमारे साथ है। कुल 22 परसेंट जनता ने आपको वोट दिया, एलेक्टोरेट हो क्या इंडिपरेंट, कोउ होय राजा, कोउ होय रानी, चेरी छोड़ न होउब रानी, वह डेमोक्रेसी का रूप आप ने कर दिया, तो ऐसी सूरत में कम से कम ज्यादा खूबसूरत बात होती अगर आप इस को इस तरह से सदन में न ला कर आर्डिनेंस के जरिये पास करा लिये होते, और इस प्रकार सेशन आने पर आप को फिर इस पर विचार करने का अवसर मिलता। आप इस को पास न करें और जैसी मेरे दोस्त श्री टी. एन. सिंह जी ने सलाह दी है आप रेस्पेक्ट करें सेंटीमेंट्स की। आप को सेंटीमेंट का आदर करना चाहिए जैसा कि जवाहर लाल जी करते थे। नागपुर में कांग्रेस हुई। श्री सी. आर. दास एक अमेंडमेंट ले आये गांधी का बहुमत था। उन्होंने कहा कि यह डायलूट तो हो जायेगा। लेकिन सी. आर. दास का हमें समर्थन मिलेगा यह एक बहुत बड़ी चीज होगी। गांधीजी ने बहुमत में होते हुए भी उसको वापस ले लिया। इसी प्रकार कौंसिल इंट्री का सवाल था तो उन्होंने कहा कि आप इसका एक्सपेरीमेंट कर लें,

[श्री बनारसी दास]

देख लें। तो यह परम्परायें थीं। मुझे आज आश्चर्य हुआ कि दीक्षित जी जो उन परम्पराओं के अन्दर पले हैं, वह उनका ध्यान नहीं करते। 1948 के बाद के लोगों की बात छोड़ दी जाए लेकिन जिनका पोषण और जन्म उन परम्पराओं में हुआ वह आज उनका अनुकरण नहीं कर सकते तो इतना तो वह कर सकते थे कि इसके बारे में तमाम सदन का सहयोग प्राप्त करते। यह प्रश्न किसी गवर्नमेंट का ही नहीं है, लेकिन वह यह तो कहते कि हमारा कोई इरादा किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के खिलाफ पोलिटिकल वेंडेटा से काम करने का नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को यहां पर एक आजादी है। तो मैं समझता हूं कि कुछ ऐसे विषय हैं जो कि दलगत राजनीति से ऊपर हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि राष्ट्रीय प्रश्न हैं। जैसे मुल्क पर एक संकट का समय था क्या उस समय किसी व्यक्ति ने आप को सहयोग देने से इन्कार किया था? इतने सारे आपने कर लगाये, सात सौ करोड़ के, किसी व्यक्ति ने उन पर एतराज किया। आपने तमाम देश में इमरजंसी डिक्लेयर की, क्या किसी ने एतराज किया। यह है हिन्दुस्तान की मैच्योरिटी का, हिन्दुस्तान की मान्यताओं के प्रति निष्ठा का, हिन्दुस्तान के संविधान के प्रति वफादारी का सबूत। आपने स्वयं इसका परिचय देखा। ऐसी स्थिति में क्या जरूरत थी! यह सोचते हैं कि हम रेपाजिटरी आफ विसडम हैं, हम इनफैलेबिल हैं, जैसे कि किंग कैन डू नो रांग वैसे ही हम कोई गलती नहीं करते, तो हमें आश्चर्य है, खेद है। जनता हमारे साथ है, मिलिटरी हमारे इशारे के ऊपर है, तो क्या जरूरत है, यह तो हमारी शान के खिलाफ या हमारी सत्ता के खिलाफ है कि हम किसी से बातचीत करें। तो ऐसे ईश्यू को मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि फैंग एण्ड में लाने की क्या जरूरत है। मेरे वरिष्ठ साथी श्री टी. एन. सिंह ने कहा कि माननीय नेता सदन स्वयं अपनी तरफ से इस विधेयक को सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दें, जिसका मतलब यह है कि जो भावनायें आपने प्रकट कीं कि यहां पर साम्प्रदायिकता रुके, दंगे न हों, सबवर्सिव एक्टीविटीज न हों, उनसे आन प्रिंसिपिल हम सब सहमत हैं लेकिन प्रश्न यह है कि उसका हल हमारी दृष्टि से दूसरा हो सकता है। उसका रास्ता हमारी दृष्टि से दूसरा हो सकता है। हम पूरी तरह से, सहृदयता से, पूरी अपनी शक्ति के साथ सहयोग आपको देना चाहते हैं लेकिन सवाल यह है कि आप शब्दों से नहीं अपने दिल से हिन्सा निकालिये। हिंसा के माने मारना नहीं, हिंसा के माने यह कि जो आपके अन्दर तकब्बुर है, ताकत का नशा है, बार बार कहते हैं—वी आर दि कांस्टीट्युशन, वी आर दि कंट्री, वी आर इंडिया, यह जो आपका तकब्बुर है यह मैं आपसे कहना चहता हूं कि यह मुल्क को विनाश के रास्ते पर ले जा रहा है, इससे डेमोक्रेसी को नुकसान हो रहा है।

तो, श्रीमन्, मेरे दोस्त श्री टी. एन. सिंह ने जो कहा, मैं माननीय नेता सदन से अपील करना चाहता हूं कि वह स्वयं अपनी तरफ गम्भीरता के साथ, शान्त वातावरण में इस राष्ट्रीय समस्या पर विचार करने के लिये मौका दें। क्या जरूरत थी आज सदन को बुलाने की। कल आप पास कर लेते।

श्री ओ३म् मेहता : कल आपने कहा था।

श्री बनारसी दास: इसलिये, श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि रश न कीजिये, थोड़ा विवेक से काम लीजिये। जैसे कि बिना भोजन मिलने से भी मृत्यु होती है और ज्यादा खाने से भी मृत्यु हो जाती है तो कहीं सत्ता की बदहजमी से आप स्वयं को, जनतंत्र को, समाप्त न कर ले इसलिये संयम से काम लें।

SHRI BRAHMANANDA PANDA (Orissa) : Mr. Deputy Chairman, I was listening, to my friend Shri Banarsi Das very

sweetly misinterpreting history. He was citing instances from the days of our freedom struggle. But he very cleverly forgets that we are now in a phase where we have to consolidate that freedom. The techniques that we used during the freedom struggle are not necessarily the same when we have to consolidate our freedom. So, I will not go into the details of his speech nor will I answer him point by point. But for people like me and Shri Ahmad, this is a serious Bill. I would rather say this is a historic Bill. It is, therefore, no surprise if some friends on the other side may think of obstructing it or may feel concerned about its passage. We are equally concerned about passing this Bill.

Sir, history changes and historical moments do not come by mere calculations. This, I say, is a historic Bill. It has consequences which are very farrea-ching and I feel that this is a very important step, rather a very effective step, in the process of consolidation of our freedom.

Sir, what have we seen during the last 25 years ? Associations, groups of people, misdirected youngesters, all these people take law in their hands, thinking they can have the licence to do anything, in the name of liberty and, Sir, liberty is not licence. Sir, a country like India, especially after the emergence of Bangla Desh, which is a country that believes in democracy, secularism, socialism and nationalism, should also take lessons from history and see that the Indian community as a whole should have that attitude and bent of mind to build up a nation on the lines, many times expressed, many times elaborated, by our Prime Minister, that India is going to be inimical to nobody, that India should become a country where people of different sections sho i!d live in harmony. Sir, we have seen communal riots. For minor things, for small things, there are people inside this cou ury, various types of elements, who disturb the harmony and peace of their particular region. So, I am surprised when my friends from the Jana Sangh ask, "What is the necessity of bringing forward this Bill at this time, on the last day of the session ?"

Sir, I would humbly submit that there is a saying that God sees the truth, but waits. , In the same manner, the Government alsc was waiting for the particular time when i should bring forward this Bill. Althougl Dr. Ahmad could have seen this Bill tntro duced in this House years ago, at least nov the time has come when *i* is necessary t< introduce the Bill and get it passed.

SHRI LAL K. ADVANI : You are sun that it will be passed ?

SHRI BRAHMANANDA PANDA : am not an astrologer nor do I have any faith in astrology because there are quacks and fake people. I believe in my owr conscience and in the ideals of my part; . . . *(Interruptions)* . . . Sir, I have seei certain organisations conducting the so-callei excercises and drills. But they say that wi are Hitlerites. I had one experience in m home town of Berhampur where the grea Guru came and wanted to address certaii youngsters. The feeling that they have, th type of anogance that they maintain, th< type of gravity that they assume, all ar nothing less than that of the stormtrooper of Hitler of these days. So to say that w are Hitlerites and followers of Mussolir and all that is wrong. We are the humbl followers of Mahatma Gandhi and Pand Jawaharlal Nehru. We could never thin of becoming Hitlerites. We waited for lor and what this Bill proposes to do is exactl to prevent fascist tendencies developing i this country.

DR. BHAI MAHAVIR : You are mu dering Gandhi's name day in and day out

SHRI PREM MANOHAR : Have yc got the guts to criticise Shrimati Indii Gandhi ? Can you criticise her ?

SHRI BRAHMANANDA PANDA Why should I ? Why snould I go on abusi/ anybody without any justification ? That not my job . . . *(Interruptions)* ... I have conscience of my own and I follow n leader. Sir, since Ii<71, the people of Ind have seen and have shown who the lead of India is and who is guiding the destii of India.

You may say anything. But the peor. have given their verdict . . . *(Interruption* You have to wait and y>
1 P. M- have to work along your *o* lines. It is no use intern tng me or shouting at me. I am a vi

(Shri Brahmananda Panda] peaceful man. I do not get ruffled. Howsoever you may shout, I will never get ruffled. I know I am solidly standing on my own feet and I know what I stand for. .

(Interruptions)

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Will you continue after Lunch *?*

SHRI BRAHMANANDA PANDA: If you so please.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : The House stands adjourned for launch till 2.00 p. M.

The House then adjourned for Lunch at one minute past one of the clock.

The House re-assembled after lunch at two of the clock, THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAM SAHAI) in the Chair.

SHRI BRAHMANANDA PANDA : Mr. Vice-Chairman, Sir, I was developing my point before the House adjourned for lunch that a historic moment goes through many processes just like the blossoming of a flower from bud. Sir, after 25 years of frfedom, after seeing so much hellfire in linguistic killings, in regional tensions and communal riots, when we are going to celebrate the jubilee of our freedom, I think we should now take up things seriously, so that the coming years, the coming decades, will help us to stand solidly on a sound economic basis for the development of our culture and for the progress of our democratic traditions.

Sir, Members from the other side feel that this Bill is being introduced to wreak vengeance on certain political organiza-tions...

SHRI B. K. KAUL (Rajasthan) ; How do you say 'all Members' ? You may please correct yourself.

SHRI BRAHMANANDA PANDA: I am not saying that. Sir, we have no such motive behind this Bill. And if we are to wreak vengeance on anything and wage war against anything, it is poverty— not political organizations, Sir, in our fight against poverty we want that all sections of society should join hands and cooperate with one anothr to fight against this evil of our country.

I have many friends among the Jan Sangh members, who talk of culture, who talk highly of democracy. But I would like to pose one question to my friends in those benches; Can they say that they have done anything in these years to develop our culture or to safuguard our democracy. Sir, our culture has stood for the sands of years, And if Culture does nothing, it ennobles a man. It will not preach violence, it will not preach hatred, it will not preach communal tension, it will rot preach linguistic riots or disturbances or whatever you call them. So, Sir, we are now finding ourselves as a ration that we have not a role to play in India alone we have a great role to play in the whole world. In that case I must make my friends, specially my Jana Sangh friends, understand that our culture is a composite culiure and our strength lies, the strength of our unity lies in our diversity. Therefore, any citizen of India, whichever class, whichever race, whichever linguistic group or whichever religious group he may belong to has a right, as an Indian citizen and within the framework of our Constitution, to develop his personality, to develop his outlook, and he can develop in any line in the pursuit of knowledge.

As I was saying, this is a historic Bill. After a year people will know that there came a time in India when the Government, a? the custodian of law and order in this country, wanted to enact this legislation so that communal harmony, peace and co-operation would not be disturbed amongst the different classes of people that Jive in the country.

SHRI MAN SINGH VARMA: What do yon mean by "composite culture" ? Please explain the word "composite".

AN HON. MEMBER: He is not taking a class.

SHRI BRAHMANANDA PANDA ; What is civilization ? Civilization is the

material equipment of an age. It may change from time to time. As te;hnology and science develop the technique of civilization also changes but culture is a perennial stream fed by different thoughts, defferent faiths—as the Ganga is not Ganga the same as; you get so many streams flowing into it. So you cannot sny that our culture is a purely Hindu culture; you cannot say it is a purely Muslim culture...

SHRI PITAMBER DAS: But it is never known as a composits river. It retains iti Mime as the Ganga till the end.

SHRI BRAHMANANDA PANDA: There are so many streams that come to the Ganga.

SHRI PITAMBER DAS: But it retains the name of Ganga up to the end. It is never known as a composite river even with other streams in it.

SHRI BRAHMANANDA PANDA; You may forget it but the Ganga never forgeis that it has come out of the ocean.

DR. BHAI MAHAVIR: Come out of the ocean ?

SHRI BRAHMANANDA PANDA: It never forgets that it has come out of the ocean.

DR. BHAI MAHAVIR: Has the Ganga started running upwards towards the mountains ?

SHRI BRAHMANANDA PANDA: Apply a little amount of common knowledge you will know.

DR. BHAI MAHAVIR: Topsy-turvy knov, ledge.

SHRI BRAHMANANDA PANDA: This is not a seminar—we need not discuss about it.

DR. BHAI MAHAVIR: That is the best way of escape.

SHRI BRAHMANANDA PANDA: Some friends there whispered that we murdered Mahatma Gandhi. Then I said we are the humble followers of Mahatma Gandhi and Pandit Nehru. The wortd knows who physically destroyed Mahatma Gandhi. So far as his ideals are concerned, we know in what way we are going and if there is the *aima* of the Mahatma it will know that we have not digressed from them. He stood for the common man; he stood foe the poor, the downtrodden, the lowest of the lowly. And now that we have our war against poverty we are taking up those lines. Our predecessors had laid down certain guidelines, certain processes to develop the nation and we are following them.

So, friends, I will not take much of your time. I am very happy that this Bill has come and 1 hope that it will get the full support of the House and also that this discussion on this Bill will show us, to the House and to the country at large the coming pattern of political aligmnents in this country. I will not be surprised if Dr. Mahavir resents this Bill. I do not know why my good friend, Shri Sasankasekhar Sanyal also is silent in the House. One from the extreme right and my Dada from the extreme left and in between those friends is my friend, Shri Banarsi Das who says "Why should they worry ?"

SHRI BANARSI DAS; My only worry is that you are fanning communalism.

SHRI BRAHMANANDA PANDA: It is no worry. You try to think over it a little and you will come to the solution. Those benches to which my friend belongs will not serve as a buffer between the Jana Sangh and the CPI (M) and if you are going to camp where you do not desevre to be it will be at your own risk and at your own peril.

SHRI BANARSI DAS: You are the best friend of the Jana Sangh.

SHRI BRAHMANANDA PANDA: I am a friend of all those who stand for the common man, those who stand for socialist ideals.

श्री शशांक शेखर सान्याल : भाई, हम लोग तो एक ही रेस्टोरेंट में खाना खाते है भोर एक ही बाथ रूम में जाते हैं।

SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE: You bring in bathrooms here.

SHRI BRAHMANANDA PANDA : I do not know whether the Dada is more interested in it than in food.

Sir, I may conclude by saying that this is a Bill which has been introduced at the right time. We cannot have more tensions, more ill-feelings more hatred, more violence in the country.

SHRI MAN SINGH VARMA: What is the purpose of the Bill ?

SHRI BRAHMANANDA PANDA : The purpose is to stop such vociferous tendencies that go against the nation.

SHRI O.P. TYAGI: What about anti-national activities ?

SHRI BRAHMANANDA PANDA: There are many forums where you can ask these questions. Tomorrow outside you will go before th« people and we will also go, Let us place it before the people and ask Ihem whether they want violence, communal riots, linguistic riots. Suppose I have a pen; naturally I will use it for writing purposes aud suppose my friend has a revolver; he will naturally become trigger happy. Suppose some one has a lathi. .

SHRI BRAHMAffADA PANDA: A democratic country, where there is a deniocracically-elecred Government, which has got a massive mandate of the largest number of people of the country, cannot afford to permit private armies or private mercenaries being maintained or trained for that purpose. So, I will appeal to the House to give its fullest support to this Bill which will write a new chapter in the Indian history in tne sense that the coming decades will be free from private armies, will be form the preaching or hatred against class and class, against community and community. Ultimately, it will help India flourish into a State where we shall be proud to say that we are Indians, that we have not swerved from the path laid before us by Mahatma Gandhi and pandit Nehru.

SHRI MAN SINGH VARMA: Do you believe that such a Bill can *serve any* purpose ?

SHRI BRAHMANANDA PANDA: That reply you can have from the Home Minister.

डा० भाई महावीर (दिल्ली) : उपसभापति जी, यह बिल इस सदन के सामने रखा गया है—दंड विधि संशोधन विधेयक, इसके बारे में मैंने जानने की कोशिश की कि सरकार इस बिल को एकाएक लाना क्यों जरूरी समझती है। मैंने प्रश्न किया था कि आज तक सरकार के पास जो शक्ति है उसका उपयोग कहे गये उद्देश्यों को पूरा करने लिए कैसे किया गया और कहां उस शक्ति में कमी पड़ी इसके बारे में कुछ बताया जाय। लेकिन कुछ बताया नहीं गया। जो कुछ मंत्री जी को लिखा हुआ मिला था वह उन्होंने आकर पढ़ दिया और कह दिया कि इस में सब कुछ आ गया। कहने को कहा जायगा कि इस बिल में, इस विधेयक में किसी का नाम तो नहीं है, आप को क्यों लगता है कि यह आप के ऊपर ही लागू किया जाएगा। मैं समझता हूं कि इस में भी कोई संदेह की गुंजाइश नहीं छोड़ी गयी क्योंकि पिछले दिनों में सरकार ने जिस तरह के संकेत दिये हैं उन से एक प्रकार से बिलकुल स्पष्ट कर दिया गया है कि किस नीयत से इस विधेयक को लाया जा रहा है। पिछली बार लोक सभा में श्रीमती सुभद्रा जोशी का एक बिल आया था। वह बहुत स्पष्ट था और मंत्री जी ने जवाब देते हुए कहा था कि हां, हम इस के बारे में इसी सूत्र में एक बिल लाने का इरादा रखते हैं। फिर उसके बाद दो तीन दिन हुये लोक सभा में एक सवाल पूछा गया। महोदय, उस सवाल के पहले अपनी पार्टी का जो अंग विरोधी दल की तरह बैठता है 'कर्टसी' के तौर पर उसके सदस्यों को मिला कर एक मेमोरेंडम प्रधान मंत्री के नाम तैयार करवाया गया कि संघ ने यानी आर. एस. एस. ने बनारस यूनिवर्सिटी के अन्दर श्री कपूरिया का कत्ल करवाया और आंध्र में, हैदराबाद के अन्दर, उसमानिया यूनिवर्सिटी के श्री जार्ज रेड्डी का कत्ल करवाया और इन दोनों सदनों

के 150 सम्मानित सदस्यों ने आंख मूंद कर के उसके ऊपर हस्ताक्षर कर दिया । किसी को यह सोचने की जरूरत महसूस नहीं हुई या किसी के पास इतना समय नहीं था कि वह पता करता कि दोनों कत्लों के पीछे तथ्य क्या है, वास्तविक घटनायें क्या हैं । श्री कपूरिया तो विद्यार्थी परिषद की मदद से ही चुना गया था । आज श्री जार्ज रेड्डी का मामला अदालत में है। उसके बारे में लोक सभा में एक प्रश्न आया तो मंत्री जी ने वहां पर भी संकेत किया, उस में भी आर. एस. एस. के नाम को घसीटने का बरबस यत्न किया गया लेकिन जार्ज रेड्डी के कत्ल के सम्बन्ध में समाचार आ रहे हैं उन की तह में गये बगैर, इनवेस्टिगेशन के बारे में कोर्ट क्या राय देता है उसको जाने बगैर, आर. एस. एस. के ऊपर कुछ भी इलजाम जो लगाया जा सके उसे लगाने का मौका नहीं छोड़ना चाहिये इस मनोवृत्ति से भरे होने के कारण मंत्री जी ने उस जवाब में भी यह कहा कि संघ के बारे में बिल लाया जा रहा है। महोदय, जार्ज रेड्डी के बारे में जो समाचार आ रहे हैं उनसे स्पष्ट हो रहा है, मैं उसके बारे में ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि वह विषय न्यायालय के विचाराधीन है, परन्तु इतना मालूम हुआ है कि छात्रों के दो घड़ों के अन्दर पुरानी कुछ अदावत चली आ रही थी और जिस समय यह दुर्घटना हुई जिसमें जार्ज रेड्डी की मृत्यु हुई उसके पश्चात पुलिस की तलाशी लेने के बाद इनकी जेब में हथियार निकले, वह हथियार छुरा था या बाघ-नख था क्या था यह मैं नहीं जानता लेकिन हथियार निकले। किस तरह से दुर्घटना हुई, किसकी कितनी जिम्मेदारी थी इसका विचार करने का धीरज न सरकार के पास है और न ही सरकार के पक्ष में हां में हां मिलाने वालों पास है। उनको तो कोई हथियार चाहिये कि वह संघ पर आघात कर सकें और संघ पर आघात करने के लिये यह बिल लाया गया है। भूपेश जी के पत्र ने आज यह एलान भी कर दिया है कि यह बिल संघ के लिये बना है। सरकार एक अर्से से संघ पर हमला करने की तैयारी कर रही थी, औजार तैयार किये जा रहे थे, हथियारों की धार बनाई जा रही थी । संसद के पिछले अधिवेशन के अन्दर एक बिल भी लाया गया जिसमें थोड़ी सी भूल-चूक हो जाने के कारण वह वापस लेना पड़ा परन्तु सरकार ने अपना इरादा इस बारे में कभी छिपाया नहीं और उस इरादे के पोषण के लिये, उसके समर्थन के लिये, दुनिया भर के मनगढ़न्त इलजाम भी लगाये जाते रहे और कहा जाता रहा कि एक बहुत बड़ा संकट है जो कि संघ देश पर नाजिल करने वाला है और इस वास्ते संघ को रोके बगैर, दबाये बगैर देश बच नहीं सकता। जो इलजाम संघ पर लगाये गये उन सारे इलजामों की बात अगर मैं न करूं भी फिर भी दो बड़े इलजाम हैं। एक यह कि साम्प्रायिक है और इसी के साथ मिलती-जुलती बात कही जाती है कि मुस्लिम विरोधी है। दूसरे किस्म के इलजाम भी ढूंढे गये। एक इल्जाम बीच बीच में लगाया गया, कि संघ प्रधान मंत्री को कत्ल करने की साजिस कर रहा है। स्वयं प्रधान मंत्री के मुखारबिन्द से यह इलजाम निकला। एक बार नहीं दो बार निकला और दो बार हमें मौका मिला कि हम सलाहकार समिति में प्रधान मंत्री जी से सामने बैठकर पूछ सकें कि यह इलजाम आपने लगाया है आपके पास इसके क्या तथ्य हैं।

उन्होंने यह भी कहा—"जनसंघ कत्ल करना चाहता है मुझे···जनसंघ मुझे कत्ल करने की स्कीम बना रहा है"। क्या किसी देश का जिम्मेदार मंत्री इस तरह की गैर जिम्मेदारी की बात करे यह शोभा देने वाली बात है? अगर आपको कोई कत्ल करने की साजिश कहीं दिखायी देती है तो आपके हाथ में सी.बी.आई है, आपके हाथ में इन्टेलिजेन्स विभाग है, आपके हाथ में सी.आई.डी. है, आपके हाथ में क्राइम ब्रांच है, आपके हाथ में सेक्योरिटी फोर्स

[डा. भाई महाबीर]

है, आपके हाथ में आर्मी है, आपके हाथ में तोपखाना है, यह सब आपके पास होने के बाद जिन लोगों के अन्दर आप यह साजिश देखते हैं या साजिश करते पाते हैं, उनको पकड़कर क्या आप चौराहे के सामने लाकर, दुनिया के सामने नंगा क्यों नहीं कर सकते कि तुमने यह साजिश की थी, तुम्हारे ऊपर इलजाम लगाया जाता है ? इलजाम साबित करके उन्हें क्या आप सजा नहीं दे सकते ? और जो इस मामले में कसूर-बार हैं, उनके लिए हम लोग कोई अवाज उठाएं, हम चूं करें, तो जो चोर की सजा वह हमारी। लेकिन आपके पास कोई सबूत नहीं है,—आपके पास कोई दलील नहीं है, आपके पास कोई तर्क नहीं है। आप सिर्फ राजनैतिक लाभ उठाना चाहते हैं। दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालने की जो नीति आप चला रहे हैं वह चांद पर थूकने के समान है जो आपके ऊपर पड़ेगा। आज तबलचियों की हों-हों में आप सब कुछ पास करवा सकते हैं लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं : आखिर दुनिया के अन्दर "सत्यमेव जयते" की बात आप कहते हैं उसका अर्थ समझ कर कि सत्य को कितना ही दबाने की कोशिश की जाए, वह ऊपर उठेगा और जितनी जोर से दबाने की कोशिश करेंगे उतनी जोर से उठेगा और शायद जितनी देर से उसके उठने की आप को अपेक्षा है उतनी देर नहीं लगेगी, उससे जल्दी उठेगा।

परन्तु फिर भी प्रधान मंत्री ने कहा कि—उनको कत्ल करने की साजिश है। महोदय, उस समय दिल्ली के अन्दर जनसंघ प्रशासन था। दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ पदाधि-कारियों ने पता करने की कोशिश की कि पुलिस विभाग के पास क्या कोई इस तरह की धमकियों वाली चिट्ठियां आई हैं, प्रधान मंत्री के सेक्रेटेरिएट से पूछा गया, उनके प्राइवेट सेक्रेटरी से पूछा गया क्या ऐसी कोई चिट्ठियां आई है, तो मालूम हुआ किसी ने ऐसी चिट्ठी नहीं देखी। प्रधान मंत्री से जब हमने इसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने नहीं कहा मुझे कत्ल करेंगे, मैंने तो यह कहा था कि मेरा बड़ा विरोध करते थे—मानो उनका विरोध करना जुर्म है। यह क्या एक नया ऐलान हो रहा है कि प्रधान मंत्री का विरोध करना जुर्म है। हमने कहा आप भी हमारा विरोध करती हैं लेकिन क्या हम कहना शुरू कर दें कि आप हमें कत्ल करना चाहती है ? क्या इसके अन्दर कोई तथ्य होगा, क्या इसका कोई अर्थ होगा ? लेकिन अर्थ वाली बात करना यह शायद सर-कार के रिवाज में नहीं है।

एक बार एक सलाहकार समिति में मैंने प्रश्न उठाया था उस ब्यान का एक हमारी केन्द्रीय सरकार के एक उपमंत्री या राज्यमंत्री —मैं भूल रहा हूं—उनकी तरफ से जो घोषणा की गई। दूर एक पहाड़ी जगह पर, जहां तक आम दो दरख्त है उससे 20 मील आगे जाकर, उन्होंने इस रहस्य का उद्घाटन किया कि संघ वालों ने प्रधान मंत्री की हत्या करने के लिए किसी को डेढ़ लाख रुपए दिए थे—किसको दिया और कब दिया यह नहीं बताया—और फिर एक नाटकीय ढंग से जैसे चवन्नी वालों के लिए फिल्म में प्ले तैयार कर रहे हों कहा : जिन्होंने रुपए लिए उन्होंने प्रधान मंत्री की तसवीर बनाई, उसको सामने रखा, उसके ऊपर निशानेबाजी करते रहे और निशानेबाजी करने के बाद एक दिन उसकी आत्मा जाग उठी...

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही: उनकी बात झूठी थी इसलिए प्रधान मंत्री ने हटा दिया।

डा० भाई महावीर: बहुत अच्छा। यह नयी बात है कि प्रधान मंत्री झूठ बात कहने वाले को हटा देती हैं और हटा देना तो यह साबित करता है फिर भी यदी ऐसा है तो खुशी की बात है और इसी के अनुसार प्रधान

मंत्री ने संघ पर जो स्वयं इलजाम लगाया था वह सच नहीं था इसलिए अगर प्रधान मंत्री के मन से इस सिद्धांत की कद्र है, तो उनको भी अपना स्थान छोड़ना चाहिए।

तो महोदय, मैं कह रहा था इस तरह यह कहा गया कि उस व्यक्ति ने प्रधान मंत्री की एक तसवीर बनाई और उस पर चांदमारी करता रहा, और तब एक दिन उसकी आत्मा जाग उठी और उसने जा कर वे रुपए वापस किए। क्यों रुपए वापस किए? उसकी आत्मा रुपया लौटाने के लिए ही कहा यह रुपया सी. बी. आई. को दो, पुलिस को दो, प्रधान मंत्री को बताओ कि किस के द्वारा यह भयंकर साजिश की गई थी जो मन्त्री जी ने दिल्ली से बाहर, आबादी से दूर, प्रेस से परे, जा कर उद्घाटित करने का इरादा किया। क्या इस देश के अंदर यह सरकार सबको पागल समझती है, क्या यह समझती है सब लोग बच्चे हैं, कच्ची गोलियां खेलते हैं?

चुनाव के दिनों में प्रधान मंत्री ने एक और आरोप लगाया कि ये संघ वाले 1947 के पहले अंग्रेजों का साथ देते थे। महोदय, मैं उन फाइलों पर नहीं जाना चाहता—यहां दिल्ली में नेशनल आकाईव्हस में होम डिपार्टमेंट की जो फाइल्स हैं वहां जाकर अंग्रेजों को रिपोर्ट संघ के बारे में क्या थी वह देखें—"इन्टेन्सिव्हली एन्टी ब्रिटिश", ये शब्द हैं उनके संघ के बारे में।

SHRI BRAHMANANDA PANDA: May I interrupt for a minute ? You said that the Prime Minister said all these things. Now did she tell you personally or did she speak out in public ?

DR. BHAI MAHAVIR : These charges? They were made publicly.

SHRI BRAHMANANDA PANDA : People have heard about all these and they have given (heir verdict. There is no meaning in raking thetn up now.

उन्होंने यह इलजाम प्राइवेटली नहीं लगाया। जब उनसे पूछा तो कहा गया तो बोली कि मैंने यह नहीं कहा। अगर आप यह कहते हैं कि आप कत्ल करना नहीं चाहते हैं, तो मैं मान लेती हूं।

इस सादगी पेर कौन न मर जाए ऐ खुदा,
लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं।

बाहर तो इलजाम लगाया, कत्ल करने के हमारे इरादे का और सलाहकार समिति के अन्दर कहते हैं कि आप कत्ल करना नहीं चाहते तो मैं मान लेती हूं। हमने कहा कि आपने वहां जो इलजाम लगाया है बाहर कोई ऐसी सूचना है। उन्होंने यह भी कहा कि बारबार इस तरह की बात कहने का कोई मतलब नहीं है, फिर भी अनेक बार यह बात बाहर कही गई। मैं उदाहरण के तौर पे पंडा जी की जानकारी के लिए समाचार पत्र में जो यह बात छपी थी उसके बारे में कहना चाहता हूं कि समाचार पत्रों में छपे इस आरोप की तरदीद नहीं की गई। इन सारी बातों के बारे में अगर पंडा जी का यह जवाब है कि लोगों ने वर्डिक्ट दे दिया है तो मुझे···

SHRI BRAHMANANDA PANDA : All these things were published in the paper* and the people have read them during the elections and before the elections. They have given their verdict.

डा० भाई महावीर . पंडा जी के लिए सब चीजों का जवाब इस में है कि लोगों ने वर्डिक्ट दे दिया है। पंडा जी से अगर कोई कहे कि यहां पर सदन के अन्दर बिजली फेल हो गई या यहां पर कोई उनको कहे कि बाहर पुलिस का ट्रैफिक कर्मचारी खड़ा है, उसके सिर पर धूप तपती है, उसके ऊपर जो छाता है उसको बड़ा करने की किसी को चिन्ता नहीं है, तो इन सारी चीजों का पंडा जी का जवाब होगा कि लोगों ने वर्डिक्ट दे दिया है। अगर हम यह कहें कि

[डा. भाई महावीर]

ग्राप किसी बिल को लाकर के ग्रफलातफफी में पास करना चाहते है, लोगों को नोटिस तक नहीं देते, तो पंडा जी का जवाब है कि लोगों ने वर्डिक्ट दे दिया है ।

SHRI BRAHMANANDA PANDA : I am a democrat.

डा० भाई महावीर : संघ को साम्प्रदायक कहने की बात बहुत पुरानी है और जितनी बार यह बात कही जाती है, उसके साथ यह भी जोड़ दिया जाता है कि गान्धी जी की हत्या संघ ने की । मैं इस बात का जिक्र बाद में करूंगा, लेकिन मैं एक बात कह दूं कि संघ के संस्थापक ने कभी भी अंग्रेजों के साथ सहानुभूति नहीं बरती और न ही अंग्रेजी राज के प्रति नर्मी रखी । हमारे कांग्रेसी मित्रों में से बहुत सारे जिस समय देश भक्ति का अर्थ भी नहीं समझते थे, उस छोटी सी अवस्था में जब डा. हैडगवार ग्राठ साल के बच्चे थे, तब भी उनके अन्दर देश भक्ति की भावना थी । रानी विक्टोरिया की हीरक जयन्ती के अवसर पर जब स्कूल के बच्चों में मिठाई बांटी गई तो इन्होंने अपना पैकेट लेकर फेंक दिया और कहा कि एक विदेशी रानी की हीरक जयन्ती हम मनाने जा रहे हैं, हम उसकी मिठाई नहीं खा सकते हैं । ग्राठ साल के बच्चे के दिल के अन्दर इस तरह के भाव थे । उसके कुछ समय बाद स्कूल में बन्दे मातरम् के गाने के बारे में उनका झगड़ा हो गया । उस स्कूल के राजभक्त अध्यापक किसी बच्चे को बन्दे मातरम कहते सुन कर डांट देते थे । बालक हैडगवार को बंदे मातरम कहने के कारण स्कूल से निकाल दिया गया उसके बाद वे कई जगह भटकते रहे, उन्होंने स्कूल की पढ़ाई की और कलकत्ते के मेडिकल कालेज में जाकर डिग्री ली । तत्पश्चात उन्होंने कांग्रेस के अन्दर भी काम किया और कुछ देर हिन्दू महासभा में भी काम किया ।

कई आन्दोलनों में जाने के बाद उनके दिमाग के ग्रन्दर जो कल्पना ग्राई वह यह थी कि इस देश में केवल प्रस्तावों और सरकार के पास प्रतिवेदन भेजने से हम लोग आजादी के योग्य नहीं बन सकेंगे । इस देश की ग्राजादी ग्राखिर जो गई वह इस वजह से गई कि हमारे में कुछ खामियां थीं, हम में कमजोरी थी, हम में त्रुटियां थीं । किन्हीं कारणों से हमारी ग्राजादी गई । हम गुलाम बने तो इस वास्ते नहीं बने कि कोई यों ही हमारे सिर के ऊपर बैठ गया था, बल्कि हम ग्रपनी ही कमजोरी के शिकार बने थे और दूसरों के हाथ खिलौना बने, इस वास्ते हमें सैकड़ों बर्षों तक गुलामी के जुए को सहना पड़ा । यह ग्रनुभव करके उन्होंने कहा कि इस देश के अन्दर ये कमजोरियां हैं छोटे मोटे भेद, जात पांत के भेद, भाषा के भेद, ऊंच नीच के भेद, इन सबको हमें हटाना चाहिए और इन्हें हटा कर के इस देश में एकता की भावना पैदा करनी चाहिए, चरित्र निर्माण करना चाहिए, अनुशासन की शिक्षा देनी चाहिये । लोगों के जीवन को संगठित किये बगैर हम ग्राजादी की लड़ाई नहीं जीत सकते । उसके बिना ग्रगर ग्राजादी हमारे पास ग्रा भी गई तो हम उसको रख नहीं सकेंगे ।

महोदय, यह कोई पाप नहीं था, इन भावों को लेकर वे चले और उन्होंने एक संगठन का रास्ता पकड़ा । उस रास्ते पर वे चलते रहे । उन्होंने अपना सारा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया, गरीबी का जीवन व्यतीत किया और अपने वास्ते पैसे कमाने की भी कोशिश नहीं की । किसी भी वक्त उन्होंने अपने जीवन को व्यक्तिगत सुख के उपभोग की लालसा के लिए नहीं बनाया, इन चीजों को अपने रास्ते में नहीं आने दिया । उन्होंने इस प्रकार सारे देश के अन्दर एक सिरे से दूसरे सिरे तक लोगों को जात पांत के भेद से लोगों को ऊपर उठाया, छूग्रा छूत के भेद से लोगों को उपर उठाया, भाषा के भेद से ऊपर उठाया ग्रौर उनमें चरित्र का निर्माण किया, देश भक्ति का निर्माण किया ग्रौर जिस देश भक्ति के रास्ते वे चले उसी का यह परिणाम है कि ग्राज लाखों

नौजवान उस रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं।

पूछा जायगा कि सिर्फ हिन्दुओं के अन्दर यह काम क्यों हुआ ? क्या हिन्दुओं के अन्दर देश प्रेम पैदा करना कोई जुर्म है ? हिन्दू समाज अगर इकट्ठा हो करके अपने अन्दर की बुराइयों को दूर करना चाहता है तो क्या यह पाप है ? मैं यह मानने के लिए तैयार हूं कि कुछ बुराइयां ऐसी है, जो हमारे मुसलमान भाइयों में नहीं हैं। यह छुआछूत जो हमारे माथे पर हजारों सालों का कलंक है, वह मुसलमानों के अन्दर नही है। अगर हिन्दू अपने अन्दर के इस कलंक को धोने की कोशिश करता है, समाज के इस कोढ़ को नष्ट करने की कोशिश करता है, तो क्या वह पाप करता है ? अपने अन्दर की बुराई को दूर करने की हम कोशिश करें तो मैं समझता हूं कि यह कोई पाप नहीं है। इसमें क्या बुराई है, अगर हिन्दुओं से यह कहा जाय कि यह मुल्क तुम्हारा है, क्योंकि तुम इस मुल्क से बाहर कहीं नहीं जा सकते ? ऐसा कहने वाले लोग है जिन्होंने कभी यह गाया था:

"हम बुलबुलें हैं इसकी यह गुलिस्तां
हमारा।"

और बाद में उन्हीं लोगों ने गाया :

"चीनो अरब हमारा, हिन्दोस्तां हमरा"

मुस्लिम हैं हम वतन है सारा जहां हमारा, चीन और अरब को भी अपना कह कर के सारे जहां को अपना कहने वालों की भाषा भी सुनी गई। पर यहां के हिन्दू यह भाषा नहीं बोल सकते। उनके पास दूसरा कोई देश नहीं है, वे कहीं जा नहीं सकते, वे यहीं रहेंगे, यहीं पैदा होंगे, यहीं मरेंगे, इसी देश के साथ जियेंगे और इसी देश के साथ डूबेंगे। इस वास्ते अगर हिन्दू को यह जिम्मेरारी याद करने के वास्ते कहा जाय कि तुम इस देश के हो, यह देश तुम्हारा है और अगर तुम इस देश की जिम्मेदारी को नहीं निभाओगे, तुम अगर इसकी स्वतंत्रता के वास्ते, इसको बलवान बनाने के वास्ते कोशिश नहीं करोगे तो किसी के ऊपर भरोसा रख कर बैठने से काम नहीं चलेगा, तो क्या यह पाप हो गया, क्या इस से हम सांप्रदायिक हो गए ?

अगर हिन्दुओं से यह कहा जाय तो अनुचित नहीं होगा कि तुम्हारे अन्दर गद्दार पैदा होते रहे, इस वास्ते देश को धोखा हुआ, अगर मीर जाफर गद्दार था तो जय चन्द भी गद्दार था और हिंदुओं के अंदर गद्दारों की कभी-कमी नहीं रही। हम इतिहास के किसी भी पन्ने पर नजर डालें तो हम को ऐसे गद्दार मिल जायेंगे। जब महमूद गजनवी कहीं से चल कर सोमनाथ के मन्दिर तक पहुंचा तो उसको साथ देने वाले, उसको रास्ता दिखाने वाले हिन्दू मिल गये। महोदय, महाराज दाहिर को तबाह कराने वाले बौद्ध और हिन्दू ही थे। क्या हम यह नहीं जानते कि बख्तियार खिलजी दिल्ली से 18 सिपाहियों को साथ लेकर चलता है और मारधाड़ करता हुआ बंगाल तक चला जाता है, सब जगह रास्ते में मन्दिरों को तोड़ता जाता है, तबाह करता जाता है और उसको रोकने वाला कोई नही है। नालन्दा विश्वविद्यालय के हजारों छात्रों व आचार्यों को वह मार डालता है, हजारों वर्षों के संचित वहां के शोध ग्रन्थों को, ज्ञान की पूंजी को जला कर भस्म कर दिया जाता है। यह सब करने के बाद बख्तियार बंगाल का शासक बन कर के बैठ गया। क्या इस तबाही में केवल बख्तियार खिलजी का दोष था ? पाकिस्तान की सेना ने जो कुछ ढाका में किया, उससे कई सौ गुना भयंकर कांड विश्वविख्यात नालन्दा विश्वविद्यालय में घटित हुआ था। बख्तियार खिलजी का यह कर पाना दुनिया का एक अचम्भा है और इस अचम्भे का जवाब हमारे इस हिन्दू समाज की कमजोरी के अन्दर है। हम छोटे-छोटे टुकड़ों में, छोटी-छोटी जात पांत में, छोटे-छोटे भेदभाव में, ऊंच नीच की

[डा. भाई महावीर]

गुलामों की जंजीरों में फंसे रहे। इन कमजोरियों को हटाने के लिए अगर कोई कोशिश करता है तो क्या वह पाप करता है? इस सब के अन्दर अगर हम सोचें तो हमने किसी और को दोष देने की कोशिश नहीं की। हमने सोचा कि हमारी कमजोरियों के कारण यह संभव हुआ, इसलिये यदि हम अपनी कमजोरियों को दूर करें तो ही हम अपने समाज व देश की रक्षा कर सकेंगे। तो इस सब में जिन्होंने इस देश को अपनी मां माना है, जो इसकी सन्तान होने में गौरव का अनुभव करते हैं, उनको अगर हम कहें कि तुम अपनी जिम्मेदारी को समझो और उसको निभाओ, तो उसमें किसी के प्रतिद्वेष की भावना नहीं है केवल आत्मरक्षा की इच्छा है हम अपने को गंवाते चले जायं, जो भाई हमारा चला जाय उसको वापस न ले सकें, क्या यह किसी समाज के मरने का लक्षण नहीं है? कुछ पीढ़ियां पहले काश्मीर के मुसलमानों ने कहा कि हम वापिस अपने पुराने धर्म में आना चाहते हैं, हिन्दू होना चाहते हैं, लेकिन हमारे पंडितों ने कहा कि जो मुसलमान बन गये वे हिन्दू बन नहीं सकते। कौन से शास्त्र के हिसाब से उन्होंने यह कहा गया, किस सिद्धांत के आधार पर यह कहा गया यह विषय बहस का नहीं है। मेरा इतना ही कहना है कि क्या यह समाज की कमजोरी नहीं है, क्या यह समाज की दुर्बलता नहीं है और इस दुर्बलता को दूर करने के लिए यदि कोई शिक्षा दी जाय, यदि उसको दूर करने के लिए कोई चरित्र पैदा किया जाय, कोई अनुशासन के संस्कार दिए जायं तो क्या यह कोई अपराध है? अंग्रेजों के आने के समय में क्या हुआ? पुरानी गुलामी के बाद जब अंग्रेज आये तो वे हथियार लेकर नहीं आये। उन्होंने व्यापार के मार्ग को अपनाया और व्यापार की आड़ में एक को दूसरे से लड़ाया। भारत के व्यापारियों से ही कर्ज लेकर उससे भारतीयों की ही फौज बना कर, भारतीय राजाओं को अपने आधीन करके भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया। यह आखिर इतिहास है। इतिहास की यह शिक्षा लेकर यदि हमने कहा कि हिन्दुओं को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, तभी वह देश के प्रति अपने कर्तव्य को निभा पायेंगे, भारत की स्वतंत्रता की रक्षा कर सकेंगे तो क्या हमने कोई पाप किया? महोदय, अपने पिछले कथन में मैंने कुछ आक्रामकों का जिक्र किया। वे मुसलमान थे, लेकिन वे मुसलमान थे यही महत्व की बात नहीं है और न यहां के मुसलमान भाइयों को यह समझना चाहिए कि क्योंकि वे मुसलमान थे, इसलिए वे उनके थे, न हमको यह समझना चाहिए कि वे मुसलमान थे, इसलिए आज के मुसलमानों से उनके कारण हमारी कोई लड़ाई है। मैं यह कहने के लिए बिलकुल तैयार हूं कि अगर औरंगजेब ने यहां पर कोई अत्या- किया तो उसकी जिम्मेदारी आज के मुसलमानों पर नहीं मानते। हम नहीं कहते कि आज के मुसलमानों को उन अत्याचारों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, लेकिन हम एक बात जरूर कहते हैं कि आज के मुसलमान को उन अत्याचारों को गलत काम के तौर पर मानना चाहिए, कहना चाहिए कि यह नहीं होना चाहिए था। यह गलत किया गया और ऐसा करने वाले हमारे आदर्श पुरुष नहीं हैं। इस बात को वे स्वीकार करें। यह बात मुसलमानों को भी माननी पड़ेगी कि महमूद गजनवी या मुहम्मद गौरी जो अरब से चल कर आया तो वह बाहर से आने के बाद भी केवल मुसलमान होने के कारण उनका प्रिय और आदर्श नहीं हो जाता, बल्कि इस देश की रक्षा करने वाले जो लोग, उनके साथ लड़े चाहे उनका मजहब कुछ भी हो, उनको उन्हें अपना सगा समझना चाहिए, उनको अपना मानना चाहिए। यह परिवर्तन अगर मुसलमानों में आये ऐसी मांग अगर हम ने की तो क्या कोई बहुत अनुचित मांग की? यही भारतीयकरण है। भारतीयकरण के नाम पर इतना बड़ा उपद्रव उठाया गया। इस भारतीयकरण के लिए भगिनी निवेदिता ने

कहा । उन्होंने कहा था कि 'इंडिया हैज टु बी इंडियनाइज्ड' । पूरे भारत का भारतीयकरण करना होगा । यहां पर भारतीयकरण के नाम पर लोगों को पेट दर्द उठने लगता है, लेकिन यह भारतीयकरण इसके सिवाय क्या है कि इस देश के रहने वालों को हम अपना मानते हैं, उन के बीच छोटे-मोटे मतभेदों को अलग कर के, जाति और संपत्ति की सीमाओं को लांघ कर हम देश की एकता का दर्शन करें, जिसको वैदिक काल से लोगों ने कहा कि :

"उत्तरं यत्समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम्
वर्षं तत् भारतं नाम भारती यत्र सन्ततिः"

जो हिमालय से ले कर सागर जिसके दायें और बायें फैला हुआ है, उस विशाल भूमि का नाम भारत भूमि है, इसकी जो संतान है वह भारती कहलाती है । इसी प्रकार :—

"एकं सत् विप्राः बहुधा वदन्ति"

इस प्रकार वेदों ने जो हम को कहा कि एक परम तत्व है जिसे विद्वान लोग अलग-अलग नामों से जानते हैं, इसको हमने जीवन में नहीं उतारा । हमने अपने को छोटी-छोटी सीमाओं में जकड़ लिया, परन्तु सचमुच में एक व्यापक अर्थ में जिसमें स्वामी विवेकानन्द अपने को हिंदू कहते थे और हिन्दू राष्ट्र शब्द का प्रयोग करते थे वह अर्थ हम ने नहीं लिया । अगर उस अर्थ में हम उसको लें, उसे अपने जीवन में उतारें तो मेरा कहना है कि यहां के मुसलमान भाई कुरान शरीफ को मानते हुए और हजरत मुहम्मद पर विश्वास रखते हुए भी भारत के भक्त हो सकते है । आज बहुत सारे मुसलमान ऐसे है, मैं मानता हूं कि जो भारत के बाहर नहीं देखते, लेकिन फिर इतिहास की एक पृष्ठभूमि है और वह पृष्ठभूमि कांग्रेस को भी प्रभावित करती रही है, केवल संघ को या जनसंघ को ही उसने प्रभावित नहीं किया । उस पृष्ठभूमि को क्या हम भुला सकते हैं ? क्या आपको नहीं मालूम कि यहां के अंग्रेजों की नीति थी कि यहां के मुसलमानों को देश के राष्ट्रीय आन्दोलन से अलग रखा जाय । अगर अलग न रखा गया होता, अगर वह इसमें कामयाब न हुए होते तो गांधी जी को बार-बार श्री जिन्ना के पास जाकर बात चीत करने की जरूरत क्यों पड़ती ? क्यों कांग्रेस को कहा जाता रहा कि यह तो केवल हिन्दुओं की संस्था है, इसके अन्दर मुसलमान नहीं आते ? मौलाना आजाद जैसे कुछ अपवाद उस समय थे, लेकिन उनको 'शो ब्याय' (show boy) कहा जाता था । उनके साथ थोड़े बहुत इसी वास्ते आज हमारे जनसंघ में जो श्री अनवर अली देहलवी हैं उनके लिए कहा जाता है कि हम उनको शो ब्याय के तौर पर रखे हुए है । परन्तु हमारे शो ब्याय ऐसे ही हैं जैसे कि मौलाना आजाद कांग्रेस के शो ब्याय थे । लेकिन अगर ऐसे कुछ लोग भी आपके साथ रहे और सच्ची भावना से उन्होंने आपका साथ दिया और पाकिस्तान बनने के समय के मुस्लिम बहुमत के साथ नहीं गए तो फिर उन पर ऐसा इल्जाम लगाना क्या प्रतिष्ठा की बात है ? परन्तु 'बाई एंड लार्ज' मुस्लिम जन समाज राष्ट्रीय जीवन धारा से अलग थलग रहा । इस स्थिति का कांग्रेस पर भी प्रभाव पड़ा । इसी वास्ते आखिर तक नेहरू जी मुस्लिम मासकांटेक्ट प्रोग्राम की जरूरत महसूस की ? क्योंकि मुसलमान कांग्रेस में नहीं आ रहे थे और मुस्लिम लीग की ज्यादा से ज्यादा शर्तें मान कर उनको मनाने की कोशिश की जाती रही । आखिर में मुस्लिम लीग के पैरिटी का फार्मूला क्यों स्वीकार किया गया और उसके बाद देश का विभाजन स्वीकार किया गया यह सब कुछ किया गया, क्योंकि मुसलमान साथ नहीं आते थे । खिलाफत का आन्दोलन आया महोदय, कांग्रेस द्वारा खिलाफत के आन्दोलन को क्यों उठाया गया ? इस बिल के अन्दर कह गया है कि अगर किसी के बारे में यह कोई कां कि वह इस देश से भक्ति नहीं रखता तो या

[डा. भाई महावीर]

लागू होगा । तो खिलाफत के आन्दोलन का भारत से क्या सम्बन्ध था ? खलीफा क्या भारत में बैठे थे ? खलीफा कायम रहते हैं या नहीं रहते हैं इसका क्या असर भारत की राजनीति पर पड़ने वाला था ? लेकिन खिलाफत का आन्दोलन हुआ । उस आन्दोलन को कांग्रेस ने इस आशा से अपनाया कि मुसलमान स्वराज आन्दोलन में आ जायेंगे, लेकिन परिणाम क्या हुआ ? मुसलमानों के अन्दर एक साम्प्रदायिक विद्वेश की आग भड़की और मोपला विद्रोह हुआ जिसमें निर्दोष महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुए और वैसे अत्याचार करने वाले क्रिमिनल्स को, जिनके ऊपर हत्या के, डकैती के, आगजनी के, बलात्कार के मामले चले थे, उन मोपला विद्रोह के अन्दर भाग लेने वाले सजायाफ्ता लोगों को आज केरल की कम्युनिस्ट कांग्रेस वजारत के द्वारा फ्रीडम फाइटर्स कह कर के, इनाम दिये जा रहे है, पेंशन दी जा रही है। महोदय, यह खिलाफत का जो आन्दोलन था इसने बरबस यहां के लोगों की दृष्टि बाहर भेजी । उस दृष्टि को बाहर की ओर आकृष्ट करने की जिम्मेदारी हमारे देश के नेताओं के ऊपर स्वाभाविक रूप से आती है । परन्तु, महोदय, कम्युनल इलेक्ट्रोट, कम्युनल एवार्ड, पैरिटी और आखीर में देश का विभाजन, यह सब जो हुआ इसका अर्थ क्या है ? देश के विभाजन का क्या अर्थ है ? हजार बारह सौ साल से यहां हिन्दू मुस्लिम इकटठा रह रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने जिस दिन हिन्दू और मुसलमान के आधार पर इस देश का विभाजन स्वीकार किया कांग्रेस ने अपने सारे प्रयत्नों, सारी कोशिशों से हार मान ली । उसने स्वीकार किया कि वह हिन्दू मुसलमानों को एक करने में असफल रही है और फिर अगर कांग्रेस इस तरह की हार मान गई, कांग्रेस इस स्थिति से इतनी प्रभावित रही तो उसी स्थिति के कारण संघ ने यह सोचा कि हिन्दुओं के अन्दर की कमजोरियों के कारण हिन्दू मुस्लिम एकता भी ठीक प्रकार से नहीं हो सकी. आपस में शान्ति से नहीं रह सके, इसलिये हिन्दुओं के अन्दर की सामाजिक कुरीतियों को, भेदभाव को, छुआछूत को समाप्त करना चाहिये, उनमें देश प्रेम की भावना पैदा करनी है, उनमें अनुशासन की भावना पैदा करनी है और उन्हें अनुशासन की शिक्षा देनी चाहिये । यह इरादा संघ ने किया तो कौन सा पाप था ? क्या यह मुस्लिम विरोध था ?

महोदय, प्रधान मंत्री जी कभी-कभी कहती हैं कि आजादी के लिये कुर्बानी किसने की । एक बार मेरा भी यह दुर्भाग्य रहा कि मुझे यहां उनको टोकना पड़ा और मैंने पूछा कि आप कुर्बानी की बात कहती है तो आजादी के लिये व्यक्तिगत रूप से, निजी रूप से आपने कौन सी कुर्बानी की ? अगर आप अपने पूर्वजों की, अपने पुरखों की कुर्बानी की बात करती है तो दूसरों ने भी कुर्बानी की है ।

श्री ब्रह्मानन्द पंडा : इतिहास लिखा है ।

डा. भाई महावीर : किस इतिहास की बात करते हैं । इतिहास जो आपने पढ़ा है . . .

श्री ब्रह्मानन्द पंडा : जिस इतिहास को आपने पढ़ा है वही मैं कह रहा हूं ।

डा॰ भाई महावीर : श्री पंडा जी ने इतिहास पढ़ा है, लेकिन शायद पंडा जी को पता नहीं है कि आजादी की लड़ाई यहां सबसे पहले कब शुरू हुई ।

श्रीमती सुमित्रा जी॰ कुलकर्णी (गुजरात) : मै पूछना चाहती हूं कि प्राइम मिनिस्टर ने कौन सी कुर्बानी नहीं की ।

डा॰ भाई महावीर : ठीक है, मैं आपसे सहमत हूं । सुनिये, प्रधान मंत्री जी के लिये सबसे प्रिय चीज जो होनी चाहिये थी—कांग्रेस पार्टी—जिससे वे बनी, उसकी उन्होंने कुर्बानी

कर दी ग्रानी गधी के लिये। इससे बड़ी कुर्बानी ौर क्या हो सकती है। जिस संस्था के लिये पीढ़ियों ने अपना बलिदान किया था उस संस्था की कुर्बानी अपने पद के लिये कर देना इससे बड़ी कुर्बानी प्रधान मंत्री की और क्या सकती है।

महोदय, मैं पंडा जी की जाकारी के लिये कह रह था। कि आजादी की लड़ाई की तिथि का उन्हें पता नहीं। 250 साल पहले से भी आजादी की लड़ाई इस देश में लड़ी जा रही थी और 250 साल पहले की आजादी की लड़ाई में जहां इस चांदनी चौक के चौराहे पर गुरु तेगबहादुर का एक बलिदान हुआ वहां उसके साथ साथ एक और व्यक्ति का बलिदान हुआ था और मुझे गर्व है कि वे मेरे पूर्वजों में से थे।

श्री कल्याण चन्द : कहां से कहां पहुंच गये।

डा० भाई महावीर: महोदय, उस व्यक्ति को आरे से चीरा गया, लकड़ी के पाटों के बीच में रख कर के आरे से चीरा गया था और तब से वह शुरू हुये बलिदान की गाथा यहीं समाप्त नहीं हुई। उसकी कड़ियां आगे भी चली मेरे चाचा को हार्डिन्ग बम्ब केस के अन्दर फांसी दी गई, मेरे पिता जी को फांसी की सजा सुनाई गई और बाद में आजन्म कालापानी हुआ उस कालापानी में वीर सावरकर के साथ कोल्हू में बैल की तरह जुत कर तेल भी उन्होंने निकाला मैं जानता हूं कि जिस वक्त वह कालापानी में थे मेरी माता जी उस समय, जिस समय सहानुभूति का एक स्वर तक निकालने वाला कोई नहीं था, 17 रुपये की नौकरी करते हुये एक कोठरी के अन्दर अपने साथ अपने दो बच्चों का पालन करती थीं, जिस कोठरी के अन्दर न हवा जाती थी और न धूप जाती थी इसका परिणाम यह हुआ कि एक बच्चे को उस वक्त तपेदिक हो गई और उसके बाद माता जी स्वयं तपेदिक का शिकार हो कर मरीं।

यह ठीक है कि हम उनको स्विटजरलैंड के किसी नर्सिन्ग होम में नहीं ले जा सकते थे लेकिन क्या यह कुर्बानी इसलिए छोटी हो गई कि हम उनको स्विट्जरलैन्ड ले जा कर उनका इलाज नहीं करा सकते थे। कुर्बानियां करते हुए दूसरे लोग भी थे, उन कुर्बानियों की कहानियों में आप न जाएं—आजादी की लड़ाई में कुर्बानी करने वालों लोगों में वीर सावरकर जैसी कर्बानी किस की है? *(Time bell rings)* श्रीमन्, मैं यह घंटी नहीं सुनूंगा। आप कृपा करके मेरे ऊपर यह दया रखिए कि घंटी न बजाएं।

उपसभाध्यक्ष (श्री राम सहाय): डाक्टर साहब, मैं अर्ज करूंगा . . .

डा. भाई महावीर: देखिए, टाइम-लिमिट की बात हमने पहले कही थी। अगर आप नहीं बोलने देना चाहते, तो ठीक है, नहीं बोलेंगे। लेकिस दूसरा रास्ता अपनाएंगे—कार्यवाही नहीं चलने देंगे।

उपसभाध्यक्ष (श्री राम सहाय): मेरा अर्ज करना था कि आज का दिन हमने इसीलिए बढ़ाया है . . .

श्री पीताम्बर दास: इससे पहल कि आप व्यवस्था दें . . .

श्री उपसभाध्यक्ष . . . उस खयाल से आप थोड़ समय और ले लीजिए लेकिन मेहरबानी करके खत्म कीजिए।

श्री पीताम्बर दास . . . इस तरीके से एक बिल कांट्रोवर्शीयल बिल जिससे डाइरेक्टली अफेक्टेड होने वाले लोग हों, तो ऐसे में दो पालिसी हो सकती है—समझ लीजिए, जिस आदमी को फांसी देनी हैं उसके बारे में 2 रुख अपनाए जा सकते हैं, एक रुख है फांसी तो इसको लगने वाली है, अब

[श्री पीतांम्बर दास]
आखिरी मन की बात कह लेने दो, दूसरा रुख है—घुट कर मर जाए। मरजी मेरे सैयाद की है। लेकिन उसके जो रिजल्ट्स हैं उनको फेस करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। बिल पर बोलते हुए इरिरेलेवेन्स या रेहिटिशन पर रोक लग सकती है, अगर डा० भाई महावीर की स्पीच में इरिलेवेन्स या रेपिटिशन दिखायी दे तो आप उनको रोक दीजिएगा, वरना—वी विल हैव्ह अवर श्रोन से। आफ्टर आल,हम डौक में खड़े हैं, हमारे लिए लाइफ एन्ड डेथ का सवाल है—नैचुरली वी शुड हैव्ह अवर श्रोन से।

श्रीमन, एक बात और याद दिला देती है—वक्त जिबहा जानवर को . . .

श्री ब्रह्मानन्द पंडा—अरे, इसका कोई रेलेवेन्स नहीं है।

डा० भाई महावीर: आपको ही सब ज्ञान और समझ आ गई है। आप बैठ जाइए, तशरीफ रखिए।

SHRI BRAHMANANDA PANDA : If you are talking to school children, that is a different thing.

DR. BHAI MAHAVIR : You are worse than that. There are people like you who are worse than school children.

SHRI BRAHMANADA PANDA : I am not a school child.

DR. BHAI MAHAVIR ; That is why you are worse than a school child, A child at least desires to learn.

श्री गुणानन्द ठाकुर (बिहार): सभापति जी, हमें कोई आपत्ति नहीं, ये जितना बोलना चाहें बोलें लेकिन क्या यह रेलेवेन्ट है जो इतिहास ये कह रहे हैं। दूसरी बात है, ऐसा करने से निर्धारित समय में यह बिल पास न हो सकेगा। तीसरी बात यह है कि कौन सा अपराध किया है जो फांसी मिलने वाली है जो दया मांगते हैं ?

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : दया की भीख मांगने वाले हम नहीं हैं। दया के पात्र आप हैं जो सोशलिस्ट पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आये हो। दया दिखलाने को आप थोड़े हैं। यहां पर तो सही बात को सही ढंग पर, सही स्थान पर कहने के लिए खड़े हो रहे हैं। पंडा जी भी उसी तरह चिल्लाते है, जो अपनी पार्टी छोड़कर आए हैं।

(*Interruptions*)

श्री पीताम्बर दास : श्रीमन्, मैं केवल इतना और कहने जा रहा था—"बात जिबहा जानवर को, देते हैं पानी पिला! हजरते इन्सान को आंसू बहाना है मना।" क्या यही आपका मंशा है। मैं फिर कहता हूं, जब बिल पास ही करना है, तो जिन लोगों को फांसी पर चढ़ाना चाहते है। उन्हें अपने दिल की बात कह लेने दीजिये। लोकसभा में जो भाषण हुआ है मिरधा साहब का, उसमें यह क्लियर हो गया है कि यह कानून आर० एस० एस० के लिए है। अगर बात नहीं सुनना चाहते हो तो साफ-साफ बता दीजिये। I will ask Dr. Mahavir to sit.

(*Interruptions*)

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है और वह यह है कि इधर से भी और उधर से भी कहा जा रहा है कि जो बिल लाया गया है, संघ के लिए लाया गया है। हम भी यह महसूस करते हैं कि यह जो हथियार लाया जा रहा है वह जनसंघ के लिए तो है ही, लेकिन उसके साथ ही साथ इस हथियार द्वारा सारी विरोधी पार्टियों पर भी इस्तेमाल किया जाएगा।

श्रीमन्, कांग्रेस का जो निर्माण हुआ था वह यहां से विदेशियों को हटाने के लिए हुआ था। जब विदेशी यहां से चले गये तो फिर "कांग्रेस" शब्द का इस्तेमाल विरोधी लोगों को खत्म करने के लिए किया जा रहा है। हम

यह भी देखते हैं कि ये भी गलत कह रहे हैं और ये भी गलत कह रहे हैं और यह जो हथियार बनाया जा रहा है वह विरोधी पार्टियों को खत्म करने के लिए बनाया जा रहा है।

डा० भाई महावीर : महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि यह सारी कहानी मैंने इसलिए सुनाई कि बहुत बार राजनैतिक विद्वेष के कारण हम दूसरों की मनोभूमिका को समझने की कोशिश नहीं करते। हम लोगों ने भी देश-भक्ति के कुछ संस्कार पाये हैं, हम लोगों ने भी कुछ सीखा है जिसकी वजह से हम समझते हैं कि देश प्रेम भी कोई अर्थ रखता है। इसलिए महोदय, मैंने कहा कि ऐसे लोग बहुत थे जिन्होंने कांग्रेस के अन्दर तो काम नहीं किया, लेकिन देश के लिए कुरबानी करने में किसी से पीछे नहीं रहे। सावरकर, लाला हरदयाल का नाम सबको मालूम है, आशुतोष लाहिरी का नाम सब जानते हैं, महाशय रतनचन्द और मार्शल-ला के दूसरे बन्दियों के नाम सब जानते हैं—सरदार भगतसिंह और करतारसिंह सरोबा जैसे बहुत से लोगों को जिन्होंने प्रेरणा दी, वे लोग आखिर अपने दिल के अन्दर देशभक्ति की आग रखते थे। बचपन से ही हम लोगों ने इन से कुछ सीखा है इन लोगों से प्रेरणा पाई है तो इन संस्कारो की वजह से ही सीखा है जिन संस्कारों को आज आप संघ पर चोट करके खत्म करना चाहते हैं।

महोदय, जिस वक्त कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम लीग के साथ अंग्रेजों के दबाव में आकर देश का विभाजन स्वीकार किया, तो सारे देश के अन्दर हत्याकांड शुरू हो गए। इन हत्याकान्डों के बारे में कभी-कभी हमारे साथी खड़े होकर हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि इसमें हम लोगों का हाथ है। लेकिन मैं साफ कहना चाहता हूं कि इन हत्याकांडों में, अगर पश्चिमी पंजाब में या सीमा प्रान्त में लोग बच कर आए हैं, तो उनसे ही जाकर पूछिए कि क्या उनको बचाने का बहुत बड़ा श्रेय उन नौजवानों की कुरबानी नहीं है, उन बहिनों की कुरबानी नहीं है जिन्होंने यह शिक्षा पाई थी और ये संस्कार पाए थे जो संघ उन बच्चों को देता रहा।

श्री बनारसी दास : मुसलमानों का भी हाथ बचाने में कम नहीं था।

डा० भाई महावीर : मैं यह नहीं कहता कि सारे मुसलमान सब हिन्दुओं को बिल्कुल कत्ल करने पर तुले हुए थे। बीच में ऐसे अपवाद जरूर मिल जायेंगे जिन्होंने भलमनसाहत के नाते या पड़ोसी के नाते अपने पड़ोसी को बचा लिया। लेकिन मैं उस क्षेत्र की बात कर रहा हूं जहां पर हमें नष्ट करने के लिए बाकायदा योजना बनाई गई थी। अहमद साहब और दूसरे भाइयों से मैं कह दूं कि अगर वे चाहेंगे तो इस तरह की मैं दस घटनाएं बतला सकता हूं कि जहां पर गांव घेर लिए गये और लोगों से कहा गया कि तुम हथियार डाल दो। कुरानशरीफ की कसमें खाई गईं कि अगर तुम हथियार डाल दोगे, तो हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। जैसे ही उन्होंने हथियार डाले उनके आदमियों को कत्ल कर दिया गया और उनकी लड़कियों को उठा करके ले गये। यह सत्य घटनाएं हैं, यह इतिहास है और दुर्भाग्य से यह सत्य है। मैं इन बातों को इसलिए दुहरा रहा हूं क्योंकि उस वक्त संघ के लोगों ने अपनी जान हथेली पर रखकर उन लोगों को बचाया और तभी वे लोग बचकर यहां पर आ सके।

महोदय, केवल वहीं संघ के नौजवानों ने लोगों को नहीं बचाया, बल्कि भारत के इस भाग में, विभाजन के पश्चात् इधर के हिस्से में भी अपने नेताओं की रक्षा के लिए संघ के लोगों ने काम किया। मुझे खुद याद है कि आग और

[डा. भाई महावीर]

गोलियों की बौछार में से निकलकर नवयुवक लोगों को बचाकर लाते थे और इस प्रकार कइयों ने शरीर में पांच-पांच और छह-छह गोलियां खाकर प्राण दिए। इस तरह से इन लोगों ने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए भी लोगों की रक्षा की। इसमें वे समझते थे कि वे अपना कर्तव्य ही निभा रहे हैं। यह सब जो हुआ वह किसलिए हुआ? क्योंकि हमारे नेताओं ने देश का विभाजन स्वीकार किया। अगर देश का विभाजन स्वीकार करने के कारण इस प्रकार की पैदा स्थिति हुई जिसमें उनके आंचल पर खून के कुछ छींटे पड़ गए क्योंकि उस आग में से उन सबको गुजरना पड़ा, तो इसके लिए उनको दोषी ठहराना सरासर अन्याय है।

महोदय, इसके बाद यहां पर गांधी जी की हत्या हो गई। प्रधान मंत्री जी ने गांधी जी की हत्या की जिम्मेदारी बराबर हमारे ऊपर डाली। उस हत्या का मुकदमा चला। जो हत्या करने वाला था वह भागा नहीं। उसने बयान में कारण बतलाये। फिर भी उसको सजा हुई और इस तरह से इतिहास का वह दुखद अध्याय खत्म हुआ। परन्तु महोदय, गांधी जी की हत्या के लिए कभी कभी कहा जाता है व्यक्ति के साथ हवा भी दोषी थी। यह हवा क्यों? हवा बनाने वाला एक बड़ा कारण था जिसकी याद मैं अपने मित्रों को दिला दूं। पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपया जो देना था वह सरदार पटेल और पं० जवाहरलाल नेहरू ने रोक लिया था क्योंकि काश्मीर के ऊपर पाकिस्तान का आक्रमण हो चुका था। काश्मीर में हमारे ऊपर आक्रमण हो, हमारे जवानों की छातियों को गोलियों से भूना जा रहा हो और हम पाकिस्तान को रुपया दें तो स्वाभाविक रूप से पाकिस्तान को लड़ने के लिए हम गोला बारूद देंगे। इसलिए सरकार ने उस पैसे को रोक लिया। लेकिन रोकने के बाद गांधी जी ने अनशन रखा और उस अनशन से प्रभावित होकर सरकार ने वह रुपया पाकिस्तान को देना मंजूर कर लिया।

(Interruptions)

ओम मेहता जी, आप इस तरह से मुझे जल्दी नहीं बिठा सकते।

श्री ओम् मेहता : आप बोलिए।

डा. भाई महावीर : बीच बीच में अगर आप मुझे इंट्रप्ट करते रहे तो मैं बोल नहीं सकूंगा और मुझें और समय लेना पड़ेगा।

(Interruptions)

श्री बनारसी दास : यह बिल्कुल गलत कहना है कि गांधीजी ने 65 लाख रुपया दिलवाया

(Interruptions)

डा. भाई महावीर : मैं सिर्फ एक नुक्ता इसमें कहना चाहता हूं। वह रुपया देना चाहिए या नहीं इसके बारे में सरकार को फैसला करना था। अगर देना चाहिए था तो पहले क्यों रोका और अगर देना नहीं चाहिए था तो बाद में क्यों दिया? पहले रोका और फिर दिया क्योंकि बीच में गाधी जी का अनशन हो गया।

(Interruptions)

SHRI PRANAB KUMAR MUKHER-JEE : Mr. Vice-Chairman, Sir, I am on a point of order.

SHRI HARSH DEO MALAVIYA (Uttar Pradesh) : Sir, I rise on a point of order.

SHRI PRANAB KUMAR MUKHER-JEE : Sir, I rise on a point of order. Is it fair on the part of the Member to bring in anything and everything even the past history, within the purview of this dabate ? I would like to have a specific ruling on this whether any Member would be allowed to bring in anything, even the past history, within the purview of this debate and whether it is permissible or justified, it will have...*(Interruptions)*. . . serious repercussions on the minority cprnmunity. The hon

Member should have thought over it. It will have serious repercussions on the minority community.

श्री हर्षदेव मालवीय : यह गांधी जी की हत्या को जस्टीफाई कर रहे हैं।

(Interruption)

श्री महावीर त्यागी : जहां तक आप के कहने का ताल्लुक है मैं यह बात साफ करना चाहता हूं कि गांधी जी ने हंगर स्ट्राइक किया था वह इसलिए किया था कि जो पार्टिशन हुआ था उसमें एक शर्त थी कि हमको इतना रुपया देना होगा। तो बटवारा मंजूर करने के बाद उस रुपये का रोकना गांधी जी की राय में अच्छी चीज नहीं थी। उनकी राय में बटवारे की शर्तों को पूरा करना चाहिए था। इसलिए जब गवर्नमेंट ने उस रुपए को रोकना चाहा तो गांधी जी को नागवार गुजरा। गांधी ने इसलिए नहीं उस रुपए को दिलवाया था कि पाकिस्तान उस रुपए से हम पर हमला करेगा। यह चीज गलत है। (*Interruptions*) तो मेरा कहना यह है कि डा. भाई महावीर एक देशभक्त परिवार के हैं, उनके परिवार ने भी कुर्बानियां की हैं, इसलिए वे कम से कम जो बात कहें सोच कर कहें। इस बिल के मामले में कोई ऐसी कांट्रोवर्सी ठीक नहीं है जिसमें महात्मा गांधी का भी नाम आ जाय।

डा. भाई महावीर : आप मेरी बात पहले सुन लें तो अच्छा है। (*Interruptions*) आप आपस में ही बहस करते जायेंगे। मुझे कुछ बता तो लेने दीजिए।

3 P.M.

श्री गुणानन्द ठाकुर : मेरा प्रस्ताव है कि भाई महावीर जी के भाषण के इस अंश को प्रोसी डिंग्स से निकाल दिया जाय।

डा. भाई महावीर : महोदय, मैं यह स्पष्ट कर दूं कि गांधी जी हत्या की एक हत्या एक अत्यन्त गलत, अत्यन्त अधार्मिक, अत्यन्त अहिन्दू और अमानवीय कृत्य था और गांधी जी की हत्या का भी किसी अर्थ में, मैं औचित्य लेश-मात्र मान नहीं नहीं सकता, तभी भी हमने नहीं माना था और आज भी बल्कि किसी जन्म में भी नहीं मानूंगा। (*Interruptions*) परन्तु महोदय, जिस समय यह अत्यन्त भयंकर वातावरण बना, उस को मैं याद दिया रहा हूं। इस बारे में महावीर त्यागी जी ने बिलकुल ठीक कहा गांधी जी का मंशा यह बिलकुल नहीं हो सकता था कि पाकिस्तान का आक्रमण बढ़ें। गांधी जी एक संत थे, परन्तु पैसा देने का जो राजनीतिक विषय था उसका निर्णय सरकार को करना था। गांधी के सोचने का स्तर अपना था। पर सरकार ने जब यह कदम उठाया उस को उठाने के बाद सरकार के निर्णय का जो कारण लोगों ने पहले जानकर यह सोचा कि सरकार ने ठीक किया है, उसके बाद ही सरकार ने मानो यह कह दिया कि हम तो मजबूर है, गांधी जी के कारण हम लोगों को यह गलत काम करना पड़ रहा है। मैं यह समझता हूं कि यह स्थिति दुर्भाग्य की थी और इस दुर्भाग्य की स्थिति के लिए सरकार जिम्मेदार थी। उसके साथ मैं यह भी कह दूं कि नाथूराम गोड से, चाहे लोग कुछ भी कहें लेकिन वह दिल से संघ का विरोधी था, अपने पत्रों में संघ के संगठन के विरुद्ध लिखता रहा ओर संघ की भर्त्सना करता रहा।

(Interruptions)

श्रीमती सविता बहिन (दिल्ली): वह आर. एस. एस. का मेम्बर था उसके भाई के जेल से छूटने के बाद आर. एस. एस. ने उसका स्वागत किया था।

डा. भाई महावीर : खाली किसी के ऊपर एक इल्जाम लगा कर और उसके लिए शोर मचाकर अगर कोई बात साबित की जा सकती है तो जरूर उसे हमारे मित्र साबित कर सकते हैं, लेकिन संघ का कौन मेम्बर था कम था

[डा. भाइ महावीर]

कौन मेम्बर नहीं था यह हम लोग ज्यादा जानते हैं जो संघ में रहे हैं बजाय उन लोगों के कि जो केवल संघ का विरोध करने के लिए कुछ भी इल्जाम लगा देते हैं ।

श्रीमती सीता देवी (पंजाब) : प्वाइंट आफ आर्डर ।

डा. भाई महावीर : इस घंटे में 20 मिनट तो आप लोगों ने ले लिये । आप उन लोगों से कहें कि वे शान्त रहें ।

श्रीमति सीता देवी: मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर यह है कि अपोजीशन को अधिकार है कि वह इस बिल पर बोले । उनको बोलने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन इर्रिलिवेंट बोलते जायं यह नहीं होना चाहिए । इसमें गांधीजी, गोडसे आदि का जिक्र आ गया । इस सबसे इस बिल का क्या संबंध है । मेरा निवेदन है कि इर्रिलिवेंट स्पीचें नहीं होनी चाहिए । इस से समय नष्ट होगा ।

डा. भाई महावीर : महोदय, मैं विवेदन करना चाहता हूं कि···

(Interruptions)

उपसभाध्यक्ष (श्री राम सहाय): बार बार के इन्टरप्शन से समय और ज्यादा खराब जाता है । दस मिनट का समय मैं आप को और देता हूं और आप से इल्तजा करूंगा कि आप लोग इस बीच में न बोलें ।

डा. भाई महावीर : मैं चाहूंगा कि इस बात को हमारे और मित्र भी सुन लें ।

उपसभाध्यक्ष (श्री राम सहाय): मैं अनुरोध करूंगा कि आप सब लोग शान्त रहें ।

डा. भाई महावीर : महोदय, मैं यह निवेदन कर दूं कि इर्रिलिवेंट वगैरह कोई एक शब्द भी मैंने अभी तक नहीं कहा । संघ के खिलाफ इल्जाम लगाते रहे हैं । यह कहा जाता है कि

हत्या की है, सारे ट्रिब्यूनल के जजमेंट के बाद भी आज तक प्रधान मंत्री से लेकर छोटे से छोटा कांग्रेसी कार्यकर्ता तक यह दोहराता रहा है । इसलिए महोदय मुझे यह कहना पड़ा कि एक गलत बात को बार बार दोहरा कर यह समझ लेना कि यह सच है यह गोबिल्स की 'टेकनीक' तो जरूर हो सकती है, लेकिन सच्चाई के आधार पर चलने वाली सरकार को यह रवैया अपनाना शोभा नहीं देता । इसके बाद महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आज संघ ने क्या किया । संघ ने पिछली लड़ाई के दिनों में क्या किया महोदय, मेरे पास इस तरह के तथ्य हैं और मैं चाहता हूं कि मैं आपको तथ्यों से परिचित कराऊं परन्तु उसके पहले मैं एक दो बातें और कह दूं । 17 सितम्बर 1947 को स्वयं गांधी जी भंगी कालोनी (दिल्ली) में संघ की शाखा पर गए थे और उन्होंने वहां बच्चों के सामने यह शब्द कहे थे "मैं तुम्हारे अनुशासन पर, तुम्हारे छुआछूत से मुक्ति पर

impressed with discipline, absence of untouchability and rigorous simplicity.

उन्होंने आगे कहा था कि :

"I am convinced that any organisation inspired by the high ideal of ser ce and self-sacrifice is bound to ^rov. in strength."

1947-48 ई. में भारत-रत्न डा. भगवान दास जी ने लिखा :

"If those high-spiriied and self-sacrificing boys had not warned Sardar Patel in time against the Muslim League's intended coup on September 10,1947, to assassinate all Central Ministers and other Hindu leaders and seize Delhi, there would have been no Government of India today, the whole of Bharat would have been converted into Pakistan. . ."

ये डा. भगवान दास के शब्द हैं । 1927 ई. में

मिले थे और 1931 ई. में पंडित मदन मोहन मालवीय भी मिले थे । काशी यूनिवर्सिटी में मालवीय जी बार बार संघ की शाखा में जाकर लड़कों को आशीर्वाद देते थे ।

श्रीमन्, पिछली लड़ाई में जो कि पाकिस्तान से हुई संघ के लोगों ने जो काम किया है वह आप जानते होंगे । दिल्ली के अन्दर रक्त-दान देने में, नागरिक सेवाओं को सुचारु रूप से चलाने में और वार्डरों आदि के काम करने में जो सक्रियता दिखाई...

श्री कल्याण चन्द : बिल पर बोलिये ।

डा. भाई महावीर : देखिये, अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने वायदे पर कायम रहूं तो इस तरह से इंटरप्ट न कीजिये ।

महोदय, मेरे पास फाजिलका के सबडिवीजनल आफिसर ने संघ के कार्यकर्ताओं को जो चिट्ठियां दी हुई हैं उनकी थोड़ी सी जानकारी है ।

श्रीमती सविता बहिन : श्रीमन्, प्वाइंट आफ आर्डर । हाउस में यह बिल आया है तो इस बिल के ऊपर स्पीच होनी चाहिए । बिल से रेलेवेंट होना चाहिए न कि संघ की या एक पार्टी की सारी कार्यवाही को यहां बैठ कर के डेढ़ घंटे तक कहा जाय । या तो मेरे भाई इस बात से एग्री करते हैं कि यह बिल टोटली संघ के खिलाफ है । यह तो गलत एक्टीविटीज के खिलाफ है । तो मैं यह जानना चाहती हूं कि यह सब कहां तक रेलेवेंट है कि पूरी संघ की हिस्ट्री को खोल कर के इस बिल के वक्त मैं यहां ला कर के रखी जाय और जो अपना 20-25 साल से नोट किया हुआ है उसको यहां ला कर के कोट किया जाय । क्या पालियामेंट का यह सारा स्टाफ संघ की इन बातों को नोट करने के लिये ही बैठा हुआ है । रेलेवेन्ट स्पीच होनी चाहिये । तो मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या यह रेलेवेंट है ।

उपसभाध्यक्ष (श्री राम सहाय) : जिस प्रकार का बिल हमारे सामने है उसको देखते हुये इस प्रकार की जो बात कही जा रही है कि किस तरह से वह लोग काम करते हैं इससे मेरे ख्याल से कोई इररेलेवेंसी नहीं है ।

डा. भाई महावीर : धन्यवाद । मैं आपका आभारी हूं कि आपने बहिन जी को ठीक परामर्श दिया । मेरा निवेदन यह है कि लोक सभा के अन्दर भी इस बिल के ऊपर जब चर्चा हुई तो वहां पर हमारे एक मित्र ने यह कहा कि यह गांधी जी के हत्यारे और गांधी जी के बु... को तोड़ने वाले ये दोनों इसके खिलाफ हैं । य... सब दूसरे सदन में कहा गया । इसलिये, महोदय मैं जो कुछ कह रहा हूं बड़ी मजबूरी से क... रहा हूं नहीं तो इस पुराने इतिहास को उठा... की कोई जरूरत नहीं थी ।

उपसभाध्यक्ष (श्री राम सहाय) : आ... जल्दी खत्म कीजिए ।

डा. भाई महावीर : महोदय, मैं यह क... रहा था कि पिछले वर्ष की लड़ाई में फाजिल... के क्षेत्र में, अमृतसर के क्षेत्र में संघ के लोगों ... जो काम किया उस सारे काम की तारीफ व... के स्थानीय अधिकारियों ने, वहां के सबडिवी... नल मैजिस्ट्रेट ने, सेना के अधिकारियों ने अ... दूसरे लोगों ने की है और उन्होंने सर्टीफि... दिये हैं । मैं उन सर्टीफिकेट्स को पढ़ने ... जरूरत नहीं समझता, मैं खाली उसका उल्ले... कर के अपनी बात आगे चलाता हूं ।

महोदय, अब यह ड्रिल की बात है । कि... के मन में यह सवाल उठे कि यह ड्रिल हम... खिलाफ है, उसके मन में शंका पैदा हो ज... अपनी सुरक्षा के बारे में, और उसी कारण f... को बन्द करने और ऐसी संस्था के खिल... कानून बनाने का अधिकार सरकार लेना चा... है इस बिल के अन्तर्गत । महोदय, जिस f...

[डा. भाई महावीर]

की चर्चा की जा रही है वह ड्रिल आज ही तो नहीं चली। सन् 1925 ई० से संघ का काम चल रहा है और वही ड्रिल हो रही है। उस ड्रिल के अन्दर जिस तरह की शिक्षा है, अगर उसके अन्दर लाठी की या डंडे की शिक्षा है, तो ऐसी शिक्षा का क्रम जो सरकार के फिजिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स देश में चलते हैं उनके सिलेबस के अन्दर भी है, इस तरह की शिक्षा उनमें भी दी जाती है। और मेरा यह कहना है ऐसी ड्रिल के चलते रहने के बाद भी—पिछले 30-40 साल से जब से संघ का काम चल रहा है,—हमने बार-बार कहा कि अगर कहीं पर यह शिकायत है कि संघ के लोगों ने फसाद किया तो वह बताइये। कहीं अगर उन्होंने कोई आग लगाई हो, मस्जिद पर हमला किया हो, कहीं पर कोई अशान्ति पैदा की हो तो उसको साबित कीजिये, उनको सजा दीजिये और अगर अपराधी सिद्ध होने पर, उनको सजा दिलाने में, आपकी मदद करने के लिये तैयार न हों तो फिर आप जरूर हमें दोषी ठहरा सकते हैं। ाकिन इस तरह का कोई कारण नहीं है। इतने र्षों से जो दंगे हुए, उन दंगों के अंदर कहीं र भी, संघ के किसी एक आदमी का नाम ोड़ा जा सका? पिछली बार जब अहमदाबाद दंगे हुए थे, उस समय श्री भूपेश गुप्त भी गए और जिस आदमी की मोटर में ये घूम फिर हे थे वह 10 नम्बर का बदमाश था उसके र में बम बन रहे थे, उसके घर में बम स्फोट हुआ था और वह उसी में मर गया था क्या इसका मतलब यह है कि भूपेश गुप्त भी ा-फसाद कराने वालों के साथ थे? लेकिन ीं पर भी संघ पर इतनी बात भी साबित ी हुई। मेरा कहना है कि संघ को बदनाम रने की सारी कोशिश में सरकार के पक्ष के ग हैं। श्रीमती सुभद्रा जोशी को, जिन्होंने वन का लक्ष्य ही यह बनाया हुआ है, प्रधान ी ने उस सदन में तारीफ की। उन्होंने एक म्प्रदायिकता विरोधी समिति बनायी हुई है, जिसका काम केवल एक है—संघ को और जनसंघ को कोसना। वह पोस्टर छपाती है नित्य नए-नए, न जाने कहां से उनके पास पैसा आता है। हमें ज्ञात हुआ है, उन्हें पैसा विदेशी सूत्रों से आता है, विदेशी दूतवासों से लिया जाता है। विदेशी पैसा लेकर इस देश की राजनीति में एक विद्वेष फैलाने वाला प्रचार किया जाता है।

(Interruptions)

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : नार्थ कोरिया इम्बेसी से पैसा लेते हुए देखा गया है।

डा० भाई महावीर : मिरधा साहब, जांच कराइए कि उनकी संस्था के पास कितना पैसा आया है, कहां से आता है, कौन देता है। उसके जो तथ्य हमारे पास है वे सारे मैं दूंगा। मैं पक्की सूचना के आधार पर कह रहा हूं जांच कीजिए तो मैं उसकी डीटेल्स दूंगा कैसे इसके पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है।

श्रीमन्, इस प्रकार कांग्रेस ने उस ड्रिल का नाम लेकर मुसलमानों के अंदर भ्रम पैदा किए। उनको कहा गया ये संघ वाले तुम्हारे खिलाफ हैं, तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे, तुमसे लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। कहीं लड़ाई हुई नहीं, कहीं हमला नहीं हुआ। चार साल महोदय, दिल्ली मे भारतीय जन संघ का प्रशासन रहा। प्रशासन में और निगम में जन संघ पार्टी का शासन था और दिल्ली ने लोक सभा के लिए 7 में से 6 जन संघ के मेम्बर चुने लेकिन मैं कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं क्या यहां पर कोई फसाद हुआ, यहां कोई झगड़ा हुआ, यहां कोई दंगे हुए? यहां सांप्रदायिक द्वेष भड़काने वाली कोई बात नहीं हुई। हमारे एक मुसलमान मित्र कह रहे थे कि आपके बारे में यह भ्रम है, इसको तोड़ना चाहिए। मैंने पूछा आप बतलाइए, दल्ली में आप भी बैठे हैं, आपके पास किसी मुसलमान ने शिकायत की कि उसके साथ कोई पक्षपात हुआ है, नाइंसाफी हुई है। उन्होंने कहा, मैं मानता हूं, ऐसी कोई शिकायत सामने नहीं आई। अगर शिकायत नहीं आई तो फिर

यह कहना, आपका इस तरह से गलत प्रचार करना, इसका मतलब यही है कि—गिव्ह द डॉग ए बैड नेम एन्ड हैंग हिम—एक कुत्ते को बदनाम करना और फिर उसको सूली पर चढ़ा देना। महोदय, यह लोकतंत्र नहीं है, यह प्रजातंत्र का तरीका नहीं है। इस वास्ते हम बार बार यह मांग करते रहे हैं कि आप हमें साम्प्रदायिक मानते हैं तो एक हाई पावर कमीशन बनाइए जो साम्प्रदायिकता की परिभाषा करके तय करे कौन साम्प्रदायिक है।

मेरे मित्र बनारसीदास जी कह रहे थे कि प्रधान मंत्री ने एक बार कहा था कि इस तरह के तत्वों के साथ हम पोलिटिकली डील करेंगे। पोलिटिकल डील तो कर लिया गया है केरल के अंदर डील हो गया है मुसलिम लीग और इन्दिरा जी की पार्टियां एक सरकार के अंदर हैं, मुसलिम लीग के बारे में वे कहते हैं कि यह सेक्यूलर है, पैट्रियट है, राष्ट्रीय है अर्थात दैट वुल्फ इज नान वायलेन्ट—वहां का मुसलिम लीग बड़ी शांत है, कोई गड़बड़ नहीं करती, वही मुसलिम लीग जिसने देश के टुकड़े करवाए। और आज भी हमारी जमीयत उल उलेमा के मौलाना असद मदनी परसों रेलवे बिल पर बोल रहे थे तो शिकायत कर रहे थे कि रेलवे में मुसलमानों के लायक खाना नहीं मिलता, उनको हलाल का गोश्त नहीं मिलता हम मुसीबत में हैं। पिछले रोज वाजपेयी साहब ने लोक सभा में कहा था कि जमीयत उल उलेमा वाले कहते है कि हिन्दुस्तान दारुल हर (शत्रु का देश) है। उसे दारुल इस्लाम बनाना होगा तभी वह पवित्र होगा। यह जमीयत राष्ट्रवादी कहलाती है और कांग्रेस पार्टी की समर्थक है।

मेरा प्रश्न यह है, महोदय, कि आप जिनको छिपाना चाहते है उनके खुले पापों पर भी परदा डालते जाएं और जिनको अपना राजनैतिक विरोधी समझते हैं उनको किसी भी लाठी से मारने के लिए तैयार रहें, क्या यह न्याय है? आज आपके पास सत्ता है, आप इस सत्ता को हमारे ऊपर उपयोग में ला सकते हैं, कोई आपसे पूछने वाला नहीं है। लेकिन समय बदलते देर नहीं लगती और सचमुच में अगर हम सत्य के आधार पर, गांधी जी का नाम लेकर, सच्चे दिल से सोचें तो गांधी जी जिस सत्य की कल्पना करते थे—सत्यमेव जयते—क्या हमारे दिल में सच्चाई है? आप अपने दिल को टटोल कर इसे सोचें। मैं समझता हूं, आपकी आत्मा कभी तो जागा करती होगी, तब अपने दिल को टटोल कर बताएं कि जो कुछ आप कर रहे हैं क्या वह असत्य नहीं है? इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप इस पर फिर से विचार करें और यह कानून न बनाएं।

SARDAR AMJAD ALT (West Bengal) : Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to support this Bill. I was very attentively listening to the speech made by my respected friend, Dr. ai ahavir. I still hold my respect for him but I houghtjfhis speech would have heen better made as funeral speech in an assembly of the RSS rathir than on the floor of this Parliament from where the wisdom of the country is being spread to our people so as to form a sentiment, so as to form a wise opinion inside the country about the integration of the entire nation .

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURBI MUKHOPADHYAY in the Chair.]

Madam Vice-Chairmnn, this Bill is long overdue; it ought to have been brought forward earlier and I must congratulate the Minister who has brought it at last after 25 long years during which the people of our country have witnessed so many bad occurrences.]Madan]'Vice-Chairman, this Bill would naturally be taken as a very bitter bill by those sections of the people who are interested in creating para-military troops of their own, a private army of their own in the line of their own thinking even at tie cost of dividing the country and the people of India into different camps]w :h different ideas and ideologies. Naturally this will be a very bitter bill for them to s vallow.

Mada n Vice-Chairman, the Bill is a simple on -.. It is honest and sincere inasmuch as wants to create an idea in the mind of ne people of India so that they

[Sadar Amjad Ah] might get protection from the side of the Government if any section of the people try to create annoyance or any section of the people try to create any feeling detrimental to their interests. Only some sections are sought to be incorporated in the Indian Penal Code. The Indian Penal Code which was the creation of the British Raj needs certain modifications and amendments. In Section 153 although there are some provisions to stop any attempt to create differences between people a new seetion is going to be inserted so far as this section 153 is concerned. This section refers to any organised exercise, movement, drill or other similar activities which intend to use criminal force or violence against any religious, racial, linguistic or regional group or caste or community. Such things are to be stopped. If that be the purpose of this particular section I do not think any political party or any political group should have any objection, at least those political parties who believe in democracy and the integrity of the entire nation. We know that in achieving freedom all communities, Hindus, Muslims, Linguistic groups, regional groups, all have made their contribution, and we have to protect this hard-won freedom with the co-operation and with the combined efforts of all the people in the country. If any political party thinks that by severing a particular community or by severing a particular group or by severing a particular group of people inside the country they can protect democracy in the country or the independence of the country, they are definitely going on the wrong track and their idea would definitely not be accepted by the whole Indian people, that is to say, the Indian tradition. While delivering his speech Dr. Bhai Mahavir said or at least it appeared to me that they have monopolised "Satya", that "Satya" is their own. Indian unity depends on diversity. So, I would submit that this Bill has not been brought forward with any ulterior motive against any particular political party or any political group or any particular political ideology. It is brought against that particular ideol ogy or by a particular group of people who think that, by giving some paramilitary training to their own cadres or by giving s ome para-military training to people of their thinking, they can sever the Indian people into divergent camps. It is definitely directed against those groups. Madan we know what is what. Dr. Bhai Mahavir says that it is not their fault, but we hav e already witnessed so many encounters in which both Hindus and Muslims inside the country have been slaughtered. Those bad days of Bhiwandi and Jalgaon are still fresh in our memory. I know, as part and parcel of the minority community, what the Jan Sangh and the RSS people wanted to do inside the country. 1 know that it is their creed to establish as an axiomatic truth that the religious minority communities inside the country are not in tune with Indian freedom, that they are not in tune with Indian traditions, that they are not in tune with Indian culture . Dr. Bhai Mahavir referred to the role of Maulana Azad. Maulana Azad was not definitely a show-boy. He was the emblem of the nationalism of Indian Mu slims.

SHRI PITAMBER DAS : One word of explanation. He never said that the Maulana was a show-boy. He only said that the Muslim League used to say that he was a show-boy in spite of the fact that he was a natjonaliit Muslim. Dr. Mahavir never said that he was a show-boy.

SHRI CHANDRA SHEKHAR (Uttar Pradesh) : What was the occasion for Dr. Bhai Mahavir to remind us about the Muslim League's plea 7 Is it Dr. Bhai Mahavir's plea that they were playing second-fiddle to the Muslim Leauge at that time ?

SHRI PiTAMBER DAS : That is a different matter.

SARDAR AMJAD ALI : Madam, as Dr. Bhai Mahavir was saying, they want to create an idea inside the country that Indian freedom has got to be protected by the people who have taken their birth inside the country. May I say that there were 862 communal riots in twenty-fiw years and the RSS, as he was giving the history of its birth and the historical role it has played, was training up the youth of our country ? May I ask Dr. Bhai Mahavir what was the role in those days of the RSS ? Did the wisest leaders of the Jan Sangh and the RSS ever think that Indian liberty has got to be protected with the contribution and with the aid of all the people concerned ? Did the 'eaders of the

RSS ever think that Indian nationalism has got to be grown and infused among all people ? In those far-off days did they do anything or preach in those areas where riots broke out, to say that those things have got to stop ? They did not do it. But on the other hand, the religious, minorities of this country will ever remember their slogan, the slogan of 'Indianisation'. In whichever way they might be interpreting this theory of Indianisation, basically they have taken the religious minorities of this country as foreign aliens and they take it for granted that in any these people have got to be severed from the process through which the entire Indian nation is to be integrated. If this is the way of thinking*, in that event, I must say that this Bill is not a Bill against any political ideology. But if they feel that this is against their nefarious activities when we want the integration of the country or if Mr. Pitamber Dass or Dr. Bhai Mahavir is hurt or wounded in their feelings, we cannot help it. It is the cry of the day that this has got to be done, and as my friend Mr. Panda said, the verdict of the people is with us. That verdict says that all these activities and all those who indulge in thoie activities have to be curbed. And this BiH has been brought forward to do it and I think if the blessings of Dr. Bhai Mahavir or Mr. Pitamber Das are not with *us,* the blessings of the millions of the people of India will be with us in this matter.

SHRI SASANKASEKHAR SANYAL : Madam, I hope you will give me some time becaus". so many controversial points have been raised. I want to make it cleai that although we are opposing the Bill, there is no con ;non ground between ourselves on this sidj of the House and our friends who have spoken from the right side or the middle side of the House.

AN HON. MEMBER. : Both are opposing.

SHRl SASANKASEKHAR SANYAL : We are strenuously opposed to communalism; we oppose the Jan Sangh communa-lism; we oppose the Muslim League com-munalism and we also oppose the Congress

AN HON. MEMBER : What is Congress communalisra ?

SHRISASANKASEKHAR SANYAL: I am opposing Congress communalism. And Madam Vice-Chairman, if you were sitting in your seat, probably some volume of interruptions would have come *to* me and I would have had to encounter you and a great deal of trepidation will be there.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR (Rajasthan) : Mr. Pranab Kumar Mukherjee is there to interrupt.

SHRI PRANAB KUMAR MUKHER-JEE (West Bengal) : I can assure you that I will never interrupt any body unless I am interrupted.

SHRI SASANKASEKHAR SANYAL : But now you are interrupting. 'Pranab' is *Onkar.* sound.

Now, you will agree with me that we have condemned Congress communalism; not only have we condemned it, but we have avoided the alliance of communalism among the Congress the Jan Sangh and the Muslim League when our United Front in Bengal spurned the idea of forming a coalition against the Congress.

AN HON. MEMBER : You joined the Congress in Kerala.

SHRI SASANKASEKHAR SANYAL : You do not know anything about history. It is entii ly a different thing. I accuse the Congress of having generated communalism all over India. That was inevitable because this ruling party was the ruling party which agreed to the partition of the country on a communai basis and the Congress is now a prisoner in its own house. 1 would say. . ,

SHRI N. R. CHOUDHURY (Assam) : Mr. sanyal, you were there, you were a party to it. You were in the Constiuent Assembly.

SHRI SASANKASEKHAR SANYAL : Since he has made a reference to me, may I say for his information—-because he wai not born at that time—that 1 was a Congrois member in opposition to the British ? My opponent, the Hindu Sabha candidate, the

[Shri Sasankasekhar Sanyal] Mayor of Calcutta Corporation, forfeited his dep >sit, because the Congress assured that there would be no partition. But when the Congress agreed to the partition, I went to Mahatma Gandhi in the Bhangi Colony. I put off my *Khaddar* shawl, my *chuddar*, aud I told him "The Congress is a fraaud the Congress about which you are talking." I resigned in pootest from the Constituent Assembly, from the Central Assembly, and went back.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY) : Pieasc come to the Bill.

SHRI SASANKASEKHAR SANYAL ; Therefore, Madam, our condemnation is there. The Congress has brought this Bill motivated by communalism. The Congress capitalises upon communalism and will engender communalism whenever necessary. Mr. Mirdha may be a lawyer. He has stated in the opening part of his speech that the amended section 153 (a) was good enough. But as only an individual will be pursued and associations could not be pursued, therefore, section 153 (b) has been necessary. Would you kindly permit me to read out to him the section which he knows ? As lawyers kpow section 11, "die word person includes company or association or body of persons whether incorporated or not".

Madam, do you know why this Bill has been introduced 7 Even our wo king classes are being persecuted. Tenants are being persecuted. For that special laws are being invoked for rigorous action. But it leaves a bad taste in thier mouth. Therefore, they are also thinking in terms of their own. Therefore, they are introducing into the municipal law of the land special provisions so that they may say that they have done nothing special for any special reasons, that they have only taken advantage of the existing law, the provisions of the parent law, and the Indian Penal Code.

Madam Vicc-Chairman, I warn this Government thai law will be *ultra vires* for two reason*. Constitutional right is gua *u*-nteed that we shall assemble pjacaaly without arms. Is this amendment competent to override article 19 (b) ? Do you want us to be imbeciles 7 Do you want this nation to be crippled ? Do you want this nation to have citizens without any training of protecting the country when the enemy knocks at the doors. The fundamental right has given me that right.

Secondly what is the meaning of community ? In the General Clauses Act there is nothing known as community. There is nothing known as communal or communalism. In the Constitution the word "community" is mentidned for particular communities, backward community for education, tribal communities for certain privileges, Anglo-Indian community for certain consideration. These are earmarked, specified types of communities. Otherwise "community" is general term. A particular group of people of different castes, living in a particular locality is a community. Congress is a community. Marxists are a community, When I say that the Congress is not patriotic enough shall we be prosecuted ? Does it make me communal ? In the General Clauses Act or the Constitution there is nothing like this. Therefore on these two grounds you are completely offside, if not guilty of penalty.

Madam, in the Statement of Objects and Reasons there arc two words, communalism and devisive forces. This is not part of the law. The Bill does not eon-template that. But it gives a guide-line. What is communalism 7 Communalism has not been specifically defined. One of the dictionary meanings of "communalism" is antagonistic religions. But will the hon'ble Home Minister say whether there is any religion antagonistic to any other religion in India ? Although the Britishers were Christians, have we ever said that the Christians are antagonistic to either Hindus or Muslims ? Has anybody a cheek to say that a Hindu is hostile to a Mussalman or that a Mussalman is hostile to a Hindu ? What are the re asons now ?

Sir, the Britishers had adopted the policy of divide and rule, and the Congress has inherited that policy. The divisive forces are other in the Congress policy. But shall we be put to jail if we complain against the Congress introducing divisive forces in the country 7 They will not. Therefore, on the political front, an apparently normal and innocuous amendmet is being brought in order to give a look to

the whole thing as if the ordinary law *>ill take its own course and there is nothing particularly odious about it. Ultimately, Madam, I do not know whether the Jan Sangh is losing its strength or gaining. They will not touch communalism as such. Whenever these bourgeois governments come into existence, they are always themselves a class and they are always politically against the tenants, the working classes and the underdogs. So, when the working classes and the Harijans come up and fight for their rights, when the tenants come up and fight for their rights against the landlords, when the labour classes come up and fight for their rights against the landlords, it will be. within the purview of section 153B and these people will be hounded and it o'nly their spokesmen and servants, mainly the people belonging to the genuine leftist forces, who will be put into the jail for championing the cause of these classes. That is the danger.

Now, Madam, I come to the law. The Indian Penal Code is one of the best statutes. Everything which is actionable or everything by which anything is actionable is clearly defined. Even "dishonesty" is defined; even "voluntary" is defined; even "wrongful" is defined. Everything is defined by clear concept. But "communalism" is not defined, "divisive force" is not defined, and "community" is not defined. So, this undefined, undetermined, indeterminable, inaccurate concept is being introduced into this law for taking concrete and active action.

Madam, if you come to section 153A, you will find that there is a question of disharmony there and this disharmony will be actionable when there is any dispute or conflict between one caste and another caste, between one community and another community; and no separate definition is needed because there harmony is the consideration. But here in the amendment you will find the words, "organises any exercise, movement, drill or other similar activity. ." My friend, Mr. Mirdha, said that it will not apply to *bona fide* classes in clubs, schools and colleges. Suppose 1 am a physical instructor and I give exercises-to the people.

SHRI PRANAB KUMAR MUKHER JEE : Madam, can he be a physical instructor ?

SHRI SASANKASEKHAR SANYAL : Well, my friend is like a son to me. Probably he is better up in brains. But to-day I can give him a good fight and he will yield. I yield to him in brains, but I shall not yield to him in my muscles and bones.

Madam, if one year after that, it is found that some of my students were guilty of participation, it will be said, "Sanyal, times are very abnormal, Law and order is in danger everywhere. You know it to be likely that the exercises that you are giving to-day in this troublesome atmosphere, would be utilised by your students the day after tomorrow. Therefore, you are guilty." And the words used here are "will use", and though not "shall use". "Will" means "may". And towards the end. at the bottom of page 1 of the Bill, it is stated,

> "will use. . . criminal force or violence, against any religious, racial, language, or regional group or caste' or community. . ."

This "community" is not qualified for religion is independent, disjunctive concept; disjunctive concept is independent, not interdependent. I repeat ". . . use of criminal force or violence against any religious, racial, language or regional group. . ." That is one concept; "or caste", that is another concept; "or community", that is yet another concept. But who is "community" ?

SHRI CHANDRA SHEKHAR : Mr. Sanyal, it is against the use of criminal force. Are you pleading for use of criminal force against somebody ?

SHRI SASANKASEKHAR SANYAL : It is not criminal force. Your beard is growing long but your brains are going down. It is giving training in physical culture.

SHRI CHANDRA SHEKHAR : I can understand your senile undertsanding.

SHRI SASANKASEKHAR SANYAL: There is no use of violence It is giving training in physical culture which may lead to a violent amplication And hereafter I must presume to know i before hand that such things could happen. Therefore, if you are a lawyer, you will understand it; even otherwise, yon ought to know that as a legislator that in criminal matters. . .

SHRI CHANDRA SHEKHAR: I do not think law is so much devoid of common sense.

SHRI SASANKASEKHAR SANYAL: Law is not devoid of common sense, your common sense is devoid of law. The whole point is this that in ordinary c-iminal law for a J offence *mens* ra musi be proved by the prosecution so that the defence must get the advantage of knowing the intention. Here this makes a distinction, *mens rta. . . (Interruption).* . . in the mental susceptibility *of* the delicate sensitiveness of a lady community feeling that she has been badly treated mentally, the entire *mens rea* is transferred to the other side he has to prove his innocence against it. Therefore, you find that this legal thesis is an unsound proposition and it is a very crude attempt at getting an extra power by the back door for ruining the working glasses. I want to make it clear that so far as the intention is concerned, I have no grouse. But so far as the knowledge of the likelihood or ". .. knowing it to be likely. . ." is concerned, that is our main point. Now, coming to the political matter, My Lords. . .

SHRI CHANDRA SHEKHAR: Now, Madam Vice-Chairman, the cat is out sf the bag.

SHRI SASANKASEKHAR SANWAL ! Yes, My Lord, the Chair and the lady combined makes 'My Lord'.

SHRI BHUPESH GUPTA: The hon-curable Member should be congratulated, at least he has not said "M/ Lady".

SHRI SASANKASEKHAR SANYAL: My friend, Mr. Bhupesh Gupta, believes in being after many ladies. I am after only one lady.

On our part we have fought communalism in Tellicherry, we have fought communalism in Bhiwandi, we have fought communalism in Nagpur, we have fought communalism in Ahmedabad, we have fought against the Congress communalism. We have fought it in Tellichipara. *(Interruption)* When we found that the administration was lenient towards communalism, within one hour the ASP was transferred. So we stand by the working classes. We are giving a warning to the Government : by doing this you can sow the wind only, »nd if you sow the wind, you will reap ihe whirlwind.

डा० जेड० ए० अहमद : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपको भी सुना, आपको भी सुना और भाई महावीर को भी सुना। कहना तो मैं भाई महावीर की बातों के बारे में चाहता हूं, लेकिन इन विचारों के लिए क्या कहूं ?

एक माननीय सदस्य : ये रहम के लायक है।

डा० जेड० ए० अहमद : रहम के लायक तो है लेकिन ये तो सितारा गरूब हो गये हैं। ये चाहते हैं कि केरल और बंगाल की एक मिनिस्ट्री में से एक इनको दे दी जाय तो सब कुछ ठीक है, नहीं तो कोई राजनैतिक मूल्य नहीं, कोई सिद्धान्त नहीं। इस बात को पीटते जायेंगे कि बंगाल में यह हो रहा है, वह हो रहा है और पूरी राजनीति इनकी, जिसे कहते हैं ब्लाइन्डली में पहुंच गई है और कुछ समझ में आता नहीं है। कहते हैं कि हम कम्युनिलिज्म से लड़ते हैं और आज कम्युनिलिज्म के खिलाफ एक हथियार पैदा किया जा रहा है तो ये लोग इसका विरोध करते हैं। वही काम्बिनेशन फिर आ गया कांगो, जनसंघ और कम्युनिस्ट (मार्कसिस्ट) का...

श्री मान सिंह वर्मा : मुस्लिम लीग, कांग्रेस और कम्युनिस्ट का भी फिर काम्बिनेशन आ गया।

डा० जेड० ए० अहमद : खैर, बहुत अच्छा है कि काम्बिनेशन आया सामने। हम तो चाहते हैं कि काम्बिनेशन आये।

(Interruptions)

महोदय, इनको तो मैं छोड़ देता हूं इस लिये कि यहां इस सवाल के ऊपर इनकी आंखों पर धूल पड़ गई है और कुछ नहीं हैं।

(Interruptions)

ये बेचारे घबड़ाये हुए हैं। बनारसी दास जी ने खड़े होकर के इनका समर्थन कर दिया और जब इनकी राजनीति खुल्लमखुल्ला सामने आई तो बनारसी दास जी और त्यागी जी दोनों घबड़ाने लगे। इस तरह यह भी खत्म हो गये।

अब जहां तक डा. भाई महावीर का सवाल है उनको क्या जवाब दिया जाय।

डा. भाई महावीर : वे लाजवाब हैं।

डा. जैड. ए. अहमद : हिन्दुस्तान की जनता ही उनको जवाब दे सकती है। यहां कोई उनको जवाब नहीं दे सकता क्योंकि हर चीज गलत है, पूरे इतिहास का इंटरप्रिटेशन उनका अलग है। वे गांधी जी के आर्डर को जस्टिफाई करने लगे और जब घबड़ा कर उनके लीडर कहने लगे कि ऐसा मत करो तो कहने लगे कि गांधी जी महापुरुष थे, यह थे, वह थे। उनकी खोटी राजनीति है और उनका अमल उस घटिया राष्ट्रविरोधी राजनीति से पैदा होता है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का जो आज मेम्बर है और जो उसको डिफेंड कर रहा है उसकी राजनैतिक परम्पराओं से एक ही बात निकलती है कि आज वह हिन्दुस्तान में ऐसे फैसिस्ट संगठन को खड़ा करना चाहता है जो हिन्दुस्तान में हमारी पोलिटिकल वैल्यूज़ को खत्म करके हिन्दुस्तान के अन्दर एक फैसिस्ट किस्म की हकूमत कायम करेगा। इस लिये इसका जवाब यहां नहीं दिया जा सकता। इसका जवाब यही है कि हिन्दुस्तान के अन्दर प्रगतिशील तत्वों को, प्रोग्रेसिव लोगों को, हिन्दुस्तान में समाजवादी तत्वों को मजबूत किया जाय और डटकर उनका राजनैतिक तौर पर मुकाबिला किया जाय और जहां इनकी गर्दन पकड़ी जा सकती है वहां इनकी गर्दन पकड़ कर के इनको दफन किया जाय। यही एक तरीका है और कुछ नहीं है। *(Interruptions)* मैं मिर्धा जी से कहूंगा कि बहुत दिन आपने इनको पालापोसा। महात्मा गांधी का आर्डर हुआ और उसके बाद मांग उठी कि आर. एस. एस. को बैन किया जाय। बहुत से लोग कहने लगे मुझे याद है कि उस जमाने में हमारे कांग्रेस के बड़े नेता भी कहते थे कि "इट एज़ ऐन इंडिविजुअल एक्ट आफ ए मैड मैन।" क्यों भूपेष जी ठीक है न।

(Interruptions)

श्री ओउम् प्रकाश त्यागी : अहमद साहब, गांधी जी का बुत किसने तोड़ा था, वहां कलकत्ता में ?

डा. जैड. ए. अहमद : मैं नहीं जानता, किसने तोड़ा लेकिन गांधी जी के मर्डर के बाद जब हिन्दुस्तान की जनता ने यह मांग उठाई कि इसको बैन किया जाए तो कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि इसको बैन न किया जाए क्योंकि ये लोग अंडर-ग्राउंड चले जाएंगे और इनमें बहुत से अच्छे लोग भी हैं। मोरार जी देसाई साहब इनको सार्टिफिकेट देने लगे कि ये अल्ट्रा नेशनलिस्ट हैं, उग्र राष्ट्रवादी हैं। कमाल की बात है कि एक तरफ श्री मोरारजी इनको सार्टिफिकेट दें और दूसरी तरफ पाटिल साहब इनको सार्टिफिकेट दें और तीसरी तरफ हमारे बनारसी दास जी इन को सार्टिफिकेट दें। *(Interruptions)* बनारसी दास जी आज बड़े भक्त बन कर यहां बातें कर रहे हैं...

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : पौइंट आफ आर्डर। जब मैं यहां बोल रहा था तो मुझसे कहा गया कि जो लोग यहां सदन में नहीं हैं उनके बारे में चर्चा क्यों करते हो? *(Interruptions)* तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या अलग अलग लोगों के लिए अलग-अलग रूल और अलग अलग नियम होते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो लोग सरकारी पक्ष के हैं और वे विपक्ष में आकर बैठ जाते हैं तो उनकी बात क्या समझी जाए ?

डा. जैड. ए. अहमद : मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि बनारसी दास जी आज बड़े भक्त बन कर बातें कर रहे हैं...

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : पाकिस्तान के भक्त तो नहीं हैं।

डा. जैड. ए. अहमद : जब भाई महावीर बोल रहे थे तो मैं चुप कर सुन रहा था। एक जमाने में यह भी राजा थे, आज तो प्रजा बन गये हैं। यह राजा थे बड़े भयंकर। गरीब मजदूर या किसान जब खड़ा होता था तो कहते थे कि पीटो, पीटो। हम लोग यहां असेम्बली में चिल्लाते थे तो कहते थे कि यह ऐंटी सोशल और सबवरसिव एलीमेंट बैठा हुआ है और आज यहां कहते हैं कि हम शान्ति सेना में जाने के लिए तैयार हैं। उस वक्त शान्ति सेना की याद नहीं आती थी। आज चाहे जितना हृदय परिवर्तन करो या न करो, लेकिन बनारसी जी, आप हमको जानते हैं और हम आप को जानते हैं। यहां कौन किस को नहीं जानता। इस लिए यह फैसिज्म की जो ताकतें पैदा हो रही हैं हिन्दुस्तान में, उन को दबाना बहुत जरूरी है और उनको मजबूती के साथ दबाना चाहिए। अगर आप उन को दबायेंगे नहीं तो आप देश में सोशलिज्म नहीं ला सकेंगे। यह किताब है 'बंच आफ थाट्स' गोलवलकर की। हिटलर की पूरी टेक्निक है इस में, हिटलर की आइडियालाजी, उसका टेक्निक, उसका संगठन, उसका आर्गेनाइजेशन, सब मुकम्मिल तौर पर कापी किया हुआ है और वही वाणी, वही आवाज। अब कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं। फैसिज्म के काम करते हैं, हिटलर की जो संतानें हैं आज वे डेमोक्रेसी की बात करने लगी हैं। यह सब कुछ नहीं है।

श्री ओउम् प्रकाश त्यागी : स्टालिन की संतान से डेमोक्रेसी का क्या संबंध ?

डा० जैड० ए० अहमद : मैं और कुछ कहूंगा नहीं। कहते हैं कि पाकिस्तान बनवाया, मगर मैं कहता हूं कि पाकिस्तान तुम्हारी जहनियत के लोगों ने बनवाया, हम लोगों की जहनियत ने नहीं बनवाया और आज भी वही ढोल पिट रहा है—मुसलमान ऐंटी नेशनल हैं, मुसलमान विदेशी हैं, मुसलमान अराष्ट्रवादी हैं।

डा. भाई महावीर : किसने कहा ?

डा. जैड. ए. अहमद : आप सदा यही कहते रहे। यह बंगला देश के सात करोड़ मुसलमान जिन्होंने खड़े होकर सेकुलरिज्म के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, हिन्दुस्तान के साथ मित्रता के लिए लड़ाई लड़ी और अपना खून बहाया है और मैं कहता हूं कि एक दिन आयेगा जबकि वह हिन्दुस्तान के सब-कांटीनेंट के लिए उसको मजबूत बनाने के लिए भले ही वह पाकिस्तान में बसते हों, लेकिन यहां की एक राष्ट्रीयता के लिए, सेकुलरिज्म के लिए, डेमोक्रेसी के लिए खड़े होंगे हमारे साथ, वह दिन आयेगा। इंसान को देखो किस तरह से सदियों के बाद कोई एक आदमी पैदा होता है, लेकिन उनको टुकड़े-टुकड़े करके मारा जाता है। अहमदाबाद के रायट्स में क्या हुआ। वह हाजिरा जो रोती हुई इन्दिरा जी के सामने आयी, जिसके यहां कुर्सियां और मेजें जला कर नष्ट कर दिया गया, उसके छोटे-छोटे बच्चों की टांगे चीर कर आग के अन्दर डाल दिया गया...

डा० भाई महावीर : डाक्टर साहब की जानकारी के लिए बता दूं कि उसके तीन बच्चे 20 साल के ऊपर के हैं।

डा० जैड० ए० अहमद : यह तुम्हारी बात हैं, यह जगलीपन है। इसलिए कुल मिलाकर इस बिल को लाना ठीक है। इसके ऊपर अभी अमल किया जाय। मेरी दरख्वास्त यह है मिर्धा जी से कि यह बिल पास तो हो जायगा, लेकिन मुझे शक है कि इसके ऊपर अमल नहीं होगा।

श्री पीताम्बर दास : यही हमें शक है कि अमल सही सही नहीं होगा ।

डा. जेड. ए. अहमद : इसलिए नहीं कि आप नहीं चाहते हैं । मैं मानता हूं कि आप चाहते हैं, लेकिन आप की नौकरशाही नहीं चाहती । नीचे जो बैठे हैं आप का मैजिस्ट्रेट, आप का कलेक्टर, कम्युनल माइंडेड, बहुत से आर. एस. एस. के हमदर्द, बहुत से आर. एस. एस. के मेम्बर हैं, जो आपके यहां नीचे के दफ्तरों में बैठे हुए हैं । आर. एस. एस. के सदस्य आप के सेक्रेटेरियेट में बैठे हुए हैं । यहां शाखायें लगती हैं, यहां उनके क्लासेज होते हैं लंच टाइम पर और आप उसकी कोई परवाह नहीं करते क्योंकि आपको सेक्रेटरी पट्टी पढ़ा देता है, वहां कलेक्टर पट्टी पढ़ा देता है । तो अगर इस को लागू करना है तो मजबूती के साथ और ईमानदारी के साथ इसको लागू करिये, सख्ती के साथ लागू करिये और जो इसको लागू करने वाले हैं, जो इसको इंप्लीमेंट करने वाले हैं उन पर आप निगाह रखिए । अगर कोई कलेक्टर, कोई मैजिस्ट्रेट आप के आदेश को भंग करता है तो उस को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए । यह नहीं कि उसे उठाकर इस जिले से उस जिले में भेज दिया, उस का तबादला कर दिया । आज तो यह रवैया है कि अगर किसी को ज्यादा से ज्यादा सजा दी जा सकती है तो वह यह कि उसको इस जिले से दूसरे जिले में भेज दिया जाय, उसका तबादला कर दिया जाय । अगर वह यहां रिश्वत खाता है तो वहां भी जा कर रिश्वत खाये और वहां जाने के लिए तुम को भत्ता भी मिलेगा और यहां से वहां जाने के लिए टी. ए. और डी. ए. भी मिलेगा । देखिये आपकी थिंकिंग बड़ी स्ट्रेट लाइन की थिंकिंग है । जिन्दगी एक लकीर नहीं है । जिन्दगी के बहुत पहलू हैं । एक पहलू कानून है और एक पहलू है कि कानून के ऊपर अमल होना चाहिए । एक कानून है और एक कानून के ऊपर अमल है । दोनो चीजें मिल कर जब चलेंगी तब कुछ चीजें सुधरेंगी । इसलिये मैं आशा करता हूं कि इस चीज को मद्देनजर रखते हुए, इसकी अहमियत को मद्देनजर रखते हुये, जहां कानून में तब्दीली कर रहे हैं वहां इस कानून को अमल में लाने का जो हथियार, जो औजार, आपके पास है उसको तेज कीजिए ताकि सही मायनों में यह कानून अमल में ले आये और हम यह चाहते है कि हिन्दुस्तान के अन्दर जो सच्ची डेमोक्रेटिक, प्रजातात्रिक, जनवादी, राष्ट्रीय हमारी परम्परायें हैं उनको बचाया जाय, उनको बढ़ाया जाए और उनको मजबूत किया जाय ताकि देश के सारे लोग, हिन्दुस्तान के रहने वाले, हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, सिख, पारसी, क्रिश्चियन, सब मिल करके एक नई जिन्दगी बनावें और समाजवाद की तरफ मिल कर अपना कदम आगे बढ़ायें ।

SHRI DEV DATT PURI (Haryana): Madam, the most relevant and the most eloquent speeeh in justification of the Bill— not in favour of ths Bill, but in justification of the Bill—has been delivered by Dr. Bhai Mahavir. 1 do not think the hon. Minister will be able to say anything more eloquent or anything more in justification of the Bill than the performance we have seen in the House this afiernoon. It any one had any doubt at all— 1 never had any doubt—that the R S.S. is going to be covered under the Bill when it becomes an Act, all these doubts have been dispelled today. After all, in ail seriousness, what did we hear in the House this afternoon ? An elaborate justification for the murder of Mahatma Gandhi. What was the relevance of the reference to Rs. 65 crores paid to Pakistan or refused to be paid to Pakistan, except to state in this House that here was a reason in justification of the assassination of Mahatma Gandhi ?

{Interruptions)

DR. BHAI MAHAVIR : Madam, on a point of . . .

SHRI DEV DATT PURI : No, Madam, I am not yielding . . .

(Interruptions)

DR. BHAI MAHAVIR : On a point of personal explanation . . .

(Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMRTI PURABI MUKHOPADHYAY) : Point of personal explanation cannot take precedence over . . .

(Interruptions)

SHRl DEV DATT PURI : So far as personal explanation is concerned, I have many such points down my throat, with which I am going to deal with, and he can do it later.

I was amazed that when the overwhelning opinion of this House could not contain itself. then came the apology . . . *(Interruptions)* But all those things were stated with only one purpose in view, and that purpose in view was that Indo-Pak financial matter created an atmosphere for the murder of Mahatma Gandhi, and it was all in justification of the murder of Mahatma Gandhi. All the same, we live in this country and we have seen what happend on both sides of the border. Can anyone deny that there were illuminations at the murder of Mahatma Gandhi . . . *(Interruptions)* ... I have seen this with my own eyes. You indulged in it . . .

(Interruptions)

DR. BHAI MAHAVIR : This is non-sense . . .

(Interruptions)

SHRI CHANDRA SHEKHAR : This is nonsense. But he says you indulged in this ...

डा. जेड. ए. अहमद: लखनऊ में मिठाइयां बंटी थी जिस दिन कि महात्मा गांधी मारे गये ।

SHRI DEV DATT PURI : If any one supports Dr. Mahavir's contention, if any one who is not an active member of the R. S. S. in this House supports him I would yield. But Dr. Bhai Mahavir's contradiction carries no meaning. If any single Member of this House or any party in this House says that on this occasion sweets were not distributed and there wer« no illuminations . . . *(Interruptions).* I would gladly withdraw what I said. Let us not go Into it.

4 P.M.

DR. BHAI MAHAVIR : It is your own brazenfacedness to repeat a lie ?

SHRl DEV DATT PURI : Is there even one Member in this House other t;,an from his party who will will contra >ict me ?

AN HON. MEMBER : Nobody will contradict you.

SHRI DEV DATT PURI : Madan, I know a thing or two about the pernicious propaganda, the lies that are told at '.he drill meetings from oiie end of the country to the other—let me not go into it. And then it is being denied that Godse was honoured—let us not go into it ; it is a sordid story. I was really surprised, I was wondering whether it is in the 20th century when we were actually hearing these things on the 3rd June, 1972 ; I was amazed. Very briefly we were told that at these drills they are taught discipline. We saw a very good demonstration of parliamentary discipline in the House this morning. These are the people who teach young boys discipline. Repeatedlv we have heard : "Unless you do this—हम सदन की कार्यवाही चलने नहीं देंगे । " and this was repeated half a dozen times by Dr. Bhai Mahavir and the Members of the party. This is a demonstration of the type of discipline that they teach young-men at these drills . . . *(Interruptions)* . . . Here is another demonstration. We have heard all that. Here all kinds of things are being said and let them bear with me for two or three minutes.

Communalism is the most pernicious poision that has eaten into the body politic of this country. Some of the vital limbs of this body had to be amputated to get rid of communalism and yet if this kind of communalism is permitted in this country, even what is left of the country will be torn asunder. I call upon the Govern ment ___ 1 do not request them, 1 call upon *them*—to make use of the law and, act, if neceesary, come back to the House. We will strenthen your hands further. But this position must be removed from the body politic,

We are being told today that the Muslims should be India nised. I would say that those who say it are less than human. Give them no quarter. If you give communalism any further quarter it will destroy the country ; it was responsible for the partition of the country. Dr. Ahmad dealt with it. It was this communalism, both of the majority and of the minority, and I must say that the majority must bear the major part of the responsibility because we are in a majority. What has happened across the border ? I was in Lahore; I also came away as a refugee. If one was six, the other was half a dozen. Let us not take up the attitude of . . .

{Interruptions)

I was really wondering whether—this performance we were treated to or suffered — was a parliamentary speech. According to me, it was not. This is my eighteenth year as a legislator and I have never witnessed a speech degradle to such low depths. Was it an election speech ? If it was an election speech it has not cut any ice in this country because constituency after constituency *x* er constituency it has not cut any ice. Was it pangs of a guilty cons, .once ? ^ft $1 ?T?t *%* ^cft* ? It wis not even th t because they do not see i >eir guilt even yet. It was the crazy vitup ration of an in orrigible communalist a id at alone has on demonstrated to the House that this Bill is amply justified.

DR. BHAI MAHAVIR : On a point of personal explanation. My freind, Mr. Puri has use all the adjectives that he could think about me. While he has the liberty of comenting on whit I said, he could . . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPA. DHYAY) : Are you going to comment on the whole speech or a portion of it ?

DR. BHAI MAHAVIR : Only a personal explanation. When he tried to interpret what I said as a justification for Gaadhiji's murder, I must say, it was completely fantastic to give that interpretation. Beceuse you have a majority in the House, you cannot give any meaning you choose, to anywords. What I said was that we aie reminded of an atmosphere which existed at the time of Gandhiji's murder, that atmosphere was created by all the events which led to the partition. And in that situation the immediate cause of that particular thing was the gift of amount of Rg. 65 crores and with that thing certainly we had nothing to do. In this situation if the Government change its policy it was for the Government to decide about its correctness or incorrectness.

THE-VICE CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY) : That is not a personal explanation.

DR. BHAI MAHAVIR : Second ly ___

DR. Z.A. AHMAD : We have heard what he has said.

DR. BHAI MAHAVIR : Madam, you let me finish.

Then, Mr. Puri went so far as to say that illuminations were lull and sweats were distributed.

DR.Z.A. AHMAD : That is a fact.

DR. BHAI MAHAVIR : Mr. Puri's father was. head of the R.S.S. in Punjab for long years and if he was partaking of sweets in his own house I do not know, but at no other place this thing has happened.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURAB1MUKHOPADHAYAY) : In the name of personal explanation you cannot inflict any other's speech.

श्री सीताराम केसरी (बिहार) : भाई महावीर जी ने जो अभी यह कहा कि इस वजह से वातावरण पैदा हुआ · · •

DR. BHAI MAHAVIR : ... Otherwise, I will have to answer . . . Have you called on him. Madam ?

श्री बी. एन. मंडल (बिहार): उप सभापति जी, जो विधेयक अभी सदन के सामने प्रस्तुत है, उसके सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं

[श्री बी. एन. मंडल]

कि आप देश में नेशनल इंटिग्रेशन करना चाहते हैं और यह भी चाहते हैं कि देश में एक गिरोह दूसरे से न लड़े उसके लिए पहले से जितने कानून बने हुए हैं, मैं समझता हूं वे कानून काफी हैं और कोई नये कानून की जरूरत नहीं है।

जो यह नया विधेयक इस हाउस के सामने आया है उससे कोई नई बात हो सकेगी, ऐसा हम नहीं समझते हैं बल्कि इससे और भी कंफ्यूजन हो सकता है। ऐसे लोग जो दंडित नहीं हो सकते हैं उन्हें भी दंड मिल सकता है ऐसी आशंका मुझ को है।

यह बात सही है कि जो हिन्दुस्तान का संविधान है, उस संविधान में और सब बतों के अलावा इंटिग्रेशन पर भी जोर दिया गया है और उसी इंटीग्रेशन के नाम पर यह बिल लाया गया है। लेकिन इससे इंटिग्रेशन का जो मामला है वह मामला आगे बढ़ेगा या उससे पीछे हट जायेगा, इस पर विचार करना जरूरी है। मेरा अपना ख्याल है कि इस विधेयक के जो वर्डिंग हैं उन वर्डिंग से ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है कि जिन लोगों को सजा नहीं मिलनी चाहिये उनको इस कानून की गलत धारणा की वजह से सजा मिल सकती है। उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहता हूं आज इस देश में जिस तरह से समाज का विकास हुआ है, उस विकास के सिल-सिले में अनेक ढंग से लोगों में गिरोहबंदी हो गई है। आज जात के नाम पर गिरोहबंदी, साम्प्रदाय के नाम पर गिरोहबंदी है अर्थ कमाने के नाम पर गिरोहबंदी और इस तरह से आज समाज अनेक गिरोहों में बंटा हुआ है, मजबूत-गिरोह, कमजोर-गिरोह को एक्सप्लाइट कर रहा है। इस ढंग के भेद इस देश में चल रहे हैं और जाति के नाम पर और दूसरी चीजों के नाम पर एक गिरोह के जरिए दूसरे गिरोह का एक्सप्लाइटेशन किया जा रहा है। आज अर्थ कमाने के नाम पर एक्सप्लाइटेशन किया जा रहा है। इसी तरह से राजनीति के नाम पर भी एक्सप्लाइटेशन किया जा रहा है। इस के अलावा हर गिरोह आज इस तरह से दो भागों में बंट गया है और एक गिरोह दूसरे का शोषण करने में लगा हुआ है और इस ढंग से बात हो रही है।

ऐसे समाज में जो सरकार है उस सरकार को चाहिए कि देश में एकता लाने के लिए एक्सप्लाइटेशन वाला जो गिरोह है उसको खत्म करे। इस तरह की कोशिश सरकार को करनी चाहिए। इसीलिए संविधान भी बना है और उसी संविधान के नाम पर, इंटिग्रेशन के नाम पर, यह कानून भी आया है। लेकिन इस कानून का क्या नतीजा होगा? इस देश में आज बड़ी जातें और छोटी जातें बनी हुई हैं और पुराने जमाने से बनी हुई हैं और उसी की वजह से पुराने जमाने में जो बड़ी जातियों के लोग थे, जो द्विज थे, उन लोगों ने शूद्र और दूसरे लोगों का एक्सप्लाइटेशन किया है। आज अगर कोई आदमी इस बात का आंदोलन करे कि जो अमुक जाति का या जो बिछड़े समाज का आदमी है, जैसे आदिवासी है, हरिजन है, उसको अगर कोई बड़ी जात का आदमी बड़े गिरोह का आदमी सताता है और अगर उस हालत में वह यह कहे कि यह अमुक बड़ी जाति का आदमी अमुक छोटी जात के आदमी को सता रहा है, तो क्या इस कानून के जरिए उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी? उससे यह कहा जाएगा कि जो तुम जात के नाम पर दुखड़ा रो रहे हो, ऐसा मत करो ऐसा करना कानून के खिलाफ है, क्योंकि इससे जातिवाद की भावना उभरेगी। लेकिन अगर जात के नाम पर कोई बड़ी जात का आदमी या बड़े गिरोह का आदमी छोटे गिरोह के आदमी के प्रति अन्याय करता है तो वैसी हालत में क्या खुल कर उसको बोलने का अधिकार नहीं होगा कानून की दृष्टि में, जिससे वह उस बात को साफ तरीके से सामने रख सकें?

मैं समझता हूं होनी तो यह चाहिए कि जात के नाम पर चाहे धर्म के नाम पर, चाहे अर्थ के नाम पर, अगर कोई सताया जाता है है, तो

उस सताने का जो शिकार होता है वह अगर खुल्लमखुल्ला इस बात को कहता है, तो कानून की वजह से उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन यह जो बिल आया है, इसके जरिए वैसी बात हो सकती है। इस खतरे की तरफ मैं मंत्री जी का ध्यान खींचना चाहता हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती पुरबी मुखोपाध्याय): दूसरा हो गया, अभी तीसरा होगा।

श्री बी० एन० मण्डल : एक दूसरी बात मैं और कहना चाहता हूं और वह दूसरी बात यह है कि जो पुराना समाज है, जो पुरानी राजनीति है, जो संस्कार हैं उसकी वजह से जो बड़ी जाति के लोग हैं वह आज के समाज में भी बड़ी जगहों पर बैठे हैं और बड़ी जगहों पर बैठकर जब नीचे के लोगों पर और जुल्म होता है तो वह उसको दबाने की कोशिश करते हैं और इसका असर समाज पर अच्छा नहीं पड़ता है। अगर उन बड़े आदमियों पर कोई इलजाम आता है तो वे उसको दबाने की कोशिश करते हैं या उसकी अवज्ञा करने की कोशिश होती है। इसलिए इस बात पर भी ध्यान रखना चाहिए कि जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वह सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन हो या कहीं दूसरी जगह का हो, उसको इस ढंग से मैन करना चाहिए कि जो पुरानी बड़ी जाति के लोगों की संख्या है, उनको कम किया जाय, उनकी संख्या को घटाने की कोशिश की जाय और इसलिए हम लोगों का सरकार को सुझाव है कि आज जो हिन्दुस्तान की कार्यवाही ठीक से नहीं चल रही है उसका एक कारण यह बड़ी जात की जातियता भी है। उसका जो असर है उसकी वजह से भी आज हिन्दुस्तान का एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं चल रहा है। आज प्लान किस ढंग का होना चाहिए था? उसमें सबसे पहले हिन्दुस्तान के जो पिछड़े समाज के गरीब लोग हैं उनकी हालत को सामने रख कर हमको प्लान बनाना चाहिए था, वैसा नहीं हुआ क्योंकि प्लान बनाने वाले जो लोग हैं वह अपने पुश्तैनी संस्कारों के कारण पिछड़े समाज के गरीब को तकलीफ में देखने को आदी हो गए हैं। चूंकि उनका काम था, पिछड़े समाज का शोषण करना और उनके ऊपर शासन करना। इसलिए मेरा यह कहना है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको बदलने की कोशिश करनी चाहिए और पिछड़े समाज के लोग जो शोषित हैं उनको वहां लाना चाहिए। सरकार में जो आज हेल्म्स आफ दि एफेयर्स हैं वह अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो कानून में ऐसी व्यवस्था रहनी चाहिए कि वे गिरोह विशेष को कायम रखने के लिए मुजरिम बनाए जाने चाहिएं। मुकदमा चलाना चाहिए इस बात को भी मैं साफ तरीके से आपके सामने रखना चाहता हूं। अभी हिन्दुस्तान का जो शासन चल रहा है उसमें आप देखें कि ऊपर कौन है। एक जात का आदमी है राष्ट्रपति ब्राह्मण, प्रधान मंत्री ब्राह्मण, उपराष्ट्रपति ब्राह्मण। बिहार हमारा प्राविंस है। उसके मुख्य मंत्री ब्राह्मण हैं। वहां की विधान सभा का स्पीकर कौन? ब्राह्मण। जिस सहरसा जिले में मैं रहता हूं श्री ललित नारायण मिश्र भी उसी जिले में रहते हैं। वहां सारे के सारे ब्राह्मण क्लास के आदमी हैं पिछड़े समाज के लोगों की अत्यधिक संख्या उस जिले में है लेकिन सरकार के महत्वपूर्ण जगहों पर हैं और जो पिछड़े समाज के थोड़े आदमी सरकारी आफिसेज में हैं उनको बदलकर ब्राह्मणों को लाने की बराबर कोशिश होती है। आज इस ढंग से भी राज काज चलाया जाता है, क्या ऐसे राज काज चलाने वाले जो लोग हैं क्या उन के खिलाफ इस देश की इंटेग्रिटी को तोड़ने का चार्ज नहीं लगाया जा सकता? क्या जो यह कानून बन रहा है उसके अन्दर इसके लिए कोई इन्तजाम किया जा सकता है?

THE VICE-CHAIRMAN (SHR1MATI PURABI MUKHOPADHAYAY) : The Minister.

SHRI RAM NIVAS MIRDHA : Madam, a number of msnbsrs have . . .

श्री ओ३म् प्रकाश त्यागी : प्वांइट आफ आर्डर। एक ओन अमेंडमेंट आया है सेलेक्ट कमेटी के लिए।

SHRI PITAMBER DAS : What is it ? Is he intervening ?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURAB1 MUKHOPADHAYAY) : The Minister is replying.

SHRI PITAMBER DAS : If he is ex-exercising the right of reply, before that that amendment has to be taken up.

(Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY) : The Minister will reply to the debate now.

SHRI PITAMBER DAS : When will you take up the amendment ?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY) : That will be at the time of motion being put to vote.

SHRI RAM NIWAS MIRDHA : Madam, a number of hon. Members have taken part in this debate and tried to iner-pret or misinterpret the intentions and purposes of this Bill according to their own way of thinking. The guilt complex that haunts our friends on the opposite, our Jana Sangh friends, was pretty evident in speech that Shri Bhai Mahavir made. It was a speech full of—it is difficult for me to describe it; it has been described in very apt phrases by other friends on this side but it was a complete distortion and misinterpretation of not only our history but the true concept of culture in our country. He < mentioned the justification of the solgan of (Indianisation. If there is any group of j persons who need to be Indianised, they j are friends like Shri Mahavir and his party. They do not understand the essentials of Indian culture. It is not the minorities, much less the Muslim minorities, that need to be Indianised . . .

DR. BHAI MAHAVIR : Mr. Mirdha why do you misqoute me ? What I said was "India has to he Indianised". These were my words. You cannot bring in Muslims. You want to play jp Muslims, create a fear among them and cash in on their votes.

SHRI RAM NIWAS MIRDHA : I think it is one of their techniques, namely, misrepresentation. They start with a very high and noble solgan. Even Sanskrit and the Vedas are brought in and then they reduce it in practice to the most pernicious form of narrow, mindedness. This is compeletly foreign to our way of thinking and culture. If our country had been ruled or run by persons of this mentality, it would never have been the united country that it is today. So, the persons who need to be Indianised are our friends of the Jan Sangh and R.S.S. It is they who lack the essential concepts of Indian culture. The hallmark of Indian culture is not narrow-mindedness which is being exhibited here. The hall-mark of Indian culture is the breadth of outlook, the grandness of vision, a vision that encompasses all viewpoints, all religious and all ways of thinking. This is the essential spirit of Indian culture which has guided us and the nation. Othrwise, we ourselves would have split up like Europe. has been split »p into so many countries speaking so many languses. 'I hey had reli-gious wars and fratricidal wars. We are a going concern, not only a going concern, but a vigorous nation. It is because of our old cultural heritage, our essentially Indian culture which tries to encompass within its fold all parties, all view points however apparently contradictory they might be and all religions. It is only when an attempt is made to sectionalise the whole thing; to bring them into narrow visions, into a narrow way of thinking, and a stereotyped and narrow inter pretation of history, that the real danger to the Indian nation arises. So if the Indian nation is to be preserved and, made strong, the only way for it is to rejec lock, stock and barrel ihe way of thinking! the RSS and Jan Sangh and this is exactly what the country has done. We were told that we should meet this challenge on the political plane. That is exactly what we have been doing. We do not rely merely on laws. Laws are there to assist us in bringing the delinquents to book, but-

merely relying on law and the enforcement of law will not bring in the desired results. We have always met the communal menace headlong in a political way. There cannot be better demonstration of that than the result of the past two elections. In these two elections our Prime Minister and our party in a very *to* thright manner, took cudgels ag. ins- the communal elements in our count! an 1 the country fortunately endossed o ir p >lic s. The resals of these two electic is are a very eloquent iestirnony to the sot idness of Indian public opinion, to the sotnd attitudes that our Indian nation has It is a complete reputation of the concepts o the Jan Singh ant! the RSS. I would s; y that tl sy ganged up vith other political p :rti(;, bit we have me' this challenge and we vill coutinue to m et it politically. We will U ;e it to the :>eo ile in every form and re,->pect to meet .his challenge. We feel that comunal tension and commnnal violence is a very pernicious form of poison and we want that it should be eradicated from our life, so that we earn have a healthy and throbbing national community.

Mention was made of Mir Jaffer, Jai-chand and others. It is all right for you to say that Mir Jaffer was a traitor, but you take it to another coclusion that the whole M.isl im community are traitors and, according to your thinking, probably they can never be loyal to this country. This is the most preposterons way of taking things to their absurd conclusion. One does not judge...

DR. BHAI MAHAVIR: I never said it, but then he is replying to it.

SHRI RAM NIWAS MIRDHA; You mentioned certain persons like Mir Jaffer and Jaichand.

DR. BHAI MAHAVIR: I only said that just as there was Mir Jaffar, there was Jai Chand also. Which means that traitors do not belong to only one community.

AN HON. MEMBER: He means that traitors belong only to the Muslim community.

SHRI RAM NIWAS MIRDHA: You brand the whole community as being traitors and not being capable of assimilating themselves. My hon'friend has been saying this and that is exactly...

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : जितना पढ़ा कर दिया गया उतना ही बोलेंगे, उससे ज्यादा नहीं ।

श्री राम निवास मिर्धा : अजी, जो भाषण बाहर आप देते हैं वही भाषण यहां देते हैं—मुझे क्यों कहते हो पढ़ा के भेजा है । आपकी पढ़ाई शुरू से आखिर तक हुई होती है । यही तो आपत्ति है, जो बाजार के भाषण हों वे सदन में न दिए जाएं । यहां पर सदन में जो बातें कही जाएं, बुनियादी बातों पर विचार करके कहा जाए, कि देश को किस तरह से सही रास्ते पर ले जाया जाए । आपकी तरह से तंग-दिल भाषण से नहीं, जैसा कि भावनाओं को उभाड़ कर सड़कों पर करते हैं ।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : अपनी बात कुछ कहिए, जो डिक्टेशन मिला है उसको मत कहिए । अच्छी बात कहिए ।

SHRI RAM NIWAS MIRDHA: I will deal with a couple of misgivings which some hon. Members have expressed. And one of them is that this Bill would be used against political parties and progressive movements. Well, nothing can be farther from truth. The same fear was expressed when I tried to introduce the Bill in the Lok Sabha in 1970. There I explained that this interpretation is very wide of the mark and would never be tenable. But even then, because some doubts have been expressed, we tried to readapt our phraseology in snch a way that it is now completely clear that there is no question of any political party, political movement or any such thing being brought within the ambit of this law.

SHRI PITAMBER DAS: Against whom da you propose to use it 7

SHRI RAM NIWAS MIRDHA: You will discover it soon. Mr. Pitamber Das is a person against whom it will not be used.

[Shn Ram Niwas Mirdnaj Do not have a guilty complex; do not feel as if the whole thing is being brought against you. Yoy think so because you feel liks that.

SHRI P1TAMBER DAS: I have no apprehension of that. I only want to know if it is not going to be used against me or any political party, against whom are you going to use it ?

SHRI RAM NI WAS MIRDHA: I said, not against political parties and popular movements. The point that I want to make it that a fear was expressed that ii would be used against popular movements and political parties, In a clear way, I want to emphasis that tnis fear is not at all well founded and th.s would never be d ine. It was said: If persons inclucie associat ms, why create another definition of associa tion ? It is true that under the IPC, ar sons include association but tnere is n lin ing in IPC as to how to punish an a.sa tiation. And one of the reasons for bail ing forward this Bill is to bring assj.ua-tun also within the ambit of cos la.v .iju-nst communal elements. There do exist provsions even now to punish idiviJuals for Communal and devisive activities. Bjt there is no provision under the law at present to bring in any misehief done by communal elements, communal parties or communal associations. So, I do not think a mere definition would have sufficed; we had to do it in a particular way and that is why we have done it. Again, a fear was expressed that these provisions are too draconian. That word was not used but that is what was said in so many words. It was said that too much power is given to the Government which it likely to be abused. This is not so because there is a certain procedure which has been laid down under the statute by which the order or notification declaring a communal organisation of a culpable nature would have to go to a tribunal which would consist of a High Court Judge. The tribunal will look into it and see if the notification is justified. It is only in very extraordinary circumstances that the notification will be brought into effect immediately and not in the normal course. That is how we intend to do it. Also any notification should go first to the tribunal which would have an opportunity of looking into it and then proceed. This Bill also brings to book people not only with communal feelings but those who excite of regional feelings. I think hon'ble Members have carefully seen the Bill. There are many other aspects which unfortunately are neglected. There are not only communal feelings in this country which are harmful to the national wheel, but other forces also against which this Bill is intended. There are regional and parochial feelings which we find. We find many types of Senas which go about saying that people from one area cannot live in another area or cannot work in another area and things like this. They are also being brought within the ambit of this Bill. So it is not correct to say that the Bill is wholly aimed against some particular persons or some particular party. But 5 will not hesitate in saying that the Government is seriously concerned wilh some type of communal thinking and behaviour in the country. We feel that this is against national integration, against the spirit of the whole Indian nation, and if any serious manifestations of such behaviour come to our notice, Government will not hesitate to take action. But, as I said in my earlier speech also, Madam, we will be most happy if we are not made to use this power that W! get under this Bill. We feel that this Bill would set standard for the behaviour of most of the political parties, elements and other groups that obtain in our country which means that they would not indulge . .

SHRI SASANKASEKHAR SANYAL : What is the guarantee that the bureaucracy will not misuse it ?

SHRI RAM NIWAS MIRDHA : I would say fear was expressed that the lower echelons of the bureaucracy might interpret and use this to the detriment of common people. To this I would say that it is only the Central Government which is empowered to declare an association unlawful under this Act. That power does not vest even with the State Government much less at lower levels of bareaucracy or whatever you choose to call it. There is no fear on the score that it would be interpreted or misinterpreted or used at lower levels by the bureaucracy or others. It is only the Central Government which has the power to act under this Act, issue notification, declare an association unlawful, and that is why that fear also does not exist. I have put in the Act itself safeguards. . .

DR. Z. A. AHMAD : My fear was that the bureaucracy will not implement it properly.

SHRI RAM NIWAS MIRDHA : I was replying to Mr. Sanyal's fear. As regards your fear, I have already said that we wish we are not in a position where we will be compelled to use it. But we will not hesitate to use it if we find communal elements going about in a manner which is detrimental to national wheel, national integration, and no amount of bureaucracy or any other impediments of whatever nature would come in the way of a most resolute implementation of this legislation. With these words, Madam, I commend this Bill for the consideration of the House.

श्री एस. असअद मदनी (उत्तर प्रदेश) : वाइस चेयरमैन साहिबा, जब मैं आया तो मुझे मालूम हुआ कि मेरी गैर मोजूदगी में, जब मैं यहां पर नहीं था, तो एक मेम्बर ने मेरे पीछे मेरा नाम गलत तरीके से लिया और कुछ गलत बातें कहीं। मेरे मुताल्लिक भाई महावीर ने कहा कि मैंने कहीं यह कहा है या लिखा है कि हिन्दुस्तान दारुलहरफ है और यहां पर इस्लामी हुकूमत कायम करनी चाहिए। यह बिलकुल झूठ है और गलत बात है। (*Interruptions*) यह बिल्कुल गलत बात है और अगर मुझे इस तरीके से कोई बात करनी होगी तो किसी चोरी छिपे की जरूरत नहीं थी। किसी सेक्यूलर पार्टी के साथ आजादी के मूवमेंट में अगर हमारे पुराने हजरत शैफुद्दीन मोलाना मुहम्मद हसन साहब हिन्दुस्तान से बाहर काबुल में पहली आजाद हिन्दुस्तान की हुकूमत कायम करें और उसके सद को राजा महेन्द्र प्रताप को बनायें, तो आज इस किस्म का इल्जाम करना कि यहां पर हम लोग इस्लामी हुकूमत कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे बड़ी गलत बात कोई नहीं हो सकती है। (शेम, शेम) इसी तरह से उनके चेयरमैन साहब ने लोक सभा में भी इसी तरह के झूठे इल्जाम लगाये जबकि मैं वहां पर मोजूद नहीं था और मेरे लिए कोई सफाई की सूरत नहीं थी। लेकिन अफसोस यह है कि मेरी गैर मोजूदगी में दस मर्तबा, मेरी मोजूदगी में भाई महावीर ने तकरीर की है। उनको चाहिए था कि वे इस तरह की बातें मेरी मोजूदगी में कहते। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि मैं थोड़ी देर के लिए चला गया था और उन्होंने इस तरह की बातें कहीं।

DR. BHAT MAHAVIR : It is on personal explanation. He has made a state-merit and I must reply. . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MATI PURABI MUKHOPADHYAY) : Dr. Bhai Mahavir, you must know the rules. If you refer to a person by name he has every right to have a personal explanation. He has exercised that right. I do not allow you.

DR. BHAI MAHAVIR : I referred to to Jamait-ul-Ulema and I said that he was connected. . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY) : Dr. Mahavir, behave yourself, please.

I shall now put the amendment of Mr. Najeshwar Prasad Shahi for referring this Bill to a Select Committee to vote.

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : उपाध्यक्षा महोदया, मुझे दो मिनट का समय मिलना चाहिये।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY) : No, no.

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : नो, नो क्या, कोई तानाशाही है। जो वहां चला जाता है···

(*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY) : You have already moved the amendment.

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : केवल दो मिनट का समय मुझे दे दिया जाय।

THE VICE CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY : Mr. Shahi, you were not here at that time. If *j*

Shnmati Purabi Mukhopadhyay] you had been here, I would have allowed you. *(Interruptions)* Vou can have a chance in the third reading.

SHRI PITAMBER DAS : Madam, this is a point of procedure.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY) : Yes, please allow me to follow the p;ocednre. The procedure is not that anybody can rise at any time and speak.

SHRI PITAMBER DAS : The point is, the motion for referring the Bill to a select Committee is there and before the Minister exercised his right of reply, 1 pointer out, even at that time, that the mover of that motion should be allowed to speak.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY): But he was not here at that time. Now, I shall put the amendment to vote. *(Interruptions)* Please sit down. Ar. Nageshwar Prasad Shahi has moved an amendment for referring this Bill *to* a Select Com/nittee. He could have made a speech if he had been present at that time. I cannot allow him now at this stage to speak on his amendment. But he can exercise his right when we take up the third reading.

SHRI PITAMBER DAS : When the Minister rose to exercise his right of reply, I pointed out at that time that. , .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRlMATI PURABI MUKHOPADHYAY) : Mr. Pitamber Das, I told you, he was not here at that time. It is not the business of the Chair to send for him.

SHRI PITAMBER DAS : Not that. I was told that he would bs allowed to speak even after the reply. I said, how.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY) : He will be allowed to speak at the third reading stage, not now.

I shall now put Mr. Shahi's amendment to vote.

The question *is :*

"That the Bill further to amend the Indian Penal Code, the Code of Criminal Procedure, 1898 and the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, be r*ferred to a Select Committee of the Rajya Sabha consisting of following members, namaly :—

1. Shri Nawal Kishore
2. Shri Sasankasekhar Sanyal
3. Dr. Bhai Mahavir
4. Shri Lokanath Misra
5. Shri B. N. Mandal
6. Shri Shyam Lai Yadav
7. Chaudhary A. Mohammad

with instructions to report by th« first week of the next session."

The House divided

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY): Ayes—22; N«es—94.

ArES—22

Adwani. Shri Lai K. Banarsi Das, Shri Chaudhary, Shri Ganeslr '^al Choudhury, Shri Suhrid lullick Ganguli, Shri Salil Kumar Mahavir, Dr. Bhai Mandal, Shri B.N. Mathew Kurian, Dr. K. Mathur, Shri Jagdish Prasad Menon, Shri K.P. Subramania Misra, Shri S.D. Mohammad, Chaudhary A. Patel, Shri D K. Pitamber Das, Shri Prem Manohar, Shri Roy, Shri Monoranjan Sakhalecha, Shri V.K. Sanyal, Shri Sasankasekhar Shahi, Shri Nageshwar Prasad Tyagi, Shri Mahavir Varma, Shri Man Singh Yadav, Shri J.P.

NOES—94

Abid, Shri Qasim Ali
Ahmad, Shri Syed
Ahmad, Dr. Z. A.
Anijad Ali, Sardar

Arif, Shri Mohammed Usman
Basar, Shri Todak Berwa Shri
Jamna Lai Bhagwati, Shri B.C.
Bhatt, Shri Nand Kishore Bisi, Shri
P.N. Bobdey, Shri S. B. Burgohain,
Shri N.C.
Chandra Shekhar, Shri
Chattupadhyaya, Dr. Debiprasad
Chettri, Shri K.B.
Choudhury, Shri N. R.
Das Shri Balram
Das, Shri Bipinpal
Deshmukh, Shri T.G.
Dikshit, Shri Umashankar
Dutt, Dr. Vidya Prakash
Gadgil, Shri Vital
Gujral, Shri I.K.
Hathi, Shri Jaisukhlal
Himmat Sinh, Shri
Jairamdas Daulatram, Shri
Joseph, Shri N.
Kalania, Shri I.K.
Kalyan Chand, Shri
Kapur, Shri Yashpal
Kemparaj. Shri B.T.
Kesri, Shri Sitaram
Khan, Shri Maqsood Ali
Kollur, Shri M.L.
Krishan Kant, Shri
Kumbhare, Shri N. H.
Lakshmi Kumari Cnundawat, Shrimati
Madani, Shri M. Asad
Mahida, Shri U.N.
Majhi, Shri C.P.
Malaviya, Shri Harsh Deo
Mali S ri Ganesh Lai
Mehta, Shri Om
Menon, Shri K.P. Subramania
Mirdha, Shri Ram Niwas
Mukheijee, Shri Kali
Mukheijee, Shri Pranab Kumar
Mulla, Shri A.N.
Musafir, Shri Gutumukh Singh
Nandini Satpaihy, Shrimati
Narasiah, Shri U.S.
Narayanan pa, Shri Sanda
Narayani Devi Manaklal Varma, Shrimati
Nurul Hasan, Prof. S.
Oberoi, Shri M. S.
panda. Shri Brahmananda
pattl, Shri P. S.
pratibha Singh. Shrimati
puri, Shri Dev Datt
Raha, Shri Sanat Kumar
REJU, Shri V. B.
Reddy, Shri Janardhana
Reddy, Shri K. V. Ragbunatha
Reddy, Shri Mulka Govinda
Roshan Lai, Shri
Sangma, Shri E. M.
Saroj Purushottam Khaparde, Miss.
Satyavati Dang, Shrimati
Savita Behen. Shrimati
Sen, Dr. Triguna
Shah. Shri Manubhai
Shastri Shri Bhola Paswan
Shilla, Shri Showaless K.
Shukla, Shri Chakrapani
Shukla, Shri M. P.
Shyamkumari Devi, Shrimati
Singh, Shri Bindeshwari Pd.
Singh, Shri D. P.
Singh, Shri M. B.
Singh, Shri Mohan
Singh, Shri Ranbir
Sisodia, Shri Swaisingh
Sita Devi, Shrimati
Sukhdev Prasad, Shri
Sumitra Gandhi Kulkarni, Shrimati
Sushila Manstikhlal Desai, Miss
Thakur, Shri Gunanand
Tiwary, Pt. Bhawaniprasad
Tombi, Shri Salam
Trivedi, Shri H. M.
Untoo, Shri Gulam Nabi
Vero, Shri M.
Vidyawati Chaturvedi. Shrimati
Vyas, Dr. M. R.
Wajd, Shri Sikandar Ali

The motion was negatined.

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : चूंकि सत्ता दल अपने बहुमत का दुरुपयोग कर रहा है और सदन की सारी मान्यताओं को समाप्त कर रहा है इस लिए हम लोग सदन से वाकआउट करते हैं।

SHRI PITAMBER DAS : Madam, we also walk out.

[The hon. Members left the Chamber]

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY) : I shall now pnt the motion.

The question is :

"That the Bill futher to amend the Indian Penal Code, the Code of Cirmi-

IShrimati Purabi MukhopadhyayJ

nal Procedure, 1898 and the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY) : We shall now take up clause by clause consideration of the Bill.

Clause 2—Amendment of Act 45 of 78(50

THE VICE CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY) : There are thirteen amendments Shri Ahmad is not moving his amendments Amendment No. 10 is barred. Is Shri O. P. Tyagi moving his amendents ?

SHRI O. P. TYAGI : Sir, I move :

I. "That at page I,

(i) line 12, the word 'likely' be deleted;

(ii) line 15, the word 'likely' be deleted;

(iii) line 17 *after* the word 'Community' the words 'or nation' be *inserted."*

3. "That at page 2, line 1, the word 'likely' be *deleted."*

6. "That at page 2, lines 20 to 26 be *deleted."*

8. That at page 2, lines 29 to 33 be *deleted."*

II. "That at page I, line 9, the words 'any exercise' be *deleted."*

12. "That at page 1, line 18, *after* the words 'language or' the word 'political' be *inserted."*

13. "That at pages 1, and 2, line 18 and lines 1 to 4. the words 'such activity for any reason whatsoever causes or is likely to cause fear or alarm or a feeling of insecurity amono-gst memberj of such religious, racial, language or regional group or cast or commnnily' be *deleted."*

14. "That at page 2, line 4, *after* the word 'community' the word* or nation' be *inserted."*

AN HON. MEMBER: So, you have not walked out ?

SHRI O. P. TYAGI; I have not walked, out. I will fight unto the last.

THE VICE-CHAIRMAN fSHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY) : You can speak on your amendments.

उपसभाध्यक्ष महोदया, यह बिल इस ढंग से लाये है। ठीक है कि साम्प्रदायिकता इस देश से समाप्त होनी चाहिये, इसमें किसी को मतभेद नहीं, इसमें दो मत नहीं लेकिन गवर्नमेंट जिस ढंग से इस बिल को लाइ है उससे तो इस देश में पुलिस राज बन जायगा।

मैं एक एक कर के सारे संशोधन ले लूं या सब पर बोलना शुरू करूं।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती मुखोपाध्याय) : आपको जो सुभीता हो।

श्री ओउम् प्रकाश त्यागी: मैं पहले नम्बर 1 और 2 पर बोल रहा हूं।

इस बिल के क्लाज़ 2 के (सी) भाग में लिखा है। जो कोई संस्था [illegible] गी, आर्गेनाइजे [illegible] न होगा उसके लिये लिखा [illegible] या है। क्लाज 2 (सी) जो इस बिल का है [illegible] में यह लिखा है

"(c) organizes an exercise, mo[illegible]-ment, drill or othe[illegible] similar activ[illegible]y intending that the pa[illegible]cipants in s[illegible]h activity shall use or [illegible] trained to [illegible] criminal force or viol[illegible] or knowing it to be likely that the p[illegible]rticipants in su[illegible] activity will use or [illegible] trained to [illegible] criminal force or viole[illegible], or participa[illegible]s in such activity inten[illegible]ng to use or [illegible]e

trained to u?e criminal force or violence or knowing i to be likely that the participants in si h activity will use or be trained to us criminal force or violence against any i ligious, racial, language or regional gron *i* or caste or community and such acl vity for any reason what so ever cause ; or is likely to cause fear or alarm oi a feeling of insecurity a mongst nv nbers of such religious, racial, langut ;e or regional group or caste or community."

उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरा इससे कहना यह है कि इसमें जो "लाइकली शब्द है यह बड़ा खतरनाक है। इस बिल का इस्तेमाल कोई मिनिस्टर साहब नहीं करेंगे, इसका इस्तेमाल पुलिस करेगी किसी के एक्शन पर, किसी के कार्य पर किसी को दोषी ठहराया जाय या किसी का उद्देश्य स्थापित हो गया है तो उसको दोषी ठहराया जाय, यह बात समझ में आ सकती है परन्तु अगर सम्भावना है कि सम्भवतः ऐसा होगा इस पर भी पुलिस को अधिकार दे दिया जाय तो मेरी प्रार्थना है कि उसका परिणम यह होगा कि पुलिस के अधिकारी किसी भी भले आदमी को, किसी भी संस्था के किसी अधिकारी को थाने में ले जायेगें और जेल में भेज देगे। हमको यह संदेह है। उनके पास कोई सबूत तो होगा नहीं, कोई प्रमाण तो होगा नहीं क्योंकि वह कहेंगे कि यह लाइकली है, ऐसा लगता है। इसका परिणाम यह होगा कि देश में पुलिस राज होगा और पुलिस को एक रिश्वत लेने का और अवसर मिल जायगा।

मेरी प्रार्थना है कि यह बिल जो है यह पोलिटिकल कम्युनलिज्म है। चूंकि जनसंघ आपका विरोध कर रहा है इसलिये ऐसा कर रहे हैं। यह भी एक प्रकार की साम्प्रदायिकता है। तो मेरी प्रार्थना है कि आप गम्भीरता से विचार कीजिये कि लाइकली शब्द जो है इसका दुरुपयोग होगा। इसकी कोई डेफीनिशन नहीं होगी, आपका इरादा है कि आप मारेंगे, आप ऐसा करेंगे इस बिना पर लोगों को पकड लेंगे। इसका कोई प्रमाण नही होगा। तो यह बहुत ही गलत पावर दी जा रही है। तो मेरी प्रार्थना है कि जहां यह शब्द "लाइकली आया है उसको वहां से हटा दिया जाय। मेरी यह प्रार्थना है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY): Mr. Tyagi, you will speak en the other amendments ?

श्री श्रोउम् प्रकाश त्यागी : हां, बोलूंगा।

SHRI RAM NIWAS MIRDHA : All the amendments on Claaw 2 can be taken together.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY) : Mr. Tyagi, I wanted to block all your amendments together. So, you finish your speech on the other amendments standing in your name and then the Minister will reply.

श्री श्रोउम् प्रकश त्यागी: फिर तो मेरा टाइम बढ़ाया जाए। आप बीच में घंटी न बजाएं।

अच्छा तो मेरा जो दूसरा अमेन्डमेन्ट है, उसके बारे में मैं गृह मंत्री महोदय से बहुत गम्भीरता से प्रार्थना करता हू कि साम्प्रदायिकता का आधार केवल धर्म नहीं होता है—धर्म भी होता है—लेकिन जाति भी है जन्म भी है, अर्थ भी है, और रंग भी है, और पोलिटिक्स भी है। तो जो आदमी धर्म के नाम पर सांप्रदायिकता कर रहे हैं, एक धर्म के ग्रुप वालें दूसरे धर्म वाले के साथ लड़ें, यह भी सांप्रदायिकता है। दूसरे जाति के नाम पर, चूंकि मैं इस जाति का हूं तो दूसरी जाति के साथ झगड़ा करता हूं, यह भी एक सांप्रदायिकता है। सांप्रदायिकता पोलिटिकल भी है, आर्थिक भी है—गरीब सब साधु हैं, पैसे वाले सब बदमाश हैं यह भी एक टेन्डेंसी कम्युनलिज्म की है जो मैं . . .

डा. जेड. ए. अहमद—यह नया इन्टर-प्रिटेशन है— ओरिजिनल ।

श्री ओउम् प्रकाश त्यागी—ओरिजिनल तो मैं कहूंगा आपकी जानकारी के लिए । तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो पोलिटिकल कम्युनलिज्म हैं उसका आधार यह है इस देश में जिनकी लाएलिटी नहीं है, जिनकी लाएलिटी एशिया और चाइना में है । डा. अहमद साहब, आप ध्यान से सुनिएगा, हमारे अमेन्डमेन्ट में यह है कि जिन लोगों की लाएलिटी इस देश में नहीं है, जो पोलिटिकल कम्युनलिज्म रहते हैं, जो इस देश के साथ सांप्रदायिक आधार पर व्यवहार करते हैं और जिनका सदा नारा है कि—पावर कम्स फाम द बैरल आफ ए गन । उन्होंने बंगाल में बाकायदा पोलिटिकल साम्प्र-दायिकता प्रकट की है, एक पोलिटिकल पार्टी वाले ने दूसरी पोलिटिकल पार्टी वाले को दिन-दहाड़े मारा है । कोई कारण नहीं था । उनका केवल एक ही पाप था कि उनकी विरोधी पोलि-टिकल पार्टी के मेम्बर थे । क्या सरकार की दृष्टि में यह कम्युनलिज्म नहीं है । अगर कोई देश के खिलाफ साम्प्रदायिकता के आधार पर, पोलिटिकल आधार पर, बगावत करता है, एन्टी नेशनल एक्टिविटी करता है, वह इस बिल में आता है । तभी मैंने अपने अमेन्डमेंट में कहा है कि जहां आपने लिखा है रीजनल ग्रुप, कास्ट या कम्युनिटी, उसके आगे 'नेशन' लगा दिया जाए जिससे कि राष्ट्र के विरोध में कोई ऐसी एक्टिविटी आर्गनाइज करता है, जो देश के खिलाफ प्रयोग करे, तो उस पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए, जैसे कि नक्सलाइट ग्रुप है, उनको भी एन्टी नेशनल एक्टिविटी के कारण इस बिल की गिरफ्त में आना चाहिए ।

मेरा दूसरा अमेन्डमेंट है नं० 8। पेज 2 पर लाइन 29-33 में जो धारा का भाग है वह बहुत खतरनाक है···

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती पुरबी मुखोपाध्याय): वह तो क्लाज 2 है ।

श्री ओ३मप्रकाश त्यागी : धारा 2 का वह इस प्रकार है :

> "Whoever commits an offence specified in sub section (1), in any place of worship or in any assembly engaged in the performance of religious worship or religious ceremonies, shall be punished with imprisonment which may extend to five years and shall also be liable to fine."

मैं गृह मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा—इसमें आपने कहा है, अगर कोई ऐसी एक्टिविटी जो दूसरे की भावना को ठेस पहुंचाती है, चाहे वह धर्म मंदिरों में वर्शिप के लिए हो या धार्मिक कार्य के संबंध में हो, वह पनिशेबल होगी । यह डाइरेक्ट टच कर रहा है धार्मिक संस्थाओं को । उन्होंने इस बिल में धर्म मंदिरों को लाकर खड़ा किया है । मंदिरों, मस्जिद और गिरजा-घरों को लाकर भी खड़ा किया है इन्होंने, जो कि आज वे आफ वरशिप है । मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि एक मंदिर में खड़ा हुआ आदमी मूर्ति पूजा कर रहा है और मूर्ति पूजा करने से मेरे मुसलमान भाई जो मूर्ति में विश्वास नहीं करते हैं, उनकी धार्मिक भावना को ठेस पहुंच रही है । एक आदमी मंदिर में बैठा हुआ शराबबंदी के खिलाफ बोल रहा है, शराब के नशे के खिलाफ बोल रहा है और एक धर्म वाला जिसके धर्म में शराब पीना एक अंग है, उसकी भावना को ठेस पहुंच रही है । अगर काली जी या सरस्वती का जलूस निकल रहा है और उस जलूस में उसके पूजन को देखकर जिनको मूर्ति में विश्वास नहीं है, अगर उनकी भावना को ठेस पहुंच रही है, तो इसका क्या होगा । इसके माने यह हुए कि जो हमारे फन्डा-मेंटल राइट्स है, धर्म क्रियाओं के संबंध में जो स्वतंत्रता है, आप उस पर प्रतिबन्ध लगाना

चाहते हैं, इस तरह की झूठी बातों को लाकर के। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने इस धर्म मंदिर में इस बात को लाकर कहां खड़ा किया? अध्यक्षा महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि वे आफ वरशिप जितने हैं वे एक दूसरे के विरोधी हैं। जितने धार्मिक संगठन है उनके मंच से प्रचार होगा और इस तरह से धर्म की भावनाओं और उन सिद्धान्तों का खंडन होगा। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब भावनाओं का खंडन होगा, तो आपका कानून कहां जायेगा। क्या यह कानून दफना दिया जाएगा या इस्तेमाल करके मौन हो जाएगा। इस प्रकार के कानून आप क्यों पेश करते हैं जिसका आप इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। यदि आप करेंगे तो धार्मिक संस्थाओं में इतनी शक्ति है कि वे आपके इस काले कानून का डटकर मुकाबल करेंगे और मैं आर्यसमाज की ओर से चैलेंज करता हूं मिनिस्टर महोदय को कि आप इस काले कानून को पास कीजिए। आप आर्य समाज के मंच को खूब अच्छी तरह से जानते हैं, आप पुलिस लेकर आइए और हम हिन्दूपंथी इस बिल का जनाजा निकालेंगे, इसका विरोध करेंगे और डटकर विरोध करेंगे। आपने इस अधिकार को गलत रूप से लिया है।

दूसरी चीज अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो ऐसे पब्लिकेशन्स हैं—मैं गृह मंत्री जी को खूब जानता हूं और उनके ज्ञान की क्षमता को भी जानता हूं—जिनको मै कोट करना चाहता हूं। एक धर्म ग्रन्थ में लिखा है और वह यह है "और लड़ो उनसे यहां तक कि न रहे कितना अर्थात् बल काफिरों का और होवे दीन तमाम वास्ते अल्लाह के। और जानो तुम यह कि जो कुछ तुम लूटो किसी वस्तु से निश्चय वास्ते अल्लाह के है पांचवां हिस्सा उसका और वास्ते रसूल के॥ लूटो और मारो इन काफिरों को।"

मं. 2 1 सि. 9 1 सू. 8 I आ, 39 II 41 II

मैं पूछना चाहता हूं कि अगर यही उपदेश एक आदमी अपने मंच से देगा, इस तरह का उपदेश अपने धर्म ग्रन्थ से देगा तो जिस धर्म ग्रन्थ में इस तरह के उपदेश है क्या आप उस पर प्रतिबन्ध लगा देंगे ? मैं साफ जानना चाहता हूं कि आप इस बात का जवाब दें कि अगर इस प्रकार की बातें किसी धर्म ग्रन्थ में है, जो दूसरे लोगों को मारने, लूटने को उत्साहित करती है, घृणा पैदा करती है, तो आपका कानून क्या करेगा ?

SHRI MANUBHAI SHAH : Which is the book he is referring to ?

THE VICE-CHAIRMAN (SHR1MATI PURABI MUKHOPADHYAY) : What was the scripture you referred to ?

श्री ओइम प्रकाश त्यागी : यह कुरानशरीफ है। मैंने पहले जानकर नाम नहीं लिया था क्योंकि मैं समझता था कि आप बिगड़ेंगे और आपको तो मीनिया है...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMAT1 PURABI MUKHOPADHYAY) : You should discuss your own amendments, li is not a general discussion.

SHRI SYED HUSSAIN (Jammu am Kashmir) : Madam, on a point of order The hon. Member has stated that it ha: been written in the *Quran to* make *loot* and then divide it. It is absolutely wrong He is not well versed in, and has no know ledge, about the *Quran.* I think the hon Member is creating a bad impression in ou nation. We are opposed to the two natioi theory. Our country is a seculiar country and theocratic State is Pakistan. We har< not tolerated the two-nation theory. Her he is preaching two-nation theory. The hor Member must remember that no religio preaches *loot* and *maar.* He is absolute wrong. He has absolutely no knowledge (Islam and the *Quran.*

5 P. M.

श्री ओ३म प्रकाश त्यागी : उपसभाध्यक्ष महोदया, मेरे पास यह ग्रन्थ है और इसमें से

श्री सीताराम केसरी : यहां पर आप कुरान की बात कर रहे हैं और वहां पर गुलाम सरवर के साथ बैठ कर फैसला कर रहे है।

(Interruptions)

श्री ओ३म् प्रकाश त्यागी : मैं केवल इसी लिए नहीं कह रहा हूं। मैं आपसे सिद्धांत बता रहा हूं कि कोई भी धर्मग्रन्थ ऐसा नहीं है जिस ने अपनी सच्चाइयों को सिद्ध करने के लिए जो पहले धर्मग्रन्थ या दर्शन थे उनकी आलोचना न की हो। मैं इसलिए नाम नहीं ले रहा हूं। कोई धर्मग्रन्थ ऐसा नहीं है जिसने दूसरे की सच्चाइयों को गलत मानते हुए पहले अपनी सच्चाई को पेश करने की कोशिश न की हो · · ·

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY) : Mr. Tyagi, please finish. *(Interruptions)* . . .

श्री ओ३म् प्रकाश त्यागी : इसमें आर्य-समाज कहां से आ गया। आप सच्चाई को सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं तो काम्पलीकेशन्स बता रहा हूं। इस कानून में कहां है, इस कानून में आप क्या करेंगे...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY) : Mr. Tyagi, will you please take your seat ? Koran is a religious scripture which a particular people who believe in a particular religion treat with respect. I will not allow a misinterpretation or unkoowtng interpretation—because you do not Ihww the scriptnre of Koran—or wrong interpretation of the whole thing. It is not fair. This is a very responsible House where anything like that will not be allowed.

(Interruptions)

SHRl SYED HUSSAIN : The hon. Member must know that ha has said it unknowingly.

(Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY A) : I have disallowed it . . . *(Interruptions)* . . Are you going to challenge my decision ?

SHRI O. P. TYAGI : I challenge your decision.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAYA) : Mr. Tyagi, I am not going to allow that.

श्री ओ३म् प्रकाश त्यागी : मैं सिद्ध कर सकता हूं जिस ग्रन्थ का मैंने नाम लिया है उस में से मैं एक नहीं अनेक कोटेशंश दे सकता हूं। आप चेयर पर बैठ कर खुदा बन गई हैं।

(Interruptions)

श्री सीताराम केसरी: आन ए प्वाइंट आफ आर्डर। उन्होंने चेयर पर ऐस्पर्शन किया है इस लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इनको कंडेम कीजिए। उन्होंने चेयर पर एस्पर्शन किया है···

श्री ओ३म् प्रकाश त्यागी : चेयर ने मेरे स्टेटमेंट को गलत बताया है। वह गलत नहीं है, सही है।

श्री सीताराम केसरी : उन्होंने चेयर को गलत कहा है।

श्री ओ३म् प्रकाश त्यागी : चेयर रूलिंग दे सकती है, परन्तु मेरी बात को गलत नहीं बता सकती है। मैं सही बात कह रहा हूं।

श्री सीताराम केसरी : आप गलत कह रहे हैं, आप विदड्रा कीजिए।

श्री ओ३म् प्रकाश त्यागी : मैं विदड्रा नहीं करूंगा, मैंने सच कहा है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY) : Your time is up. Mr. Minister, please reply.

SHRI PREM MANOHAR : Let him speak.

(Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAYA) : I cannot allow any further attempt for that. Yes,

Mr. Minister . . . (*Interruptions)* . . . Mr. Tyagi's name was for the amendments and I have called him. I have given him more than 15 minutes. I will call the Minister now.

SHRI RAM NIWAS MIRDHA : One of the amendments proposed is that the word "likely" be deleted and another amendment also refers to the deletion of ;he word "likely" that appears more than once in this clause. As I have said in my original speech, we are introducing an element of *mens rea* in this Bill. *Mensrta* means a guilty mind, and it can b» said that it has two,elements. One is, of course, the obvious intention. If a person does a thing with a certain intention it can be said that he is guilty of that or that he wants to do that particular act. Along with that what we have said is that in addition to his intending, even if he has the knowledge it means-he is likely to believe that certain actions on his part would lead to certain results. That has also been brought within the meaning of this clause. The two things are complementary. If an act is so, let us say, reckless, that a person who does that particular act should know whit would be the consequences of that act. So the two things, *i.e.* the intention and the knowledge that a particular consequence would follow from a particular act, would go together. From that point of view, removing the word 'likely' would be unnecessarily restricting the scope of this Biil. It is also a well accepted legal concept that *mensrea* should include not only what is inlended but also the likely effect of those actions of a particular person. He is to be held responsible for these acts also because he knew it fully well that particular consequences would follow from those acts. So, removing the word 'likely' would be serving no purpose which we have in view. We intend that the two things should go together, *i. e.* not only the intention to do a certain thing but also the knowledge that particular consequences will follow from a particular action of a concerned person.

Much has been said about sub-clause (2) of the proposed sactíon 153. The hon. Member wants it to be deleted. Now, sub-clause (2) does not create a new offence.

Sub-section (1) (a) (b) and (c) constitute a particular crime which means if you do certain things of a communal nature or otherwise which are punishable, the punishment is three years but if you do the same thing and misuse a religious place for commission of that offence, the sub-section merely says that the punishment will be five years in place of three years. The idea is very clear. No new offence is being created. This ounishment of five years will only be in those cases which occur in • religious place. Whsn we say that a particular ac is culpable because, we feel that it is much more reprehensible if it is done in a religious place. If you make or publish any imputation that any class of persons cannot, by reason of their being members of any religious, racial, language or regional group or caste and so and so forth, and assert or make or publish any assertions— if you do any of these things, you are punishable by three years' imprisonment and if you do these things in a plice of worship or use a religious building or a religious place for the commission of these communal and other offences, we think that the punishment should be much severe.

श्री ओउम् प्रकाश त्यागी : आलरेड़ी जो किताबें हैं उन के बादे में क्या है? धार्मिक ग्रंथ हैं जिन में प्राण की बात है उन के लिए क्या होगा?

i

SHRI RAM NIWAS MIRDHA : If a religious discourse is not punishable outside religious buildings, it will not be punishable in religious places under this section. This section merely says that if an offence is committed outside a religious place, the imprisonment would be three years and if the same offence is committed inside a religious place, it would be five years. There is no question of scriptures being brought within the ambit of this section. If whatever said outside is uot punishable, the same would not be punishable in religious places also. So there should be no fear and mere ceremonies and other such things would be brought under this section.

Then, he mentioned about religious processions, etc. Here, I would like to mention one thing. What mischief the religious processions can do has been examined by our superior courts also. There is a Supreme Ceurt judgment on that and the law is well settled. No religious procession if it is peaceful and *bona fide,* would come under this section. Everybody is at liberty to act

[Shri Ram Niwas Miranaj

in a peaceful and *bona fide* manner and nothing in this Bill seeks (o punish that, and I think this assurance will satisfy the hon. Msmber who may now kindly withdraw the amendment.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY) : The questi n is :

I. "That at page 1 —

(i) line 12, the word 'likely' be deleted ;

(ii) line 15. the word 'likeiy' be deleted ;

(iii) line 17, after the word 'community' the word "or nation" be inserted."

The motion was negatived.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHY \Y) : The question is :

3. "That at page 2, line 1, the word •likely' be deleted."

The motion was negatived.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY) : The question is :

6. "That at page 2, lines 20 to 2S be deleted."

The motion was negatived.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY) : The question is :

8. "That »t page 2, lines 29 to 33 be deleted."

The motion was negatived.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY) : The question is :

II. "That at page 1, line 9, the words 'any exercise' be deleted."

The motion was negatived.

. THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY) : The question is :

12. "That at page 1, line 18, after the words 'language or' the word 'political' be inserted."

The motion was netatived.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY) : The question is :

13. "That at pages 1 and 2, line 18 and lines 1 to 4, the words Such activity for any reason whatsoe.er causes oris likely to cause fear or alium or a feel ng of insecurity amongst memb rs of such religious, racial, langua e r regioi al group or caste or co nm nity' bo .deleted."

The n. 'Hon was negativi

THE VICE-CHAIRMAN (S IRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY) : The question is :

14. That at page 2, line 4, after the word 'community' the words 'or nation' be inserted."

The motion was negatived.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY) : The question is :

"That clause 2 stand part of the Bill,"

The motion was adopted.

Clause 2 *was added to the Bill.*

Clause $ was added to the Bill.

Claused—Amendment of Act 31 of 1961

SHRI O. P. TYAGI : I move :

• 9, "That at page 3, lines 34 and 35 be deleted."

The question was proposed.

श्री ओउम् प्रकाश त्यागी : उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरा तात्पर्य यह है कि यह बिल आप

साम्प्रदायिकता को रोकने के लिए लाये हैं लेकिन मैं समझता हूं कि साम्प्रदायिकता देश के एक भाग में तो बुरी है और देश के दूसरे भाग में अच्छी हो जायगी ऐसी बात तो नहीं हो सकती है। गृह मंत्री महोदय से मेरी प्रार्थना यह है कि आपने इसमें यह प्राविजो रखा है :

> "Provided that nothing contained in sub-clause (ii) shall apply to the State of Jammu and Kashmir".

तो मेरी प्रार्थना है कि यह बिल पूरा का पूरा जम्मू और काश्मीर पर भी लागू होना चाहिए ताकि समूचे देश में से हम साम्प्रदायिकता को दूर कर सकें। मेरी जहां तक जानकारी है, हो सकता है कि मेरी जानकारी में कुछ कमी हो, कि जम्मू और काश्मीर से हमारा सम्बन्ध पूर्ण है और वहां तो और भी अच्छा वातावरण रहना चाहिये। वह सीमा प्रान्त है तो वहां तो और भी साम्प्रदायिकता नहीं होनी चाहिये और देशभक्ति का वातावरण रहना चाहिए। वहां से भी एंटी नेशनल एक्टीविटीज़ और कम्युनल एक्टीविटीज़ की शिकायतें आती रहती हैं।

तो मेरी प्रार्थना है कि यह बिल वहां तक भी चला जाय और वहां भी यह लागू किया जाय तो यह देश के हित में होगा। मैं माननीय गृह मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आपने जम्मू और काश्मीर को क्यों इसमें से जानबूझ कर निकाला है। वहां यह बिल क्यों नहीं लागू कर रहे हैं।

तो मेरी प्रार्थना यह है कि आप इस बिल को समूचे देश पर लागू कीजिये अगर आप ईमानदारी से साम्प्रदायिकता के विरोध में हैं। मेरी यही प्रार्थना है।

SHRI RAM NIWAS MIRDHA : Clause 4 says that the definition of unlawful association would be as mentioned here. The Unlawful Activities Prevention Act, 1967 applies to the State of Jammu and Kashmir.' This Act was enacted mainly to curb the sessationist activities. Therefore it applies to Jammu and Kashmir also and it was under this Act that the Plebiscite Front was banned and other action taken. We want the definition of unlawful association in this Act to be amended so as to include also activities of a communal nature. As the other clauses of the Bill said, the IPC is being amended, Section 153 A is amended and new Sec. 153 B is being added. As the House knows, the IPC does not apply to Jammu and Kashmir. Why it does not apply there need not be gone into now. It has its own historical background which need not be gone into but the legal position to-day is, they have their own code on the lines of the IPC, what they call the Ranbir Code. They have it separately. If we do not have this proviso . . .

SHRI RAM N1WAS MIRDHA : Si

श्री ओउम् प्रकाश त्यागी : गृह मंत्री महोदय यही आपकी कमजोरी है। यही साम्प्रदायिकता दूर नहीं होने देगा। आप दुनिया भर में यों ही प्रचार कर रहे हैं।

removing this proviso would actually no help because the IPC as it is, does not applj So any reference in the Act to the IP(naturally would not apply to Jammu an Kashmir. But I would like to say on th occasion that we will advise the State < Jammu and Kashmir to enact a suitab' legislation to deal with associations indulg ing in activities prejudicial to the mainti nance of communal harmony.

श्री ओउम् प्रकाश त्यागी : क्या काश्मी भारत का अंग नहीं है ?

श्री राम निवास मिरधा : उसको ब कई दफा हो चुकी है। आज वैधानिक ब स्थिति यह है कि इन्डियन पीनल कोड काश्म पर लागू नहीं होता इसलिए उस कोड के में कोई संशोधन करके हम किसी विधेयक उसका समावेश करें तो वह भी वहां लागू माना जाएगा। इसलिए मैं आपका संशो स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : इण्डियन पीनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अलग-अलग हैं। तो इन सारे कोड्स का एक साथ अमेन्डमेन्ट क्यों नहीं ले आते ?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY) : The quesiion is—

9. "That at page 3, lines 34 and 35 be *deleted."*

The motion was negatived.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY) : The question is :

That clause 4 stand part of the Bill.

The motion was adopted.

Clause 4 was added to the Bill.

Clause 7, the Enacting Ftrmula and the Title were added to the Bill.

श्री राम निवास मिर्धा : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए।

The question was proposed.

श्री महावीर त्यागी (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं अपनी पार्टी की तरफ से यह बात साफ कर देना चाहता हूं कि मेरी पार्टी का जनसंघ से बहुत मतभेद है। मेरी पार्टी उनके उसूलों से बिलकुल इत्तिफाक नहीं करती है, न उनकी पालिसी से इत्तिफाक करती है। हमारा मतभेद बीसियों बरस से चला आता है। लेकिन यह बात दूसरी है कि अपोजिशन में होने के कारण जब कभी जनता के हित की कोई बात आती है तो उसमें पार्टी का उसूल नहीं आता। उसमें जितनी अपोजिशन पार्टियां हैं उनका फर्ज है कि वे साथ होकर जनता के अधिकारों की रक्षा करें। तो अगर किसी ऐसे मामले पर हम साथ हो सकते हैं तो इसको मैं बहुत वेलकम करूंगा, हमारी पार्टी वेलकम करेगी। लेकिन जो जनसंघ का कम्युनल टिन्ज है, जो रास्ता है, उससे हमारा पूरा मतभेद है। हम किसी सूरत में उस मामले में जनसंघ के साथ नहीं हो सकते हैं।

अब जहां तक इस बिल का ताल्लुक है, इसकी स्पिरिट से मेरी पार्टी को कोई मतभेद नहीं है। तो मैं यह साफ करना चाहता हूं कि इस बिल की स्पिरिट से सहमत हूं बल्कि बीसियों बरस पहले से चाहता था कि कोई इस किस्म की चीज हो जाती। पर यह जो तरीका आपने इस बिल को लाने का किया है—आपकी पार्टी के जितने मेम्बर हैं उन्होंने तो पार्टी में बहस कर ली होगी इसलिए उनको तो तसल्ली है, एक-एक शब्द का उन्होंने विचार भी कर लिया होगा—उससे जो आपकी पार्टी के मेम्बर नहीं हैं उनको ज़रा दिक्कत पड़ गई, उनके कांशेन्स को यह बात लग गई कि आप यह बिल स्टीम रालर स्पिरिट में पास करा लेंगे। यह ठीक नहीं है, और मेरी राय में आपके लिए भी बड़ी शानदार बात होती अगर आप इसको सेलेक्ट कमेटी में दे देते। ऐसा नहीं आप कर सके तो कम से कम अपोजिशन पार्टीज से सलाह करते या उनको मौका देते तो अच्छा था। यह जो तरीका अपनाया है यह हठधर्मी का तरीका है, इससे मैं इत्तिफाक नहीं करता।

आज हिन्दुस्तान की जो ला एन्ड आर्डर की हालत है वह बहुत बिगड़ी हुई है, उससे आप भी परिचित हैं, जनता भी परिचित है। मैंने यहां सवाल किया था 30 मार्च को उसमें मैंने पूछा था कि हिन्दुस्तान में पिछले सालों में कितने कत्ल हुए हैं, कितने मर्डर हुए हैं तो जवाब दिया गया कि सन् 1968 में 13,841 मर्डर्स हुए, अगले साल 1969-70 में 14,732 मर्डर्स हुए, 1970-71 में 15,705 मर्डर्स। यह हमारे ला एन्ड आर्डर का इम्तिहान हो सकता है कि कितने मर्डर्स हुए, कितने क्राइम्स हुए। तो जब इतने हजार मर्डर्स हुए हैं तो हमारी हालत, हमारे हिन्दुस्तान के ला एन्ड

ग्राडंर की सिचुएशन, ग्रच्छी नहीं है। ऐसी हालत में ग्रगर कम्यूनल पार्टीज ग्रौर झगड़े पैदा करेंगी तो हिन्दुस्तान तबाही में चला जाएगा, इसलिए इस कम्युनलिज्म को रोकने का तरीका कुछ करना चाहिए। लेकिन एक तरीका ग्रौर यह है—गांधी जी का ढंग—यानी उनका ढंग था एक मास प्रोपेगण्डा का। और ग्राप ग्रपने प्रचार के जरिये से इन पार्टियों को दबा सकते हैं ताकि जनता उनका साथ देना बन्द कर दे ग्रौर कानून के जरिये तो इन पार्टियों को ग्लैमर मिल जायेगा, उनकी इज्जत बढ़ जायेगी ग्रौर उनमें रिजेंटमेंट पैदा हो जायेगा। यह कोई तरीका नहीं है, ग्रापको इस बारे में सलाह कर लेनी चाहिये थी। मैं ग्रब भी गवर्नमेंट से कहूंगा कि जब कोई खास मसला हो उनके सामने, तो ज्यादा ग्रच्छा यह होगा कि बिरोधी दलों से सलाह कर लें, उनकी राय ले लें ताकि हाउस के ग्रन्दर ग्रासानी हो जाय।

मैं ग्रापका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं ग्रौर सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि मुझे एक खतरा यह नजर ग्राता है, क्योंकि मैं डिफेन्स से थोड़ा परिचित हूं कि ग्रब पाकिस्तान खामोश नहीं रहेगा। पाकिस्तान को जो झटका पहुंचा है वह उसका सिंडीकेट करेगा ग्रौर मुझे डर है कि वह काश्मीर को ग्रपना टार्जेट बना लेगा। पाकिस्तान की आवाज यह होगी कि जिस तरह से बंगला देश स्वतंत्र है, उसी तरह से काश्मीर भी स्वतंत्र है। इस किस्म का ग्रांदोलन चलेगा ग्रौर आपने काश्मीर को इस कानून से एग्जेम्पट कर रखा है आपने जो एग्जेम्पट किया है उसके लिए मैं आपकी मजबूरी को समझता हूं, लेकिन एग्जेम्पट करने की जरूरत नहीं थी। जब क्रिमिनल ला इसमें एप्लाई नहीं होता है, तो एग्जेम्पट करने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि वह सारा बिल ग्रप्लाई नहीं है। लेकिन मुझे आपके इस बात से तसल्ली हुई जब ग्रापने तसल्ली देते हुए कहा कि वहां पर कोई न कोई काम इसका करेंगे। इस चीज से मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि यह ला जो आप बना रहे हैं, मैं उसका विरोध नहीं करता हूं, मैं उसकी स्प्रिट से सहमत हूं। लेकिन इसका जब इस्तेमाल होगा तो उसको बहुत समझ-बूझकर करना होगा, कहीं ऐसा न हो कि ग्राहिस्ते-ग्राहिस्ते ग्रापकी गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट्स कभी ग्रपनी पोलिटिकल राइवलरीज इस कानून के जरिये न निकालने लगें या उनके खिलाफ इस कानून का दुरुपयोग न करने लगें। ग्रगर इस तरह की कोई बात होगी तो ग्रापकी ज्यादा बदनामी हो जायगी।

इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जिस तेजी के साथ ग्राप इस बिल को पास कर रहे हैं यह एक ग्रन्याय है, हमारे साथ इंसाफ नहीं है ग्रौर इसीलिए मैं इस तरीके का विरोध करता हूं। लेकिन ग्रापके बिल की स्प्रिट से मुझे कोई मतभेद नहीं है।

श्री सीताराम केसरी : उप-सभाध्यक्ष महोदया, विधेयक के समर्थन में बोलते हुए त्यागी जी ने जो यह कहा कि गांधी जी का जो रास्ता रहा वह कानून का नहीं बल्कि अनुग्रह का रास्ता रहा, ग्राग्रह का रास्ता रहा, यह बात सच है। मगर दुःख की बात यह है कि गांधी जी के जीवन काल में ही गांधी जी के समीपवर्ती व्यक्तियों ने भी उनके सिद्धान्तों को पूरी तरह से नहीं माना था कांग्रेस वर्किंग कमेटी ग्रौर उन्होंने भी ग्रहिंसा ग्रौर सत्य को नीति के रूप में माना था, न कि सिद्धान्त के रूप में। एक प्रश्न यह है।

दूसरी बात यह है कि अभी त्यागी जी ने जो यह कहा कि इतने हजार मर्डर हुए उस समय ग्रौर इतने हजार मर्डर हुए इस समय, तो मैं उनसे सम्मान-पूर्वक पूछना चाहता हूं कि जब वे सरकार में मंत्री के रूप थे तो उस साल कितनी मौतें हुई थीं ? क्या उनकी गिनती की गई थी या नहीं ? मैं यह नहीं कहता हूं कि इस तरह की जितनी बातें हुई है या जितनी मौतें

हुई हैं, उनका मैं समर्थन करता हूं । लेकिन मेरा यह कहना है ये जो मौतें हुई हैं, जो हत्याएं हुई हैं (*Interruptions*) आप बुजुर्ग हैं ।

दूसरी बात यह है कि भाई महावीर ने कहा कि गांधी जी के मृत्यु का कारण वातावरण है और जिसने गांधी जी के ऊपर गोली चलाई थी, गांधी जी की हत्या की थी, वह आर. एस.एस. का विरोधी था । मैं यहां पर भाई महावीर को बतलाना चाहता हूं कि 1947 में गुरु गोलवलकर, जो आर. एस. एस. के संचालक थे, वे पटना गए थे और वासुदेव अग्रवाल के साथ दोपहर का भोजन किया था । उस समय उन्होंने जो शब्द कहे थे मैं, उत्तरदायी सदस्य के नाते आपके सामने रखता हूं ।

(*Interruptions*)

DR. BHAI MAHAV1R : Madam, if he makes such a statement . . .

(Interruptions)

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी (मध्य प्रदेश) : गुरु जी ने क्या कहा वह सुन लीजिए ।

डा. भाई महावीर : गैर जिम्मेदारी की बात कहना इनकी आदत बन गई है ।

SHRI SITARAM KESRI : Why are you afraid ?

DR. BHAI MAHAVIR : I am not afraid.

SHRI LAL K. ADVANI : On a point of order, Madam. I can anticipate him, I would jay—against a person who is not present in the House and a respected leader, Mr. Golwalkar—I anticipate—he is going to make a statement. Obviously . . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY) : There is no point of order. *(Interruptions)* Mr. Sitaram Kesri, you continue.

श्री सीताराम केसरी : मैं कह रहा हूं कि गुरु जी ने वहां पर कहा कि जब तक यह बनिया महात्मा गांधी जो महात्मा अपने को कहलाता है ··

SHRI BHAI MAHAVIR : It is wrong, please.

श्री सीताराम केसरी: मैं ने अपने कानों सुना (*Interruptions*) । उन्होंने वह बात भोजन के उपरांत कही ।

(*Interruptions*)

श्री ओ३म् प्रकाश त्यागी : उप-सभाध्यक्ष महोदया, इस देश में अंग्रेजों के आने के पहले हिन्दू मुसलमान आदि अब भाई-भाई की तरह रहते थे। यहां पर कोई साम्प्रदायिकता नहीं थी। इस देश में आने के बाद अंग्रेजों ने साम्प्रदायिकता के पौधे को लगाया और दुर्भाग्यवश उस पौधे को खाद और पानी कांग्रेस पार्टी आज तक देती चली आयी है। (*Interruptions*) उपाध्यक्ष महोदया, यह उन्होंने गलत सिद्धांत बनाया और अंग्रेजों ने जान बूझ कर इस देश में साम्प्रदायिकता को इंजेक्ट किया और दुर्भाग्यवश हम ने उस लाइन को स्वीकार कर लिया, हिन्दू और मुसलमान, दोनों ने । उसका परिणाम निकला 1916 में । हमारे भाई महावीर त्यागी जी ने कहा कि हम सांप्रदायिकता के विरोधी रहे है मैं इतिहास के आधार पर यह कहता हूं कि आप ने यह सिद्धांत स्वीकार किया कि इस देश के अमुक-अमुक व्यक्ति अगर मिल नहीं जायेंगे तो देश आजाद नहीं होगा । 1916 में साम्प्रदायिक आधार पर आपने इस देश में पावर के बंटवारे के लिए समझौता किया । उस के बाद 1947 में साम्प्रदायिक आधार पर आप ने इस देश का बंटवारा स्वीकार किया । उपाध्यक्ष महोदया, आजादी के पहले अगर हमने आजादी की लड़ाई के लिए कोई साम्प्रदायिक समझौता कर लिया होता तो उस को माफ किया जा सकता है, लेकिन आजादी के पश्चात् स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् इस देश में कांग्रेस पार्टी ने हिन्दू कोड बिल यहां ला कर पेश

किया। इनमें नेशनल सिविल कोड बिल पेश करने की हिम्मत नहीं थी । आज भी इनमें साहस नहीं है कि यह कोई ऐसा बिल ला सकें। लेकिन इन्होंने हिन्दू कोड बिल ला कर यहां खड़ा किया। और उसके साथ-साथ मैं कहना चाहता हूं कि उस के बाद मुस्लिम लीग के साथ उन्होंने समझौता किया केरल में और कहा कि वहां की मुस्लिम लीग का सांप्रदायिक नहीं है। वह मुस्लिम लीग जिसने देश के विभाजन में पूरी मुस्लिम लीग का साथ दिया आज वह उससे अलग हो गयी और उन्होंने कहा कि हम उसके पार्ट हैं, वही हमारी मनोवृत्ति है। उसके पश्चात् मैं कहना चाहता हूं कि इसी कांग्रेस पार्टी की सांप्रदायिक नीति के विरोध में महामना मदन मोहन मालवीय ने, श्री लाजपत राय ने, स्वामी श्रद्धानन्द जी और कांग्रेस के दूसरे व वरिष्ठ नेताओं ने हिन्दू महासभा को जन्म दिया। कांग्रेस की इसी कैम्युनल नीति के कारण उन्होंने कहा कि तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो। उस का विरोध करने के लिए हिन्दू महा सभा का जन्म हुआ और आज तक इस प्रकार का विरोध चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आज आपने यह बिल लाकर खड़ा किया है। इसके दो ही कारण हो सकते हैं। एक तो यह कि भुट्टो जी की मीटिंग होने को है। आप भुट्टो जी को एक तोहफा देना चाहते हैं कि देखो यह हमारा सेकुलरिज्म है। कैसी मार लगायी है भुट्टो जी से बात-चीत करने के लिए, ग्राउंड बनाने के लिए यह किया जा रहा है, यह मेरा डाउट है। या दूसरा कारण यह है कि बंगला देश की जीत के पश्चात् उस को इस देश कुछ प्रतिक्रियायें हुईं और कांग्रेस पार्टी को संदेह हुआ कि हिन्दुस्तान के मुसलमान महाराज हैं हैं बंगला देश पर। इस लिए उनको खुश करने के लिए यह बिल लाया गया। (*Interruptions*) अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि आज साम्प्रदायिक आधार पर इस कानून के द्वारा अंडर ग्राउंड एक्टिविटीज बढ़ जायेंगी। आप इसके दूसरे उपाय निकालते हैं, लेकिन देखिये कि दोष कहां है। रोग तो टांग में है लेकिन सिर में मालिश करायी जा रही है। रोग जड़ में है और पेड़ के पत्तों पर पानी छिड़का जा रहा है। रोग कांग्रेस की पार्टी की अंदरूनी नीति है और वह है अपीजमेंट की, तुष्टीकरण की नीति, जिसके कारण मैं ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं कि आज देश में तमाम गड़बड़ हो रही है। मैं ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं कि भले ही कोई हिन्दू हो या मुसलमान हो या कोई ईसाई हो, अगर वह कम्युनल है तो उसके साथ कड़ाई के साथ व्यवहार करो, लेकिन दबाव में पड़ कर अगर आप कुछ करें यह ठीक नहीं है। आप आज अलीगढ़ विश्वविद्यालय का विधेयक दबाव में पड़ कर लाये और इस प्रकार से जो समय-समय पर आप साम्प्रदायिक तबकों के सामने झुकते हैं। उसका इलाज यह कानून नहीं है। आप अपनी तुष्टीकरण की नीति छोड़ो, कुर्सी के लोभ में साम्प्रदायिक तत्वों को खुश करना बंद करो, तभी इस देश में साम्प्रदायिकता समाप्त हो सकेगी अन्यथा नहीं।

श्री राम निवास मिर्धा : माननीय सदस्य श्री महावीर त्यागी जी ने सदन के बहुत ही सम्मानीय सदस्य हैं और जिनको हम बहुत आदर की दृष्टि से देखते हैं, उन्होंने भी यह बात दोहरायी कि हठधर्मी की वजह से हम यह बिल लाये हैं। मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं और आखिर में फिर दोहराना चाहूंगा कि सरकार का कोई मंशा नहीं है कि इस बिल को हठधर्मी के कारण लाये। यह बिल नया नहीं है। 1968 से राष्ट्रीय एकता परिषद् में इसके सिद्धान्तों पर विचार हुआ। उसके बाद कुछ संशोधन आये। वह संशोधन कुछ नाकामयाब से साबित हुए। फिर उनका संशोधन करने की जरूरत पड़ी और देश में इस सम्बन्ध में काफी विचार मंथन समय से चल रहा है। इसलिए यह कहना कि कोई एकाएक यह बिल हम इस सदन के समक्ष ले आये, ऐसी बात नहीं है।

[श्री राम निवास मिर्धा]

जहां तक इस बिल पर विचार करने का प्रश्न है, लोक सभा में भी हमारी पार्टी की तरफ से कहा गया था कि एक दिन और चाहें विरोधी पक्ष के सदस्य तो वह भी दिया जा सकता है, लेकिन उसके बाद भी कोई निराकरण नहीं हुआ। यहां सदन में ही एक मांग उठी कि इस पर विचार करने के लिए सदन के अधिवेशन को एक दिन बढ़ाया जाय। वह भी सरकार ने स्वीकार किया। मैं तो यह कहूंगा कि सरकार जल्दीबाजी से, लुके-छिपे, दबे-दबाये इस बिल को पास कराना चाहती है, ऐसा नहीं है। लेकिन सरकार यह अवश्य चाहती थी कि यह जल्दी से जल्दी पारित हो जाय, क्योंकि यह विषय बहुत गंभीर है और सांप्रदायिक तत्व जो हमारे देश में हैं, उन पर अंकुश लगाया जाय यह हमारे देश की सबसे बड़ी जरूरत है। इसलिए उस के लिए विधेयक लाना, मैं समझता हूं कि एक स्वागत योग्य बात होनी चाहिए और यह भी कहना कि राजनीतिक विरोध को दबाने के लिए इस बिल का इस्तेमाल किया जायगा, मैं निश्चित रूप से और स्पष्ट रूप से सदन के समक्ष यह बात प्रस्तुत करना चाहूंगा कि सरकार की कोई ऐसी मंशा नहीं है कि राजनैतिक विरोध को इस बिल के द्वारा दबाया जायगा बल्कि केवल सांप्रदायिक तत्वों को जिससे कि सारे राष्ट्र को खतरा है उनको दबाने के लिये उन पर अंकुश लगाने के लिए इस बिल का इस्तेमाल किया जायगा।

श्री महावीर त्यागी : मैंने यह नहीं कहा कि राजनैतिक पार्टियों को दबाया जायगा। मैंने कहा कि आप इस बात का ख्याल रखिये कि राजनैतिक पार्टियां इससे दबाई न जायं। बी केयरफुल। मैंने यह नहीं कहा कि आपका यह इंटेंशन है।

श्री राम निवास मिर्धा : आपने जो बात कही उसका पूरे तौर से ख्याल रखा जायगा। श्री ओउम् प्रकाश त्यागी जी ने भी कुछ कहा। उनसे और उनकी पार्टी से यही निवेदन करूंगा, केवल यही कहना चाहूंगा और उनके दल से भी यही निवेदन करूंगा, कि वह कृपया साम्प्रदायिकता का परित्याग करें, वह देश में राष्ट्रीय एकता को लाने के लिए ...

श्री ओउम् प्रकाश त्यागी : आप तुष्टीकरण को समाप्त करें।

श्री राम निवास मिर्धा : माननीय सदस्य ऐसी बात कहते हैं। उनका मतलब शायद यह कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनका सरकार तुष्टीकरण कर रही है। पहली बात तो यह कि यह सही नहीं है कि हम किसी का तुष्टीकरण कर रहे हैं, लेकिन अगर माइनारिटीज का तुष्टीकरण करने की जरूरत पड़ेगी तो माइनारिटीज की मदद करने में, उनको ऊंचा उठाने में, उनको राष्ट्रीय जीवन में ऊपर लाने में कुछ करना पड़े तो चाहे उसको तुष्टीकरण कहें, कुछ भी कहें, उससे हम नहीं घबड़ायेंगे।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY); The question is :

"That the Bill be passed." *The motion was adopted.*

श्री ओउम् प्रकाश त्यागी : इस काले कानून के पास हो जाने के कारण हम यहां से वाक-आउट करते हैं।

[At this itage, some hon. Members left the Chamber.]

THE I NIVEHSITY GRANTS COMMISSION (AMENDMENT) BILL, Ii.2

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (PROF. S. NURUL HASAN) : Madam, I beg to move :

"That the Bill further to amend the Un ersily Grants Commission Act, 19: 6, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."